सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
सत्यमेव जयते

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2017 की प्रतिवेदन संख्या 6

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2017 की प्रतिवेदन संख्या 6

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्‍यमों

के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन			iii
कार्यकारी सार			v
अध्याय I	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन**		
	1.1	प्रस्तावना	1
	1.2	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश	5
	1.3	सरकारी कंपनियों तथा निगमों में निवेश पर प्रतिफल	13
	1.4	घाटे वाली सीपीएसईज	18
	1.5	सरकारी कंपनियों की प्रचालन दक्षता	20
अध्याय II	**सीएजी की निरीक्षण भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	23
	2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय पर नियुक्ति	23
	2.3	सीपीएसईज द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति	24
	2.4	सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	27
	2.5	सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	29
	2.6	लेखांकन मानकों से विचलन	40
	2.7	प्रबंधन पत्र	43
अध्याय III	**निगमित अभिशासन**		
	3.1	निगमित अभिशासन	45
	3.2	निदेशक बोर्ड का गठन	47
	3.3	स्वतंत्र निदेशको की नियुक्ति तथा कार्य	51
	3.4	निदेशक बोर्ड की बैठक का नोटिस	57
	3.5	निदेशक पदों की भर्ती-कार्यकारी, गैर कार्यकारी, स्वतंत्र	58
	3.6	लेखापरीक्षा समिति	59
	3.7	अन्य समितियां	66

	3.8	चेतावनी तंत्र	67
	3.9	संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति	68
	3.10	सहायक कंपनियों से संबंधित नीति	69
	3.11	वेबसाईट पर सूचना का प्रकटन	69
	3.12	अनुपालन रिपोर्ट	70
अध्याय IV	**निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व**		
	4.1	प्रस्तावना	73
	4.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	74
	4.3	लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	74
	4.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	75
अध्याय V	**प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण**		
	5.1	प्रस्तावना	95
	5.2	संस्थागत व्यवस्था	95
	5.3	निष्पादन मूल्यांकन एवं रेटिंग हेतु एमओयू लक्ष्य	96
	5.4	एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया	97
	5.5	विश्लेषण का क्षेत्र	97
	5.6	विश्लेषण का उद्देश्य	98
	5.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	99
परिशिष्ट			125-142

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कम्पनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते है जो सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन है। सीएजी अपना मत प्रकट करते है अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक व्यवस्था करते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 सीएजी को सांविधिक लेखापरीक्षकों को उस विधि के विषय में निर्देश जारी करने का अधिकार देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदार घाटी निगम नाम के पांच निगमों के संदर्भ में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग निगम के संदर्भ में कानून के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षक करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए मार्च 2015 में समाप्त वर्ष के लिए एक सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाई गई है, जैसा 1984 में संशोधित किया गया था।

4. इस रिपोर्ट में समीक्षित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) के लेखे वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 (प्राप्ति की सीमा तक) के लेखाओं को कवर करते है। ऐसे सीपीएसईज जहां 31 अक्टूबर 2016 से पूर्व किसी विशिष्ट वर्ष के लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे, के संबंध में, पिछले वर्ष लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े लिए गए है।

5. कुछ सीपीएसईज के संदर्भ में, पिछले वर्ष के आँकड़े अनंतिम आंकड़ो के लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों में प्रतिस्थापन के कारण 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9 में दर्शाए गए तदनुरूप आंकड़े से मेल नहीं खा सकते।

6. यदि इस संदर्भ में कोई अन्य परामर्श न दिया जाए तो इस रिपोर्ट में 'सरकारी कम्पनियों/निगमो या सीपीएसईज' के सभी संदर्भों को 'केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों' से संबंधित समझा जाएं।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2016 तक, भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 607 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इनमें 410 सरकारी कंपनियां, 191 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा छः सांविधिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट 384 सरकारी कंपनियों तथा निगमों (छः सांविधिक निगमों सहित) और 170 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की चर्चा करती है। तिरपन सीपीएसईज़ (21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से लंबित थे या जो निष्क्रिय/परिसमापन के अंतर्गत थी, या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या बकाया नहीं थे, को इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किया गया है।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

384 सरकारी कंपनियों तथा निगमों के लेखाओं ने दर्शाया कि भारत सरकार (जीओआई) ने उनकी शेयर पूंजी में ₹ 2,96,061 करोड़ का निवेश किया था तथा 31 मार्च 2016 तक ₹ 78,609 करोड़ के ऋण बकाया थे। पिछले वर्ष की तुलना में, भारत सरकार द्वारा सीपीएसईज की इक्विटी में निवेश ने ₹ 27,692 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की तथा उनको दिए गए ऋण 2015-16 के दौरान ₹ 12,992 करोड़ तक बढ़ गए। वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 41,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 24,311 करोड़ की उगाही की।

[पैरा 1.2.1 और 1.2.1.2]

बाजार पूंजीकरण

46 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (चार सहायक कंपनियों सहित) जिन्होंने 2015-16 के दौरान व्यापार किया था, के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2016 तक ₹ 11,06,539 करोड़ था। 42 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (चार सहायक कंपनियों को छोड़कर) में भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च 2016 तक ₹ 7,48,881 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

197 सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा 2015-16 के दौरान अर्जित कुल लाभ ₹ 1,36,695 करोड़ था, जिसका 72.75 *प्रतिशत* (₹ 99,437 करोड़) तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम, कोयला एवं लिग्नाइट तथा विद्युत के अंतर्गत 47 सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा दिया गया था।

[पैरा 1.3.1]

एक सौ छ: सरकारी कंपनियों तथा निगमों ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 71,887 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्ति योग्य लाभांश ₹ 41,185 करोड़ का था, जिसने सभी सरकारी कंपनियों तथा निगमों में भारत सरकार द्वारा कुल निवेश (₹ 2,96,061 करोड़) पर 13.91 *प्रतिशत* प्रतिफल प्रस्तुत किया।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 13 सरकारी कंपनियों ने सभी सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 23.05 *प्रतिशत* प्रस्तुत करते हुए ₹ 16,570 करोड़ का योगदान दिया।

37 सीपीएसईज द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकार के निर्देश के अननुपालन के परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 9,011 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल परिसंपत्ति/संचित हानि

संचित हानि वाली 174 सरकारी कंपनियों तथा निगमों में से, 67 कंपनियों का निवल मूल्य उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। परिणामस्वरूप, इन कंपनियों का कुल निवल परिसंपत्ति 31 मार्च 2016 तक ₹ 79,227 करोड़ की सीमा तक नकारात्मक हो गया था। 2015-16 के दौरान 67 कंपनियों में से केवल छ: कंपनियों ने ₹ 456.62 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की निरीक्षण भूमिका

601 सीपीएसईज (छ: निगमों का छोड़कर) में से, वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे 502 सीपीएसईज से समय पर (अर्थात 30 सितम्बर 2016) तक प्राप्त कर लिए थे। इनमें से, 312 सीपीएसईज के लेखे लेखापरीक्षा में समीक्षित किए गए थे।

[पैरा 2.3.2 और 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सीएजी ने सर्वसम्मति के आधार पर सीपीएसईज के लेखाओं की तीन चरणीय प्रणाली को प्रारंभ किया। इसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2015-16 के लिए 87 सीपीएसईज में तीन चरणीय लेखापरीक्षा का लाभकारिता पर ₹ 9,429.71 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 25,505.39 करोड़ का निवल प्रभाव पड़ा।

[पैरा 2.5.1]

लेखाकंन मानकों से विचलन

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन मानकों के प्रावधानों से विचलन सांविधिक लेखापरीक्षको द्वारा 14 सरकारी कंपनियों में देखा गया था। सीएजी ने 14 अन्य सरकारी कंपनियों में ऐसे विचलनों को भी दर्शाया।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों तथा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं तथा कमियां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से 131 सीपीएसईज के प्रबंधन को सूचित कर दिया गया था।

[पैरा 2.7]

III. निगमित अभिशासन

यह अध्याय विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 48 सूचीबद्ध सीपीएसईज को कवर करता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान, डीपीई दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति तथा विनियमन बोर्ड के निगमित अभिशासन से संबंधित विनियमों का कुछ सीपीएसईज द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है हालांकि अनिवार्य है। वर्ष के दौरान, निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थे:

- 16 सीपीएसईज में गैर कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के 50 *प्रतिशत* से कम थे। 17 सीपीएसईज के बोर्ड मे कोई महिला निदेशक नहीं थी।

[पैरा 3.2.1 और 3.2.3]

- 33 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशक का प्रतिनिधत्व उपयुक्त नहीं था। 13 सीपीएसईज के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.2.2]

- स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन 16 सीपीएसईज में निदेशक मंडल द्वारा नहीं किया गया था।

[*पैरा 3.3.8*]

- 18 सीपीएसईज में, स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए थे। 9 सीपीएसईज मे रिक्त पद समय पर नहीं भरे गए।

[*पैरा 3.5*]

- तीन सीपीएसईज में कोई चेतानवी तंत्र नहीं था। छ: सीपीएसईज में लेखापरीक्षा समिति ने चेतावनी तंत्र की समीक्षा नहीं की थी।

[*पैरा 3.8.1 और 3.8.2*]

IV. निगमित सामाजिक दायित्व

समीक्षा 24 मंत्रालय/विभागों के प्रशासिनिक नियंत्रण के अंतर्गत 76 सीपीएसईज (सात महारत्न, 17 नवरत्न तथा 52 मिनिरत्न श्रेणी-1) को कवर किया था। 31 मार्च 2016 को समाप्त एक वर्ष की अवधि समीक्षा के दौरान कवर की गई थी। समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युक्तियां की गई थी:

- चार सीपीएसईज ने बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति का गठन प्रकट नहीं किया था। योग्य सीपीएसईज में से तीन सीपीएसईज के पास समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं था। आठ सीपीएसईज ने या तो सीएसआर अथवा स्थिरता नीति नहीं बनाई या सीपीएसई की नीति को बोर्ड द्वारा यथायोग्य अनुमोदित नहीं किया गया।

[*पैरा 4.4.1.1, 4.4.1.2 और 4.4.1.3*]

- चार सीपीएसईज ने सीएसआर व्यय के लिए बजट के प्रति तीन तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा बनाए गए औसत निवल लाभों की कम से कम दो प्रतिशत निर्धारित राशि आवंटित नहीं की थी।

[*पैरा 4.4.2*]

- इक्कीस सीपीएसईज ने सीएसआर आवंटन निधि से वास्तविक व्यय से संबंधित सूचना का रखरखाव नहीं किया था। दो सीसीएसईज ने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में निर्धारित राशि खर्च नहीं करने के लिए कारणों पर विचार नहीं किया था।

[*पैरा 4.4.2*]

- अधिकांश सीपीएसईज ने शिक्षा तथा कौशल, स्वास्थ्य सेवा तथा गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण तथा ग्रामीण विकास को सीएसआर के लिए उनके महत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया था। प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन, सशक्त सेनाएं तथा प्रधानमंत्री राहत कोष पर ध्यान कम था। पाँच सीपीएसईज ने प्रचालन के स्थानीय क्षेत्र को वरीयता नहीं दी थी। 38 सीपीएसईज के क्षमता निर्माण पर व्यय कुल सीएसआर व्यय के पाँच प्रतिशत की सीमा से अधिक था। 11 सीपीएसईज मे कोई निगरानी तंत्र स्थापित नहीं था।

[पैरा 4.4.3.2, 4.4.3.4, 4.4.3.5 और 4.4.4.2]

- दो सीपीएसईज ने उनके बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की थी। पूर्ण परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए प्रभावी निर्धारण 19 सीपीएसईज के मामले में नहीं किया गया था।

[पैरा 4.4.5.2 और 4..4.6]

V. प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एंव प्राकृतक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय तथा भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सात 'महारत्न' सीपीएसईज के एमओयू की समीक्षा की। समीक्षा में निम्नलिखित महत्व अभ्युक्तियां की गई:

- ड्राफ्ट एमओयू के साथ वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/निगम योजना को प्रस्तुत न करने तथा एमओयू लक्ष्यों के साथ योजना का संरेखण न करने के उदाहरण तीन सीपीएसईज में देखे गए थे।

[पैरा 5.7.1.2]

- दो सीपीएसईज के मामले में, अंतिम एमओयूज के हस्ताक्षर करने में देरी हुई थी।

[पैरा 5.7.1.3]

- डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में प्रावधान की तुलना में राष्ट्रीय तथा वैश्विक समकक्षों के साथ बेंचमार्किंग दो सीपीएसईज द्वारा नहीं की गई थी। दो सीपीएसईज के मामले में, निश्चित किए गए लक्ष्य पिछले वर्ष की उपलब्धि से कम थे।

[पैरा 5.7.2.1 और 5.7.2.2]

- 'बिक्री टर्नओवर', 'बिक्री टर्नओवर/नेट ब्लॉक', 'सकल प्रचालन अंतर', 'कर पश्चात लाभ/निवल मूल्य' इत्यादि जैसे वित्तीय पैरामीटरों के प्रति बढ़े हुए वित्तीय निष्पादन की रिपोर्टिंग एक सीपीएसई के द्वारा बिक्री टर्नओवर में माने गए सृजन के अन्तर्वेशनक कारण देखी गई थी।

[पैरा 5.7.5.1]

- लेखापरीक्षा ने एक सीपीएसई द्वारा स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में गलत सूचना प्रस्तुत करना तथा/या एमएसएमई दिशानिर्देशों के अनुपालन में दो सीपीएसईज द्वारा अपूर्ण प्रमाणन भी देखा गया था। तीन सीपीएसईज ने डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था।

[पैरा 5.7.6.1, 5.7.6.2 और 5.7.6.3]

अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक **सरकारी कम्पनी** की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

> **सरकारी कम्पनियां**
>
> एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से राज्य सरकार(रों) द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक हो।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कहा (जनवरी 2017) कि डीपीई द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार, सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसईज़ वह सरकारी कम्पनियाँ है; जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत हों, जहाँ पर कोई भी सीपीएसई जिसके पास

50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हो को भी सीपीएसईज़ तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) एंव डीपीई द्वार अंगीकृत परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसईज़ मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[1] को इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिसके लेखों की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर

[1] कार्पोरेट अफेयर मंत्रालय -(कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014, दिनांक 4 सितम्बर 2014

रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2015-16 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2015-16 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं।

यह प्रतिवेदन कॉरपोरेट अभिशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सीपीएसईज द्वारा पालन, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन तथा भारत सरकार और महारत्न[2] सीपीएसईज के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण का भी चित्र प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के ड्राफ्ट अध्याय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (अध्याय 3 - निगमित अभिशासन और 4 - निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (अध्याय 2 - सीएजी की निरीक्षण भूमिका के अलावा सभी अध्याय) को जारी (5 दिसम्बर 2016) किए गए थे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम

---

[2] महारत्न सीपीएसईज वो सीपीएसईज है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ₹ 25,000 करोड़ से अधिक के औसत वार्षिक टर्नओवर, ₹ 15,000 करोड़ के औसत सकल मूल्य तथा पिछले तीन वर्षों में कर के बाद ₹ 5,000 करोड़ के औसत वार्षिक लाभ के साथ सूचीबद्ध है तथा जिनके पास वैश्विक मौजूदगी/अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन है। (स्रोत: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=107091)

मंत्रालय से प्राप्त उत्तर (जनवरी 2017) को उचित ढंग से लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या

31 मार्च 2016 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 607 सीपीएसईज थी। इनमें 410 सरकारी कंपनियां, छह सांविधिक निगम[3] तथा 191 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल थी। इनमें से, 554 सीपीएसईज (384 सरकारी कम्पनियां एवं निगम तथा 170 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां) का वित्तीय निष्पादन, इस प्रतिवेदन में कवर किया गया है। इस प्रतिवेदन के अंतर्गत कवरेज तथा इन सीपीएसईज की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: प्रतिवेदन के अंतर्गत कवरेज़ तथा सीपीएसईज का स्वरूप

सीपीएसईज की प्रवृत्ति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में कवर सीपीएसईज की संख्या				इस प्रतिवेदन में कवर नहीं की गई सीपीएसईज की संख्या
		2015-16 तक के लेखे	निम्न तक लेखें		कुल	
			2014-15	2013-14		
सरकारी कम्पनियां	410	341	27	10	378	32
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	0
कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या	416	346	28	10	384	32
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	191	161	8	1	170	21
जोड़	**607**	**507**	**36**	**11**	**554**	**53**

[3] भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, भारतीय खाद्य निगम, इनलैंड वाटरवेज अथारिटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ।

इस प्रति में कवर किए गए सीपीएसईज के वित्तीय निष्पादन का सार

(सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम)

इस अध्याय में कवर सीपीएसईज	384
प्रदत्त पूंजी (384 सीपीएसईज)	₹3,94,881 करोड़
दीर्घावधि कर्जे (384 सीपीएसईज)	₹10,87,907 करोड़
बाजार पूंजीकरण (46 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	₹11,06,539करोड़
निवल लाभ (197 सीपीएसईज)	₹1,36,695 करोड़
निवल हानि (157 सीपीएसईज)	₹33,976 करोड़
घोषित लाभांश (106 सीपीएसईज)	₹71,887 करोड़
कुल परिसंपत्तियां (384 सीपीएसईज)	₹36,97,819करोड़
उत्पादन का मूल्य (384 सीपीएसईज)	₹16,29,359करोड़
निवल मूल्य (384 सीपीएसईज)	₹36,97,819 करोड़

सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों, जो 2015-16 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आयी/ बाहर चली गई के विवरण **परिशिष्ट I** में दिए गए हैं।

इस रिपोर्ट में 53 सीपीएसईज (21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं किये गये है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक के लिए बकाया में थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अंतर्गत थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे या बकाया नहीं थे। इन सीपीएसईज को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II ए तथा परिशिष्ट बी** में दर्शाया गया है।

1.2 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2016 के अंत में 384[4] सरकारी कंपनियों तथा निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज की राशि निम्नलिखित तालिका 1.2 में दी गई है।

[4] 416 सीपीएसईज - 32 सीपीएसईज जिनके लेखे बकाया में थे।

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी निवेश तथा कर्जे

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्त्रोत	31 मार्च 2016 को			31 मार्च 2015 को		
	इक्विटी	दीर्घावधि कर्जे	जोड़	इक्विटी	दीर्घावधि कर्जे	जोड़
1. केन्द्रीय सरकार	2,96,061	78,609	3,74,670	2,68,369	65,617	3,33,986
2. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	44,413	16,640	61,053	41,801	15,267	57,068
3. राज्य सरकारों/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां तथा निगम	24,275	9,839	34,114	21,602	22,156	43,758
4. वित्तीय संस्थाएँ/अन्य	30,132	9,82,819	10,12,951	27,303	8,91,144	9,18,447
जोड़	**3,94,881**	**10,87,907**	14,82,788	**3,59,075**	**9,94,184**	13,53,259
कुल निवेश के प्रति केन्द्रीय सरकार के निवेश की प्रतिशतता	74.97	7.23	25.27	74.74	6.60	24.68

इक्विटी में निवेश तथा कर्जों के मंत्रालय/विभाग वार विवरण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध है।

1.2.1 इक्विटी में निवेश

1.2.1.1 इक्विटी सूचना

2015-16 के दौरान प्रतिवेदन में कवर की गई 384 सीपीएसईज की इक्विटी में निवेश में ₹35,806 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। इन 384 सीपीएसईज की इक्विटी में भारत सरकार के निवेश में 2015-16 में ₹ 27,692 करोड़ तक वृद्धि हुई। 31 मार्च 2016 में समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार तथा अन्य द्वारा सरकारी कंपनियों तथा निगमों में इक्विटी में निवेश चार्ट I में दर्शाया गया है।

चार्ट I: सरकारी कंपनियों तथा निगमों में इक्विटी में निवेश

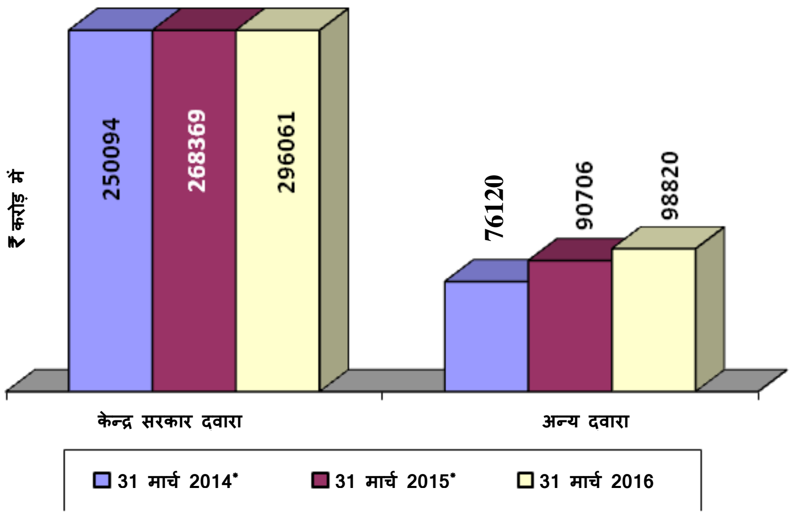

*(*पिछले वर्षों के आंकड़े 2015-16 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लिए लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसईज की प्रदत्त पूंजी में 2015-16 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 1.3 में दिए गए हैं।

तालिका 1.3: केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ करोड़ में)

सीपीएसईज का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	20,994
सरकारी कंपनियां		
इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	रेल	2,400
दिल्ली मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	1,429
डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड	रेल	1,087

1.2.1.2 विनिवेश

वर्ष 2015-16 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 41,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 24,311[5] करोड़ की उगाही की। 2015-16 के दौरान सीपीएसईज वार विनिवेश लाभ तालिका 1.4 में दिया गया है।

[5] स्त्रोत: संघ सरकार, वित्तीय लेखा 2015-16

तालिका 1.4: विनिवेश लाभ की प्राप्ति - इक्विटी शेयर

(₹ करोड़ में)

	सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि
1	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	5.0	1,608.00
2	पावर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	5.0	1,672.00
3	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.0	53.00
4	इंडियन ऑयल कॉरपोरशन लिमिटेड	10.0	9,369.00
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	10.0	643.00
6	एनटीपीसी लिमिटेड	5.0	5,015.00
7	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.0	1,155.00
8	भारत डायनैमिक्स लिमिटेड (शेयरों की वापसी खरीद)	15.0	199.00
9	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (शेयरों की वापसी खरीद)	25.0	4284.00
	जोड़		**23,998.00**

इसके साथ-साथ, ₹ 313 करोड़ अभिमान शेयरों के शोधन से प्राप्त हुए थे, जैसा निम्नलिखित तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: अधिमान शेयरों के शोधन का विवरण

क्र.सं.	सीपीएसईज का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	300.00
2	मेकोन लिमिटेड	13.00
	जोड़	**313.00**

1.2.2 सरकारी कंपनियों तथा निगमों को दिए गए ऋण

2015-16 के दौरान, सरकारी कंपनियों तथा निगमों के दीर्घावधि ऋणों ने ₹ 93,723 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की। सरकारी कंपनियों तथा निगमों के बकाया दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्योंरो को चार्ट II में दर्शाया गया है।

चार्ट II: सरकारी कंपनियों तथा निगमों को दिए गए बकाया दीर्घावधि ऋण

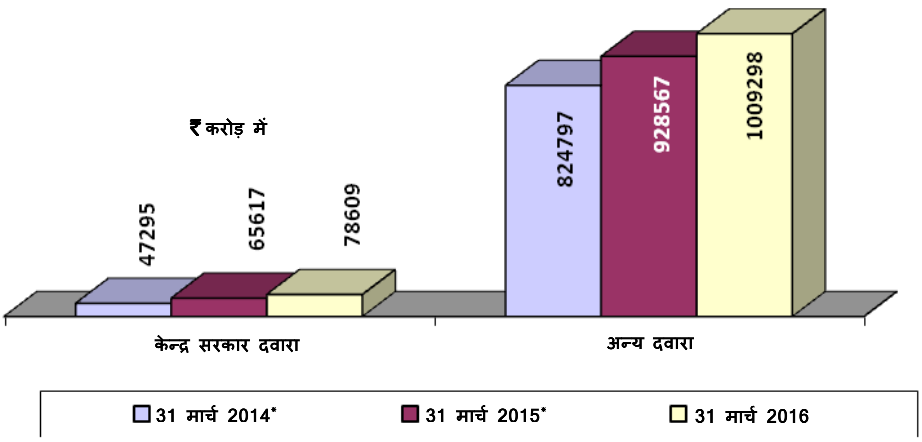

(*पिछले साल के आंकड़े 2015-16 के दौरान अद्यतन जब उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए थे)

31 मार्च 2016 को सभी स्रोतों से 384 सीपीएसईज में बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 10,87,907 करोड़ थे। 2015 16 के दौरान परिसंपत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज की तुलना तालिका 1.6 में दी गई है।

तालिका 1.6: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसंपत्तियों का कवरेज

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीएसईज की सं.	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्तियां	ऋणों के प्रति परिसंपत्तियों की प्रतिशतता	सीपीएसईज की सं.	दीर्घावधि ऋण	परिसंपत्तियां	ऋणों के प्रति परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
		(₹करोड़ में)				(₹करोड़ में)		
सांविधिक निगम	4	78,647	4,01,996	511.14	-	-	-	-
सूचीद्ध कंपनियां	29	6,37,276	16,76,904	263.14	4	4,568	496	10.86
असूचीबद्ध कंपनियां	113	3,54,838	8,75,149	246.63	18	12,578	1,036	8.24
कुल	**146**	**10,70,761**	**29,54,049**		**22**	**17,146**	**1,532**	

चार सूचीबद्ध कंपनियों सहित बाईस सीपीएसईज के पास उनकी कुल परिसंपत्तियों से अधिक ऋण थे। 216 सीपीएसईज (दो सांविधिक निगमों सहित) ऐसी थी जिनके पास कोई दीर्घावधि ऋण नहीं थे।

❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कंपनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती हैं तथा इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज तथा कर से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होगा, उतना ही अधिक कंपनी पर ऋण पर ब्याज का भार होता है। एक से नीचे कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर इसके खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का ब्यौरा तालिका 1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	सीपीएसईजी की सं.[6]	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाली सीपीएसईज की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाली सीपीएसईज की संख्या
सांविधिक निगम					
2013-14	2,312	3,836	3	1	2
2014-15	10,971	12,223	4	2	2
2015-16	11,017	13,343	4	2	2
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2013-14	43,904	1,27,865	32	22	10
2014-15	46,822	1,11,856	34	24	10
2015-16	52,213	1,23,463	33	23	10
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2013-14	17,690	30,883	115	54	61
2014-15	18,869	34,836	126	58	68
2015-16	20,490	26,716	131	57	74

यह देखा गया था कि 2015-16 के दौरान सूचीबद्ध के साथ-साथ असूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के मामले में एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में मामूली रुप से घट गई थी।

[6] उन सीपीएसईज को छोड़कर जिनकी कोई देयता नहीं है।

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों और निगमों द्वारा 170[7] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों[8] में निवेशित पूंजी चार्ट III में दर्शाई गई है:

चार्ट III: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

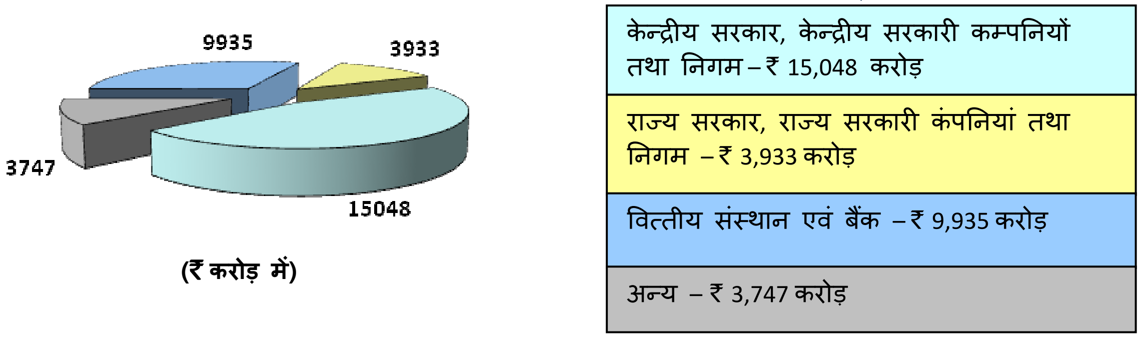

31 मार्च 2016 को इन सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी ₹ 32,663 करोड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी 2015-16 में ₹ 3,390 करोड़ तक बढ़ गई।

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रस्तुत करती है जिनके शेयर सूचीबद्ध है। 46 सरकारी कंपनियों, सरकारी कंपनियों की पाँच सहायक कंपनियां और आठ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां भारत में विभिन्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध थी।

- 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 42 कम्पनियों के शेयरों की 2015-16 के दौरान ट्रेडिंग हुई थी[9] किया गया था। सरकारी कम्पनियों की पाँच सहायक कम्पनियों के संबंध में चार में व्यापार किया गया था और वर्ष के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का व्यापार नहीं किया गया था।
- 31 मार्च 2015 तक ₹ 13,27,781 करोड़ की तुलना में 46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (चार सहायक कम्पनियों सहित) में शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च

[7] 191-21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे बकाया में थे।

[8] कंपनीवार ब्यौरे सीएजी वेबसाईट www.cag.gov.in पर उपलब्ध है।

[9] वर्ष 2015-16 के दौरान हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स (मैनुफैनचरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और (4) केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों का व्यापार नहीं किया गया था।

2016 तक ₹ 11,06,539 करोड़ था। 31 मार्च 2015 की तुलना में, 31 मार्च 2016 तक शेयरों का कुल बाजारी मूल्य ₹ 2,21,242 करोड़ (16.70 *प्रतिशत)* तक घट गया था। 31 मार्च 2016 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (4 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 10,90,177 करोड़ था जिनमें से भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 7,48,881 करोड़ तक था।

- इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स[10] 27957.49 (31 मार्च 2015 को) से घटकर 25,341.86 (31 मार्च 2016 को) हो गया, जो 9.30 *प्रतिशत* घटौती दर्शाता है। एस एंड पी बीएसई-पीएसयू इन्डैक्स[11] 19.70 प्रतिशत तक घट गया (31 मार्च 2015 को 7,607.95 से 31 मार्च 2016 तक 6,106.65)।

- 31 मार्च 2016 तक 4 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों की ट्रेडिंग 2015-16 के दौरान हुई थी, ₹16,362 करोड़ रहा था। 31 मार्च 2015 की तुलना में 31 मार्च 2016 तक चार सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य बढ़ कर ₹ 1,949 करोड़ तक हो गया था।

- 31 मार्च 2016 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाली टॉप 10 सीपीएसईज़ तालिका 1.8 में दी गई हैं:

तालिका 1.8: उच्चतर बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसईज़ (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण
1	कोल इण्डिया लिमिटेड	1,84,438
2	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,83,729
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,06,202
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	95,528
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	72,771
6	भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	65,193
7	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	45,202

[10] एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स की गणना मुख्य भागों में बड़े सुव्यवसस्थित और वित्तीय रूप से ठोस दर्शाते हुए 30 घटक स्टॉक दर्शाते हुए बाजार पूंजीकरण भारित तंत्र पर की जाती है।

[11] एस एंड पी बीएसई सीपीएसईज इन्डेक्स बीएसई में सूचित सीपीएसईज से निहित होती है।

8	एनएमडीसी लिमिटेड	38,834
9	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	29,268
10	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	27,841

16 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य 26 सीपीएसईज़ में कमी हुई। बाजार पूंजीकरण में ₹ 2,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसईज़ तालिका 1.9 में दिए गए हैः

तालिका 1.9: ₹ 2,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसईज़

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2015 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2016 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58,566	65,193	6,627
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	89,421	95,528	6,107
3	एनएचपीसी लिमिटेड	22,031	26,680	4,649
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	22,014	26,601	4,587
5	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	26,778	29,268	2,490

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित लाभ

लाभ[12] कमाने वाली सीपीएसईज़ की संख्या 2014-15 में 198 की तुलना में 2015-16 के दौरान 197 थी। अर्जित लाभ 2014-15 में ₹ 1,36,591 करोड़ से 2015-16 में ₹ 1,36,695 करोड़ तक बढ़ गया था। 2013-14 से 2015-16 के दौरान लाभ कमाने वाली सीपीएसईज की संख्या चार्ट- IV में दर्शाई गई हैं:

[12] ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 384 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण सीएजी वेबसाईट <www.cag.gov.in> पर उपलब्ध है।

चार्ट IV: लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसईज़ की संख्या

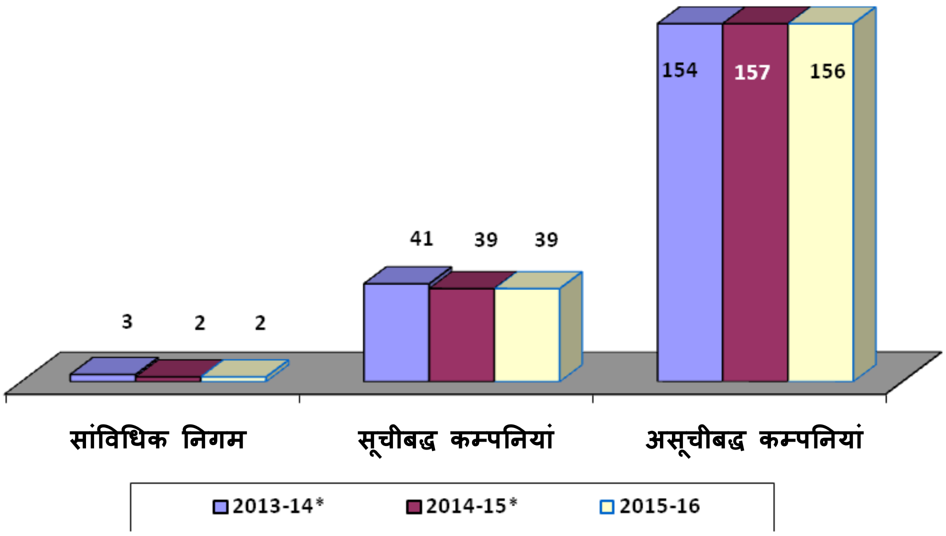

(*2015-16 के दौरान पिछले वर्षों के आंकड़ों को अद्यतित किया गया था जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.10 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.10: वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसईज़ की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	8	44,245	32.37
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	1,343	0.98
जोड़	12	45,588	33.35
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	17,548	12.84
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	6	11,339	8.30
जोड़	8	28,887	21.14
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	20,118	14.72
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	23	4,844	3.54
जोड़	27	24,962	18.26
जोड़ (1) से (3)	**47**	**99,437**	**72.75**

2014-15 के दौरान 48 सीपीएसईज़ द्वारा 66.00 *प्रतिशत* योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 47 सीपीएसईज़ द्वारा योगदान 2015-16 के दौरान, कुल लाभ का 72.75 *प्रतिशत* वाले ₹ 99,437 करोड़ के निवल लाभ किया गया था।

निम्नलिखित सीपीएसईज़ की सूची है जिन्होंने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया था तालिका 1.11 में दिया गया है:

तालिका 1.11: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ वाले सीपीएसईज़ की सूची

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	कोल इंडिया लिमिटेड	16,344
2	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,004
3	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	10,399
4	एनटीपीसी लिमिटेड	10,243
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,432
6	पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6,113
7	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,027
8	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,628
जोड़		**78,190**

यह देखा जा सकता है कि इन आठ सीपीएसईज़ ने 2015-16 के दौरान 197 सीपीएसईज़ द्वारा कुल अर्जित लाभ का 57.00 *प्रतिशत* का योगदान किया।

1.3.2 सीपीएसईज़ द्वारा लाभांश भुगतान

अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: अर्जित लाभ और लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश			
	सीपीएसईज़ की संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
सांविधिक निगम	2	725	2,735	821
सूचीबद्ध कंपनियां	32	53,719	1,00,326	49,389
असूचीबद्ध कंपनियां	72	41,989	29,054	21,677
कुल	**106**	**96,433**	**1,32,115**	**71,887**

2015-16 में लाभांश की घोषणा करने वाले 106 सीपीएसईज़ थे। इन सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2014-15 में 44.30 *प्रतिशत* से बढ़ कर 2015-16 में 54.40 *प्रतिशत* हो गया, जिसे चार्ट V में दर्शाया गया है। कुल मिलाकर, सीपीएसईज़ द्वारा 2015-16 में घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 14,139 करोड़ तक बढ़ गया।

चार्ट V: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश

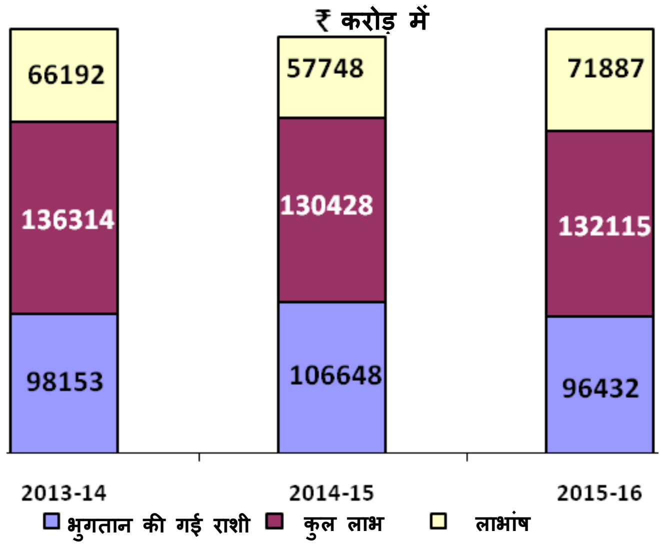

चालू वर्ष में 106 सीपीएसईज़ द्वारा घोषित ₹ 71,887 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 41,185 करोड़ था। 2014-15 के दौरान 12.72 *प्रतिशत* की तुलना में 384 सीपीएसईज़ की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,96,061 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 13.91 *प्रतिशत* था। इसी प्रकार 34 सीपीएसईज़ ने अन्य सीपीएसईज़ की इक्विटी धारण में ₹ 6,609 करोड़ की दी गई पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 18,438 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 13 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 16,570 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2015-16 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 71,887 करोड़ के कुल लाभांश का 23.05 *प्रतिशत* था।

मई 2016 में वित्त मंत्रालय (निवेश एवं सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग) द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसईज़, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमत लाभांश के अधीन, कर के पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत का वार्षिक लाभांश या निवल मूल्य का पाँच प्रतिशत जो अधिक हो का भुगतान करेगी। तथापि, 37 कम्पनियॉ जिन्होंनें लाभांश घोषित किया था[13] (सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) ने जैसा कि ***परिशिष्ट III*** में दिया गया है सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम लाभांश कम घोषित किया यद्यपि उन्होंने लाभ अर्जित किया था। इसके कारण 2015-16 में कुल कमी ₹ 9,011 करोड़ थी।

2015-16 के दौरान दो[14] सीपीएसईज ने ₹ 99.75 करोड़ का लाभांश घोषित किया जबकि वर्ष के दौरान उन्हें ₹ 922.34 करोड़ की हानि हुई थी।

1.3.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान 170[15] सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से, 111 कम्पनियों ने ₹ 5,719 करोड़ का लाभ कमाया। इन 111 कम्पनियों में से, 45 ने ₹ 1,036 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी ₹ 8,766 करोड़ की कुल प्रदत्त पूंजी का 11.80 *प्रतिशत* का द्योतक था। तथापि 2015-16 के दौरान 42 कम्पनियों को ₹ 2,516 करोड़ की हानि हुई। शेष 17 कम्पनियों ने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया या वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ नहीं किए थे। एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी[16] ने 5 करोड़ का लाभांश घोषित किया यद्यपि इसे ₹ 22 करोड़ की हानि हुई थी।

46 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों जिन्होंने 2015-16 के दौरान लाभांश घोषित किया था, नीचे तालिका 1.13 में दिया गया हैः

---

[13] लाभांश में कमी की गणना हेतु, केवल उन सीपीएसईज को लिया गया था जिन्होंन वर्ष के दौरान लाभांश घोषित किया था।

[14] भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड एवं प्रोजेक्टस एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड

[15] 191-21 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां जिनकें खाते बकाया में थे।

[16] कैनबैंक फाइनेनशियल सर्विसेस लिमिटेड

तालिका 1.13: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएँ	29	5672	2156	716
विद्युत	3	1592	324	151
बीमा	1	1000	861	120
परिवहन सेवाएं	1	164	38	30
पेट्रोलियम	1	60	33	8
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	1	250	269	6
व्यापार एवं विपणन	1	41	11	4
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	8	16	19	4
खनिज एवं धातु	1	1	11	2
कुल	**46**	**8796**	**3722**	**1041**

1.4 घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़

157 सीपीएसईज़ को वर्ष 2015-16 के दौरान घाटा हुआ था। इन सीपीएसईज़ द्वारा उठाये गये घाटे में 2014-15 के दौरान ₹ 29,659 करोड़ से 2015-16 में ₹ 33,976 करोड़ तक की काफी वृद्धि हुई जिसका तालिका 1.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.14: वर्ष के दौरान हानियां उठाने वाली सीपीएसईज की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाली सीपीएसईज की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि	संचित हानि	निवल सम्पत्ति[17]
		(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम				
2013-14	1	-995	0	14,863
2014-15	1	-1,334	0	13,944
2015-16	1	-1,143	0	13,268
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2013-14	10	-4,574	21,245	-5,606
2014-15	11	-7,908	18,919	-5,607
2015-16	11	-10,836	22,856	83,172

[17] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा नि:शुल्क आरक्षित निधि तथा बेशी रहित संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड। नि:शुल्क आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी राजस्व परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिवेदन में से सृजित राजस्व को शामिल नहीं किया गया है।

असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/ निगम				
2013-14	104	-17,138	64,763	47,885
2014-15	120	-20,417	74,505	48,967
2015-16	145	-21,997	80,642	92,810
जोड़				
2013-14	**115**	**-22,707**	**86,008**	**57,142**
2014-15	**132**	**-29,659**	**93,424**	**57,304**
2015-16	**157**	**-33,976**	**1,03,498**	**1,89,250**

वर्ष 2015-16[18] के दौरान सीपीएसईज जिन्होंने ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि वहन की तालिका 1.15 में दी गई है।

तालिका 1.15: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाली सीपीएसईज

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	2014-15 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,137
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	3,880
3	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्यूफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	2,528
4	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	2,322
5	ओएनजीसी इस्पात निगम लिमिटेड	2,059
6	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1,421
7	दामोदर वैली कार्पोरेशन	1,143
8	पीईसी लिमिटेड	1,142

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2016 तक 174 सीपीएसईज थीं, जिनकी संचित हानि 1,22,934 करोड़ थी। वर्ष 2015-16 के दौरान 174 सीपीएसईज में से 133 सीपीएसईज ने 18,561 करोड़ की राशि की हानि वहन की तथा वतर्मान वर्ष 2015-16 में 41 सीपीएसईज ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें 19,436 करोड़ की संचित हानि हुई थी।

67 सरकारी कम्पनियों (174 में से) की निवल सम्पत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित की गई थी और उनकी निवल संपत्ति नकारात्मक थी। इन 67 कम्पनियों की निवल संपत्ति 31 मार्च 2016 को 28,053 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 79,227 करोड़ थी। इसमें छः सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति

[18] एयर इंडिया के 2015-16 के खाते अक्टूबर 2016 में प्राप्त हुए थे, अत: उन्हें रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। 2014-15 के दौरान ₹ 5860 करोड़ की हानि के प्रति 2015-16 में ₹ 3837 करोड़ थी।

₹ 1,792 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-) 27,037 करोड़ थी। 67 सीपीएसईज जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, में से केवल छ: सीपीएसईज ने 2015-16 के दौरान ₹ 456.62 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था।

67 सीपीएसईज में से 24, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2016 को 17,522 करोड़ थी। इसमें ₹ 4,559 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली पॉच सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है। संभावित रूग्णता दर्शाते हुए 341 सीपीएसईज, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 30 सीपीएसईज की निवल संपत्ति 31 मार्च 2016 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 15,627 करोड़ के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान 384 सीपीएसईज़ में उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा लगाई गई पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VI में दिया गया है:

चार्ट : VI

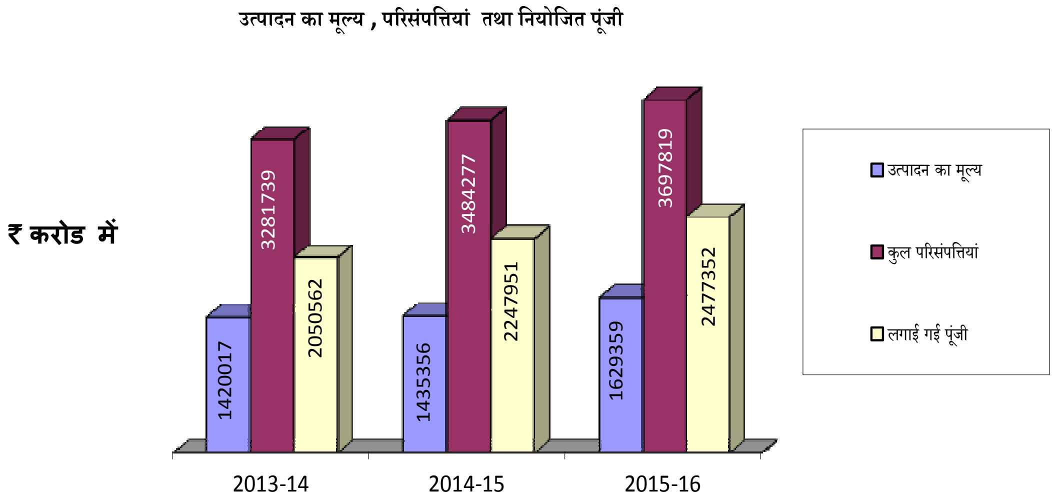

पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2015-16 के दौरान, 384 सीपीएसईज की कुल बिक्री ₹ 18,24,202 करोड़ थी। इनमें से 118 सीपीएसईज ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 8,99,514 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,17,301 करोड़ मूल्य की बिक्री की/ सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्रों को इन 118 सीपीएसईज की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में 24.16 *प्रतिशत* तक निकाली गई।

80 सीपीएसईज थे जिन्होंने ₹ 1.58.812 करोड़ मूल्य का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की। यह उनकी ₹ 10,92,643 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति 14.50 *प्रतिशत* परिकल्पित किया गया। 384 सीपीईज द्वारा की गई ₹ 18,24,202 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति निर्यात बिक्री राशि 8.70 *प्रतिशत* थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज तालिका 1.16 में दी गई है:

तालिका 1.16: 2015-16 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	32,590
2	रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड	23,638
3	एयर इंडिया लिमिटेड	20,217
4	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14,960
5	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	9,711
6	युनाईडिट इंडिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड	9,510
जोड़		**1,10,626**

इन छः सीपीएसईज की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसईज के कुल निर्यात का 69.60 *प्रतिशत* है।

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रोन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्यों को करना पड़ता हैं। वर्ष

2015-16 के दौरान, 51 सीपीएसईज़ ने अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर ₹ 4,806 करोड़ व्यय किए थे। सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 500 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय किए थे, को तालिका 1.17 में दिया गया है:

तालिका 1.17: ₹ 500 करोड़ से अधिक के आर एंड डी व्यय वाले सीपीएसईज

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	निवल लाभ के प्रति आर एंड डी व्यय की प्रतिशतता
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	1,182	1,654	71.5
2	गेल (इंडिया) लिमिटेड	735	2,299	32
3	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	704	1,358	51.8
4	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	597	10,399	5.7
5	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	564	16,004	3.5

अध्याय II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करना या उस पर टिप्पणी जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के साथ पठित धारा 96 तथा 145 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्रत्येक वर्ष आयोजित इसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते है।

> वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जून/जुलाई 2015 के दौरान की गई थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान किया जाता है कि स्टाक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) को प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित

समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवाकर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए वर्ष 2015-16 के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जून/जुलाई 2015 के दौरान की गई थी।

2.3 सीपीएसईज द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य सभा (एजीएम) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्त विवरण उक्त एजीएम को उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के साथ अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशकों सहित पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के लगाने का भी प्रावधान है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों तथा सरकारी नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

601 सरकारी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में से 99 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

31 मार्च 2016 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 410 सरकारी कम्पनियां तथा 191 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां थीं। जिनके वर्ष 2015-2016 के लेखे बकाया थे। 30 सितम्बर 2016 को या इससे पहले कुल 341 सरकारी कम्पनियों तथा 161 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 69 सरकारी कम्पनियों तथा 30 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं में ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 2.1 में दिया गया हैं:

तालिका 2.1: सीपीएसई के संबंध में बकाया का विवरण

विवरण	सरकारी कम्पनी			सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी			कुल		
	सूचीबद्ध	गैर सूचीबद्ध	कुल	सूचीबद्ध	गैर सूचीबद्ध	कुल	सूचीबद्ध	गैर सूचीबद्ध	कुल
2015-16 हेतु कम्पनियों के बकाया लेखे	51	359	410	8	183	191	59	542	601
30 सितम्बर 2016 द्वारा सीएजी की	50	291	341	8	153	161	58	444	502

लेखापरीक्षा हेतु कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे										
प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए	-		1	1	-	2	2	-	3	3
बकाया लेखे	1		67	68	-	28	28	1	95	96
बकाया का विभाजन	(i) परिसमापन अधीन	-	21	21	-	8	8	-	29	29
	(ii) निष्क्रिय	-	3	3	-	6	6	-	9	9
	(iii) अन्य	1	43	44	-	14	14	1	57	58
अन्य श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	एक वर्ष (2015-16)	1	27	28	-	9	9	1	36	37
	दो वर्ष (2014-15 और 2015-16)	-	10	10	-	2	2	-	12	12
	तीन वर्ष और अधिक	-	6	6	-	3	3	-	9	9

परिशिष्ट ।। क और परिशिष्ट ।। ख में इन कम्पनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, चार[19] ने समय पर अर्थात 30 सितम्बर, 2016 से पहले लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2015-16 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2015-16 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे जनवरी 2017 में प्राप्त हुए। केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है तथा लेखा समय पर प्राप्त हुए थे।

[19] भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है

- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा

सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा ' की प्रणाली आरंभ की। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध ', नवरत्न, 'मिनीरत्न ' और 'सांवधिक निगमों' की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए सीपीएसईज में लागू किया गया था:

- सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी संप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।
- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से

तीन चरणीय लेखापरीक्षा

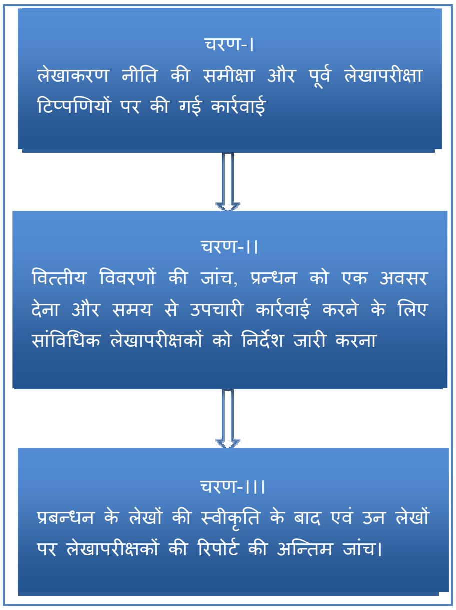

उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाती है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा के चरण-I और चरण-II के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 87 सीपीएसईज ने अपने वित्तीय विवरणों में अनेक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2015-16 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव

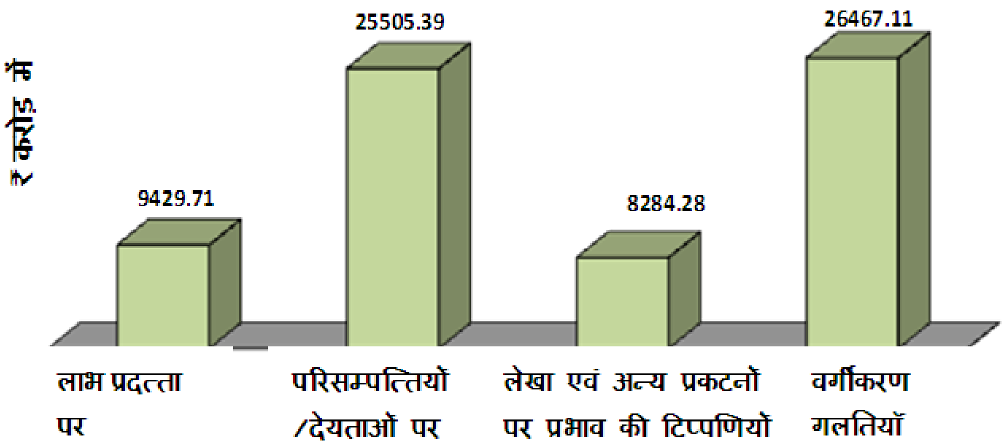

सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गयाः

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
2.	जनरल इन्श्योरेंश कार्पोरेशन आफ इंडिया
3.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
4.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	एनएचपीसी लिमिटेड
8.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9.	एनटीपीसी लिमिटेड
10.	आयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
11.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया
13.	रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
15.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2015-16 के लिए 312 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरण 341 सरकारी कम्पनियों (50 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित), 161

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (8 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा पाँच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से जोखिम आकलन के आधार पर 229 सरकारी कम्पनियों और 83 सरकार नियंत्रित कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त लेखाओं में से 67 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनियों और 52 *प्रतिशत* सरकार नियंत्रित कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2015-16 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

सूचीबद्ध कंपनियाँ

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	• डूबत और शंकित परिसंपत्तियों के लिए भत्ते ₹ 66.28 करोड़ तक कम बताये गये। • आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार, मैसर्स जंगीपुर बंगाल मैगा फूडपार्क लिमिटेड को दिया गया ऋण उप मानक परिसंपति थी, इसी प्रकार, 10 *प्रतिशत* की दर पर प्रावधान किया जाना था जबकि प्रावधान केवल 5 *प्रतिशत* का बनाया गया जिसके कारण ₹ 2.21 करोड़ का कम प्रावधान हुआ। • ऋणों की पुन: संरचना के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन द्वारा अधिग्रहित इस्सार स्टील लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और पोलीजेंटा टैक्नोलॉजिज लिमिटेड के गैर उद्धृत इक्विटी शेयर नये गैर-चालू निवेश के रूप में माने गये थे। इन निवेशों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाजन मूल्य पर निर्धारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.05 करोड़ तक निवेश मूल्य में कमी के प्रावधान को कम बताया गया।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग के अनुसार 2007-08 से 2010-11 और 2012-13 की अवधि से संबंधित लाइसेंस फीस के गैर प्रावधान के कारण ₹ 590.90 करोड़ की लाइसेंस फीस कम बताई गई।
स्टील अथारीटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्टील उद्योग हेतु अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई सोसाइटी 'स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया के संस्थापक सदस्य के रूप में प्रवेश फीस के कम्पनी के भाग को न जोडने के कारण अन्य चालू देयताएं ₹33.95 करोड़ कम बताये गये।
द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	एएस-9 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ग्लोबल स्टील फिलीपिंस इंक/ ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड से वसूली योग्य बकाया देय पर ब्याज सहित 'अन्य आय' में ₹ 228.33 करोड़ शामिल थे।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	कंपनी द्वारा फाइल की गई सेवाकर रिटर्न और वित्तीय विवरणों में दर्शाए उपलब्घ 'सेनवेट क्रेडिट' के अन्तर में समाप्त नहीं किया गया था।
ऑयल तथा नेच्यूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	क्षतिपूर्ति प्रावधानों के अयोग्य व्यूत्क्रमण के कारण विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति को ₹ 897.96 करोड़ तक कम बताया गया।
स्टील अथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	संयुक्त संयंत्र समिति, इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत इस्पात विकास निधि को देय 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 88 करोड़ की वार्षिक नकद प्रतिबद्धता के बकाया को दीर्घ अवधि देयता के रूप में माना गया।
द स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	वसूली की कम दर और उपयुक्त सुरक्षा की कमी के मद्देनजर बकाया सहित व्यापार प्राप्य राशियों को अच्छा नहीं माना गया • 2008- 2010 की अवधि के दौरान निर्यातित स्टील स्लैब के संबंध में ग्लोबल स्टील फिलीपिंस इंक/ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड से वसूली योग्य- ₹ 1740.42 करोड़।

	• कॉपर बियरिंग सामग्री के आयात/ खरीद हेतु मैसर्स झगड़िया कॉपर लिमिटेड से 2010 तक वसूली ₹ 122.77 करोड़

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
पावर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के आदेशानुसार 'पुन: गठित उप-मानक' के स्थान पर पुन: गठित मानकों के रूप में मानी गई टिप्पण संबंधी परिसंपत्ति घोषित लेखांकन नीति से विचलन के कारण प्रभाव को प्रकट नहीं किया। यदि परिसंपत्ति को 'प्रतिबंधित उप-मानक' के रूप में माना जाता (i) जो ब्याज आय जिसको पहचाना नहीं गया था: ₹ 328.78 करोड़ और (ii) अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक है- ₹ 276.37 करोड़ भी प्रकट नहीं किये गये थे।
स्टील ऑथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	पलैट निर्माण द्वारा ₹ 139.65 करोड़ के किए गए दावे आकस्मिक देयता के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
एनटीपीसी लिमिटेड	सांविधिक बकाया की विवादित मांग के संबंध में उपयुक्त अधिकारियों को ₹ 6545.43 करोड़ की जमा राशि की सूचना नहीं दी गई थी।

❖ **गैर सूचीबद्ध कम्पनियां**

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पण
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2014-15)	• उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को देय विद्युत प्रभारों के प्रति ₹ 270.47 करोड़ की चुकाई गई राशि के प्रति केवल ₹ 126.54 करोड़ के प्रति प्रावधान के लिए बकाया ₹ 143.93 करोड़ तक चालू देयताओं को कम बताया गया।

	• सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्यूरिटी फोर्स के मूल बकाया पर देय ब्याज के प्रति ₹ 23.99 करोड़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
कोलकाता मैट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	• चालू कर व्यय में लघु अवधि जमा पर ब्याज आय के प्रति देय आय कर शामिल नहीं किया गया ₹-12.01 करोड़ • प्रतिलिखित विगत वर्ष से संबंधित कराधान के लिए प्रावधान ₹-10.86 करोड़
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	• निम्नलिखित के कारण कर के बाद लाभ कम बताया गया : • नेपाल भूकंप दावों के विषय में पुन: बीमाकर्ताओं से पुन:बीमा के गैर लेखा के कारण -₹ 35.95 करोड़ • पूंजी व्यय की अपेक्षा राजस्व व्यय के रूप में खरीदी गई आईटी परिसंपत्तियां का शामिल करना - ₹ 8.94 करोड़

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कम्पनी केवल इंडिया मार्केट टेररिज्म रिस्क इंश्योरेंस पूल की एक मनैजर है, इस प्रकार, टेररिज्म पूल परिसम्पत्तियां (टीपी) और टीपी देयताएं कम्पनी से संबंधित नहीं है। शीर्ष चालू परिसंपत्तियां और चालू देयताओं के अन्तर्गत टीपी परिसंपत्तियों और देयताओं के क्रमश: ₹ 5547.53 करोड़ के कारण उक्त राशि द्वारा दोनों चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं में अधिक बताए गए।
नेशनल बैकवर्ड क्लासिज फाइनैंस एंड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन	अवधि ऋण और माइक्रो फाइनैंस पर देय न होकर प्रोदभूत ब्याज (₹ 4.41 करोड़) और प्राप्य ब्याज (₹41.93 करोड़) जो चालू परिसंपत्तियों की प्रकृति के नहीं थे, के शामिल होने के कारण ऋण और अग्रिम अधिक बताये गये थे।

नेशनल शेडयूडलड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन	• मूर्त परिसंपतियां - स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर नई दिल्ली के भवन प्रणाली उन्नयन कार्य की लागत न जोडने के कारण ₹61.54 करोड़ तक बिल्डिंग लीजहोल्ड कम बताये गये। • ऋण और अग्रिम के अंतर्गत शामिल किये गये ₹ 29.59 करोड़ के ब्याज प्राप्य चालू परिसंपत्तियों की प्रकृति के थे।
ओएनजीसी पेट्रो एडीसंस लिमिटेड	• जनवरी 2015 से मार्च 2016 की अवधि हेतु मै. गुजरात केमीकल पोर्ट टर्मिनल कम्पनी लिमिटेड को देय नपथा हेतु भंडारण रेंटल प्रभार के शामिल न करने के कारण ₹ 14.70 करोड़ की अन्य चालू देयताएं कम बताई गई • लीजहोल्उ लैंड की उपयोगपूर्ण अवधि में संशोधन के कारण, 2011-12 से 2014-15 की अवधि के लिए अंतरीय मूल्यह्रास को पूर्व अवधि मदों से प्रतिलिखित करना लेखांकन मानक 6 के अनुसार नहीं था, जिसे लीजहोल्ड लैंड को अधिक तथा पूंजीगत प्रगति कार्य को कम बताया गया था। • संयंत्र और मशीनरी की संरचना, स्थापना और संस्थान के ₹ 102.84 करोड़ को बिल्डिंग के रूप में माने जाने के कारण बिल्डिंग को अधिक बताया गया और संयंत्र और मशीनरी को कम बताया गया। दीर्घावधि ऋण और अग्रिम निम्नलिखित के पास जमा कराने के कारण अधिक बताये गये थे। • मै. गुजरात इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन में पाईपलाईन निर्माण कार्य पूरा हो चूका था; के कार्यान्वयन के प्रति - ₹ 35.05 करोड़ • मै. टोरेंट एनर्जी लिमिटेड में टारेंट एनर्जी से एचटी सेवा पावर लाईव करने के लिए जो पुरा हो चूका है, के लिए - ₹ 6.50 करोड़

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	सहायक कम्पनियों के संबंधित पार्टियों के ऋण और अग्रिम में शामिल, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो निष्क्रिय कम्पनी है और जिसके वित्तीय विवरण 2010-11 से अनुरक्षित और मिलान करके नहीं रखे गए थे, से वसूली योग्य ₹ 25.30 करोड़ (ऋण के प्रति ₹ 12.16 करोड़ और ब्याज के प्रति ₹ 13.14 करोड़) शामिल किए गए थे, इसको दर्शाया नहीं गया था।
इरकॉन शिवपुरी टॉलवे लिमिटेड	नेशनल हाइवे अथारिटी ऑफ इंडिया के साथ किए गए कन्सेशंन समझौते के अनुसार निश्चित किए गए इस्क्रो लेखो से संबंधित बैंक में बकाया शेष (चालू खाता ₹ 36.94 करोड़ और निश्चित जमा ₹ 1.40 करोड़) को प्रकट नहीं किया गया था।
कमराजर पोर्ट लिमिटेड	नमक विभाग से कम्पनी द्वारा अधिग्रहित 647.66 एकड़ भूमि अनुभाजन में से 1.84 एकड़ भूमि को पहले ही तमिलनाडु सरकार द्वारा मैं; जोरी सीमेंटस को लीज पर दिया जा चूका था। कम्पनी ने उक्त लीज को निरस्त करने के लिए तमिलनाडू सरकार को अपील दायर की थी। इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया।
नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	राजीव गांधी जीवनोदय आरोग्य योजना नीतियों को लागू करते समय पैनल वाले अस्पतालों के दावों के भुगतान में विलंब के कारण महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 37.65 करोड़ के निर्णित हर्जानों की मांग को प्रकट नहीं किया गया था।
नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	पूंजीगत खाते पर लागू किए जाने के लिए शेष ठेकों के ₹ 13.69 करोड़ की संभावित राशि और न दी गई राशि को प्रकट नहीं किया गया था।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	वर्ष 2014-15 हेतु कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के अन्तर्गत कम्पनी के लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के रूप में कम्पनी के वार्षिक सामान्य बैठक में रखने की अपेक्षा 'परिशिष्ट-I' के रूप में वर्ष 2014-15 की निदेशक रिपोर्ट में शामिल की गई थी।
रेल विकास निगम लिमिटेड	एसपीवी मैसर्स कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड द्वारा दिए गए पालनपुर समाखली परियोजना से संबंधित ₹ 42.40 करोड़ की ठेका राजस्व राशि निर्माण समझौते के हस्ताक्षर किए गए बिना खाते में दर्शाया गया। इसको प्रकट नहीं किया गया।
सेल राईप्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी ने यह प्रकट नहीं किया "रखे गए शेयर की संख्या को विनिर्दिष्ट करते हुए 5 *प्रतिशत* शेयरों से अधिक वाले प्रत्येक शेयर धारक का कम्पनी में भाग"

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड	विविध देनदारों के बकाया और ट्रेड प्राप्य की सभी पार्टियों के संबंध में पुष्टि नहीं की गई थी।
नाबार्ड कंसल्टैंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता पर टिप्पणियां नहीं की गई थी।

❖ **गैर-सूचीबद्ध सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां**

लाभ प्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	कम्पनी ने योग्य परिसंपत्तियों से संबंधित अपनी लेखाकरण नीति को परिवर्तित कर दिया और इसे निर्धारित परिसंपत्तियों के रूप में पुन: वर्गीकृत कर दिया । 31 मार्च 2015 तक दिया गया मूल्य ह्रास को प्रतिलिखित किया गया था और केन्द्रीय विद्युत नियामक कमीशन टैरिफ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट

	दरों को पूर्व प्रभाव से पुन: गणना की गई। कम्पनी द्वारा अपनाया गया व्यवहार आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्श समिति के विचारानुसार नहीं था जिसके कारण ₹ 41.32 करोड़ तक मूर्त परिसंपत्तियां का अधिक कथन हुआ।

❖ सांविधिक प्राधिकरण जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक प्राधिकरण जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, के संबंध में सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:

एयरपोर्टस अथारिटी ऑफ इंडिया

(i) श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हेतु जे एंड के पुलिस के एंटी हाईजैकिंग व्यय के भुगतान हेतु बनाये गये अधिक प्रावधान के कारण ₹ 21.73 करोड़ तक ट्रेड देय अधिक बताये गये थे।

(ii) 1997-98 से 2015-16 की अवधि के दौरान ली गई मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं की लागत के प्रति भारतीय मौसमविज्ञान विभाग को देय राशि के रूप में बकाया के ₹ 57.06 करोड़ ट्रेड देय कम बताये गये।

(iii) अन्य चालू देयताएं और लघुअवधि प्रावधान निम्नलिखित हेतु देयता के गैर प्रावधान के कारण ₹ 11.14 करोड़ तक कम बताये गये:

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
1	गगन कांट्रैक्ट के अंतर्गत सॉफ्टवेयर प्रबंधन तकनीकी सहायता	1.47
2	राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हैदराबाद पर ओ एंड एम कार्यालय हेतु लाइसेंस फीस का भुगतान	0.24
3	इसीपीएफ ट्रस्ट से मांग	1.95
4	मार्च 2016 माह के विद्युत प्रभार	0.60
5	वडोदरा हवाईअड्डे पर कपड़े उपस्कर, हथियार और गोलाबारूद की लागत	0.17
6	विशाखापट्नम हवाई अड्डे पर सुंदरता और लैंडस्केपिंग कार्य से संबंधित कार्य	6.71
	कुल	**11.14**

(iv) निम्नलिखित के कारण अन्य चालू देयताओं और लघु अवधि प्रावधानों को ₹ 70.19 करोड़ तक अधिक बताया गया :

क्रम सं..	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	कम्पनी द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरे किये और ग्राहक को सुपुर्द किए गए कार्य से संबंधित ग्राहक से प्राप्त किए गए अग्रिम का गैर समायोजन	1.85
(ii)	डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए तथा अदा किए गए प्रवीणता भत्ते के गैर समायोजन में कर प्रावधान के दोहरे समायोजन निश्चित जमा प्राप्तियों पर ब्याज जोड़ने के कारण निष्पादन संबंधी भुगतान का अधिक प्रावधान	68.34
	कुल	**70.19**

(v) अन्य चालू देयताओं और अल्पावधि प्रावधानों को 2013-14 और 2014-15 के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा मंजूरी प्राप्यो पर देय ₹ 29.95 करोड़ की सेवा कर को सम्मिलित नहीं किया गया था।

वर्ष 2014-15 में भी इस विषय को उठाया गया था लेकिन कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये थे।

(vi) पूंजीगत प्रगति कार्य, गैर-पूंजीकरण के कारण ₹ 52.33 करोड़ रूपये से अधिक दर्शाए गए।

क्रम सं.	**विवरण**	**मूॅल्यराशि**	**मूल्याहृास की राशि (पूर्व अवधि सहित)**
1.	संयंत्र और उपकरण फ्रीहोल्ड, अर्थात, यात्री बोर्डिंग पुल, सुरक्षा उपकरण, डीवीओआर पर विद्युत कार्य, ब्रीदिंग एअर कंप्रेसर, वीएचएफ ट्रासंमीटर/रीसीवर, सोलर ग्रीप, आईएलएस, एएसएमजीसीएस, मई 2009 और मार्च 2016 के बीच की अवधि के दौरान पूर्ण की गयी परिसंपत्तियों से संबंधित विद्युत कार्य।	47.56	7.63 (₹2.05 करोड़ पूर्व अवधि)
2.	मास्टर क्लॉक सिस्टम-सर्वर, सीआईएसएफ निवास, जल निकासी व्यवस्था, चारदीवारी, इत्यादि	4.77	1.19 (₹0.75 करोड़ पूर्व अवधि)
	कुल	**52.33**	**8.82**

(vii) पूंजीगत प्रगति कार्य ₹ 9.65 करोड़ से कार्यों के पूंजीकरण के कारण अधिक दर्शाए गए थे, जो राजस्व प्रकृति के थे अर्थात, फर्श की टाइल का प्रतिस्थापन, एम्पलीफायर पैनल, दोषपूर्ण एलटी पैनल सहायक उपकरण, एएमसी और प्रशिक्षण प्रभार, आईटी बैकअप साइट के प्रतिबंध पर व्यय, प्रतिबंधित परियोजना पर भुगतान की गयी परामर्श शुल्क, कोलकत्ता विमान पत्तन पर रनवे के पुनर्निर्माण पर व्यय, इत्यादि जिसको व्यय के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए था।

(viii) दिल्ली अर्न्तराष्ट्रीय विमान पत्तन लिमिटेड (डीआईएएल-₹ 2302.66 करोड़) और मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन लिमिटेड (एमआईएएल-₹ 1066.23 करोड़) की विमान पत्तन पट्टे राजस्व से प्राप्त आय सम्मिलित है। प्रासंगिक अभिलेखों के आभाव मे, खातो की पुस्तको में परिलक्षित विमान पत्तन के पट्टे के राजस्व की यथार्थता को प्राधिकार स्वरूप नहीं दिया जा सका था।

(ix) 43.49 एकड़ मापित अनुभाजित भूमि के हिस्से के संतुलन के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा मांग की गयी राशि के गैर-प्रकटीकरण के कारण ₹ 123.20 करोड़ रूपये की आकस्मिक देनदारियां अल्पदर्शित हुई थी, जो प्राधिकरण के अधिकार के अधीन और चारदीवारी के द्वारा कवर की गयी थी और जिनको न तो अधिगृहित किया गया और न ही हस्तांतरित किया गया था। प्राधिकरण के द्वारा राज्य सरकार से समान हस्तांतरण को लागत मुक्त प्राप्त करने के लिए मांग विवादास्पद हो गयी थी। टिप्पणियों में प्रकटीकरण इस सीमा तक अपूर्ण था।

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम 2013 धारा की 129 (1) और धारा 133 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत लेखाकंन मानक 1 से 7 और 9 से 29 का नियम निर्धारित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि **परिशिष्ट- IV** में ब्यौराबद्ध 14 कम्पनियां अनिवार्य लेखाकंन मानकों से विचलित हुई।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखाकंन मानकों का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांवधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दर्शाया नहीं गया था:

लेखांकन मानक		कंपनी का नाम	विचलन
एएस-2	माल सूची का मूल्यांकन	कान्ति बिजली उत्पादन लिमिटेड	कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा को नहीं उठाने के लिए कोयला कंपनियों को किया गया दंड का भुगतान माल-सूची की लागत मे जोडा गया था।
एएस - 3	नगद प्रवाह विवरण	पंजाब लोगस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	15 वर्षों के लिए एचडीएफसी बैंक से प्राप्त आवधिक ऋण (₹ 10 करोड़) वित्तीय गतिविधियों के स्थान पर परिचालन गतिविधियों के रूप में नगद प्रवाह में सम्मिलित किया गया था।
एएस - 5	अवधि के लिए निवल लाभ और हानि, पूर्व अवधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	कृषि विकास वित्त (तमिलनाडू) लिमिटेड (अब नवकिशान)	ब्याज के संबंध में ₹ 1.96 करोड़ की मूल्यराशि का लेखाकरण और ऋण वसूली न्यायाधिकरण के माध्यम से पुनप्राप्ति करने के 15 वर्षों बाद भी प्रकट नहीं किया गया।
एएस – 9	राजस्व अभिज्ञान	एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	कंपनी 97 प्रतिशत परियोजना लागत को राजस्व से और 100 प्रतिशत विक्रेताओ द्वारा उठाए गए बिलो की राशि से, दूसरे चरण के पूरा होने पर आठ परियोजनाओं से व्यय के रूप में अर्थात ऑनलाइन परीक्षा के संचालन, 80 प्रतिशत अभिभाव के लिए अपनी लेखांकन नीति के संबंध में प्राप्त किये थे। कंपनी द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राप्त किये गये अग्रिम मे से ₹0.22 करोड़ का लेखांकन किया गया जिसको परादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बाद में रद्द कर दिया गया था। ऑनलाइन परीक्षा गतिविधि के संबंध मे राजस्व के अभिज्ञान से संबंन्धित नई

			लेखाकरण नीति निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं थी और न ही प्रकट की गयी थी।
		नेशनल टैक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन को दिये गये ऋण पर ₹ 8.45 करोड़ का ब्याज (₹21.94 करोड़ पूर्व वर्ष के दौरान) प्राप्त किया गया था।
एएस–10	नियत परिसम्पत्तियों के लिए लेखांकन	एनएचपीसी लिमिटेड	समर्थ परिसम्पत्तियों पर वहन किया गया ₹ 165.38 करोड़ का व्यय पूंजी कार्य की प्रगति में मूर्त परिसम्पत्तियों के लिए प्रभारित किया गया था।
		एनटीपीसी लमिटेड	कंपनी द्वारा परिसम्पत्तियों पर वहन किया गया ₹204.66 करोड़ रूपये के व्यय का पूंजीकरण मूर्त परिसम्पत्तियों और पूंजी कार्य में प्रगति के अन्तर्गत कंपनी के स्वामित्व में नहीं था।
एएस- 12	सरकारी अनुदानो का लेखांकन	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास कार्पोरेशन	सरकारी अनुदानों और वास्तविक और सरकारी अनुदानों की सीमा के लिए स्वीकार्य लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया था।
एएस-13	निवेश का लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	इक्विटी शेयर के मूल्यह्रास के संबंध में प्रॉवधान के लिए कंपनी की नीति एएस-13 के अनुसार नहीं थी। पांच कंपनियों के ₹706.17 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के संबंध में निवल मूल्य के अपक्षरण, निरन्तर नगद हानियां, प्रति शेयर ऋणात्मक अर्जन, संचित हानियां और निवेश कंपनियों द्वारा वापसी क्रय प्रतिबद्धताओं में न्यूनता के बावजूद कोई प्रावधान नहीं/अपर्याप्त प्रॉवधान बनाए गये थे।
एएस- 15	कर्मचारी लाभ	सेनट्रल कोल्डफील्डस लिमिटेड	सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा लाभ के संबंध में प्रावधान, बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ₹ 59.01 करोड़ की आवश्यक मूल्यराशि के बजाय ₹ 75.62 करोड़ की मूल्यराशि के लिए एक परिभाषित लाभ योजना बनायी गयी थी।
		भरूच रेल दाहेज	कर्मचारियों के लाभों से संबंधित आवश्यक

		निगम लिमिटेड	प्रकटीकरण नहीं किये गसे थे।
एएस–19	पट्टे	सैन्ट्रल रेलसाइड वैयरहाऊस कंपनी लिमिटेड	किराये पर ऑफिस स्पेस के संबंध में पट्टे दायित्व देनदारियों में भविष्य मे वृद्धि होने पर मान्यता प्राप्त की गयी थी
एएस – 22	आय पर कर	हैल्थ इन्सोरेन्स टीपीए आफ इंडिया लिमिटेड	आस्थगित कर परिसम्पत्तियों संचित हानियां और अनवशोषित मूल्यह्रास पर भविष्य मे पर्याप्त कर योग्य आय अर्जित करने के लिए किसी भी आभासी निश्चितता के बिना बनाये गये थे।
एएस – 29	प्रावधान प्रासंगिक देनदारियां और प्रासंगिक परिसम्पत्तियां	एज्यूकेशनल कन्सल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड	कंपनी द्वारा अपनायी गयी लेखांकन नीति को प्रकट नहीं किया गया था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और निगम इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले वयक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में सूचित की गई थीं। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएं अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से भी प्रबन्धन को भी बताई गई थी। यह त्रुटियां सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित थीः-

- लेखाकंन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा से उद्भूत समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके; और
- कतिपय सूचना की अपर्याप्तता या अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित सीपीएसई के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2015-16 के दौरान सीएजी द्वारा 131 सीपीएसईज को प्रबंधन पत्र जारी किए गए थे।

अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 निगमित अभिशासन

3.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 में शामिल प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कम्पनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा निगम कार्य मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति ओर योग्यता, निदेशक बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां और लेखे को कम्पनी नियमावली 2014 में अधिसूचित किया था। कम्पनी नियमों के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते है। अन्य बातों के साथ साथ आवश्यकता निम्नलिखित प्रदान करती हैः-

- व्यवसायिक आचरण (धारा 149 (8) और उसकी अनुसूची IV) के लिए कर्त्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों {धारा 149 (1)} के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति।
- कतिपय समितियों जैसे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति {धारा (135)}, लेखापरीक्षा समिति {धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)}. जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस तरीके से निर्धारित की जानी है कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा। {धारा 173(1)}.

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

कम्पनी अधिनियम 2013 के अधिनियमन के साथ, सेबी ने सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने पुराने प्रावधानो को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 (2 सितम्बर 2015) को 1 दिस्म्बर 2015 से प्रभावी किया ।

सेबी ने (अक्तूबर 2015) सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकिकृत सूचीबद्ध करार को जारी किया जिसके द्वारा सभी सूचीबद्ध कम्पनियों को सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के प्रावधानो का पालन करना आवश्यक है।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर कार्यालयी निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मण्डल में स्वंत्रत निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। सीपीएसईज के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून, 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर मई, 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक बोर्ड के संयोजन, बोर्ड समितियों के संयोजन एवं कार्य जेसे लेखापरीक्षा समिति क्षतिपूर्ति समिति, सहायक कम्पनियों का विवरण, उदघोषणाएं, रिपोर्टो और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र कवर होते हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशानिदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसईज के एमओयूज में निष्पादन पैरामीटर के रूप में निगमित अभिशासन को भी शामिल किया

है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसईज़ का संबंध है, वहां उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों/विनियमन के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3.1.4 चयनित सीपीएसईज़ द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2016 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 607 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। सीपीएसईज़ को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज़ से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देश और निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों (मई 2010), कम्पनी अधिनियम 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक निर्धारण रूपरेखा तैयार की गई थी। निर्धारण रूपरेखा में बोर्ड के गठन और क्रियाकलाप, बोर्ड के सदस्यों की आचरण संहिता, लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में गठन और शर्तें निहित हैं और समीक्षा में निर्धारण रूपरेखा में दर्शाए गए निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों[20] में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ द्वारा अनुपालन को कवर किया गया है। समीक्षा में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 48 सूचीबद्ध सीपीएसईज़ कवर की गई है। सीपीएसईज़ की सूची ***परिशिष्ट-V*** में दी गई है।

3.2 निदेशक मण्डल का गठन

3.2.1 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (ए) (1) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक बोर्ड में कार्यकारी एवं गैर-कार्रकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये।

---

[20] गेल (इंडिया) लिमिटेड के अतिरिक्त

तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे।

तालिका 3.1: सीपीएसईज़ में गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या

क्रम. सं.	पीएसई का नाम	कुल निदेशक	गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या	प्रतिशतता
1	एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड	6	2	33
2	बॉमेर लारी एंण्ड कम्पनी लिमिटेड	7	2	28
3	बीईएमएल लिमिटेड	10	4	40
4	भारत इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	12	5	42
5	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	3	38
6	इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	5	42
7	आईटीआई लिमिटेड	7	3	43
8	एनबीसीसी (इण्डिया) लिमिटेड	6	2	33
9	एनटीपीसी लिमिटेड	11	5	45
10	ऑयल एंड नेच्यूरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	5	42
11	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	6	1	17
12	पावर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	3	43
13	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	3	43
14	राष्टीय कैमिकल्स एण्ड फ्रटिलाइजर्स लिमिटेड	7	3	43
15	दा शिपिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	8	3	38
16	दा स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	7	2	28

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को जो कि प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने में समर्थ हो, शेयरधारकों और अन्य पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। सूचीगत करार के खण्ड 49(II) (ए) (2), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.14 के अनुसार जहॉं बोर्ड का अध्यक्ष गैर कार्यकारी निदेशक है वहॉं कम से कम बोर्ड के एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो कम से कम आधा बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। तथापि, खण्ड 49 (II) (बी) (1) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ कम्पनी के नामिति निदेशक के अलावा गैर कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक बोर्ड के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसईज़ में उनके बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नही थीः

तालिका 3.2: सीपीएसईज़ जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
1	बीईएमएल लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
2	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	4
3	भारत हैवी इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
5	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	गैर-कार्यकारी	4	1
6	कोल इण्डिया लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	5
7	कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
8	ड्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
9	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
10	द फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	5	कार्यकारी	3	2
11	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	6
12	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	1
13	हिन्दुस्तान फोटो फील्मस् एमएफजी कॉ.लिमिटेड	4	कार्यकारी	2	1
14	इंडिया टूरिज़्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
15	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
16	आईटीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
17	केआईओसीएल लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	5
18	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	7	गैर-कार्यकारी	3	2
19	एमएमटीसी लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	4
20	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	13	कार्यकारी	7	5
21	नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	3
22	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	10	कार्यकारी	5	3
23	एनएचपीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
24	एनएमडीसी लिमिटेड	14	कार्यकारी	7	6
25	एनटीपीसी लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	3
26	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	कार्यकारी	6	3
27	पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	2
28	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
29	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	1
30	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	4	3

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	कुल	अध्यक्ष की प्रास्थिति	अपेक्षित	वास्तविक
31	द शिपिंग कॉरपॅरिशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	4	1
32	एसजेवीएनएल लिमिटेड	11	कार्यकारी	6	4
33	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15	कार्यकारी	8	6

तालिका 3.3 में दिए गए सीपीएसईज़ के संबंध में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.3: सीपीएसईज जिनके पास कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड
2	बॉमर लारी एडं कं.लिमिटेड
3	बॉमर लारी इन्वेसटमेंट लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फ्लूरों कार्बन्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिंक कैमिकल्स लिमिटेड
7	एचएमटी लिमिटेड
8	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
9	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
10	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
11	ऑयल इण्डिया लिमिटेड
12	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
13	दा स्टेट ट्रेडिंग कारपॅरिशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 (1), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(II)(ए)(1) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (1)(ए) निर्धारित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक को नियुक्त करनी चाहिए।

तालिका 3.4 में सूचीबद्ध सीपीएसईस में, निदेशक बोर्ड में एक भी महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.4: सीपीएसईज़ जहां कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल लिमिटेड

3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	चैन्ने पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
7	एचएमटी लिमिटेड
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
10	एमएमटीसी लिमिटेड
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
12	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	पॉवर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड
14	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
15	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड
16	दा स्टेट ट्रैडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
17	फर्टिलाइजरस एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

3.3 स्वतन्त्र निदेशको की नियुक्ति एवं कार्यपद्धति

3.3.1 सूचीबद्ध करार (अप्रैल 2014) के खण्ड 49 (II) (बी) (4) (ए) में प्रावधान किया गया है कि कम्पनी स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र कम्पनी अधिनियम 2013 में यथा प्रावधानित तरीके से जारी करेगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, नियुक्ति के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से होगी जो नियुक्ति की निबंधन और शर्तों को निर्धारित करेगा। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.5 में दर्शाई गई सीपीएसई द्वारा कोई भी नियुक्तिपत्र, जो शर्तो एवं निबंधन का विवरण दे, जारी नहीं किया गया।

तालिका 3.5 सीपीएसई जहाँ कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स लिमिटेड
2	इन्जीनियरस इण्डिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
4	इंडिया टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
7	एसजेवीएन लिमिटेड

3.3.2 निदेशको की संख्या

सूचीबद्ध करार के खंड 49 II ब(2)(अ) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(1) में आवश्यक है कि कोई भी स्वतन्त्र निदेशक अधिक से अधिक सात सूचीबद्ध कंपनियों में ही स्वतन्त्र निदेशक बन सकता है। प्रावधान के विपरीत यह पाया गया कि वर्ष के दौरान, ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड के एक स्वतन्त्र निदेशक आठ कंपनियों में इनके स्वतन्त्र निदेशक थे।

3.3.3 आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 17 (5)बी) के अनुसार प्रत्येक कम्पनी अपनी आचार संहिता मे स्वतन्त्र निदेशको के कर्तव्यो को कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार उपयुक्त रूप से निगमित करेगी। तालिका 3.6 उन सीपीएसईज को इंगित करती है जहां आचार संहिता स्वतन्त्र निदेशको के कर्तव्यो को निगमित नहीं करती है।

तालिका 3.6 सीपीएसईज, जहां आचार संहिता में स्वतन्त्र निदेशक के कर्तव्यों को निगमित नहीं किया गया।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	दा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फ्लूरो कार्बन्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस एमएफजी कॉ. लिमिटेड
5	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजरस लिमिटेड
6	दा स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3.3.4 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.3.4.1 सूचीगत करार के खण्ड 49(11) (बी) (7) (ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25 (7) में प्रावधान किया जाता है कि कम्पनी विभिन्न कार्यक्रयों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को

उनकी भूमिकाएं, अधिकार, कंपनी में उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि के विषय में परिचित करायेगी।

तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.7 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशको के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो 2015-16 के दौरान बोर्ड में थे।

तालिका 3.7: सीपीएसईज जहां स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था।

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. क. लिमिटेड
2	इंडिया टूरिजम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.4.2 इसके अतिरिक्त सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 46(2) (i) और अनुसूची V(सी) (2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण उदघोषित नहीं किया गया था और तालिका 3.8 में सूचीबद्ध सीपीएसईज की वार्षिक रिपोर्ट में उसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

तालिका 3.8: सीपीएसईज जहां वेबसाइट पर प्रशिक्षण विवरण नहीं दिया गया था

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	द फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड
2	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
3	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

3.3.5 निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक बोर्ड और बोर्ड समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए जिनके वह सदस्य है। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.9 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है:

तालिका 3.9: स्वतंत्र निदेशक जिन्होंने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने कुछ बोर्ड समितियों की बैठकों में भाग नहीं लिया
1	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	-	1
2	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	1
3	आईटीआई लिमिटेड	4	-
4	केआईओसीएल लिमिटेड	-	2
5	एमओआईएल लिमिटेड	4	
6	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1	2
7	एनडीएमसी लिमिटेड	4	1
8	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	-
9	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	-
10	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	-

3.3.6 कम्पनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(5) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम्पनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेना चाहिए। भारत इम्यूनोलोजिकल और बायोलोजिकल्स लिमिटेड के संबंध में तीन स्वतंत्र निदेशकों और एमओआईएल लिमिटेड के संबंध में एक स्वतंत्र निदेशक ने वर्ष के दौरान इन कम्पनियों द्वारा आयोजित की गई सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

3.3.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

3.3.7.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(1), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 25(3) और सूचीगत करार के खंड 49(II)(बी)(6) में अपेक्षित है कि स्वतंत्र निदेशकों को कम से कम वर्ष में एक बार गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना मिलना चाहिए। तालिका 3.10 सीपीएसईज दर्शाती है जहां कोई पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसईज जहां स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित नहीं की गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत इम्पूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
2.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड
3.	एनटीपीसी लिमिटेड

3.3.7.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VII)(2) में प्रावधान है कि सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करेंगे।

तथापि, तालिका 3.11 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया था।

तालिका 3.11: सीपीएसईज जहां कुछ स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पृथक बैठकों में भाग नहीं लिया गया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एनएमडीसी लिमिटेड
2.	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

द फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड में, यद्‌यपि, पृथक बैठक आयोजित की गई थी अपितु बैठक का कार्यवृत तैयार नहीं किया गया था।

3.3.7.3 कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII), सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के नियमन 25(4) तथा सूचीगत करार के खण्ड 49 (II) (बी)(6)(बी) में अपेक्षित है कि पृथक बैठक में स्वतंत्र निदेशकों को (क) गैर स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन (ख) अध्यक्ष के निष्पादन (ग) प्रबन्धन और निदेशक बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह के निर्धारण की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.12 में दी गई सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित की गई थी परन्तु ऐसी बैठको मे उपरोक्त मामलों की समीक्षा नहीं की गई थी:

तालिका 3.12: सीपीएसईज जहां अपेक्षित मामलों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड
3	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
4	आईटीआई लिमिटेड
5	एमएमटीसी लिमिटेड
6	एनएमडीसी लिमिटेड
7	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
8	एसजेवीएन लिमिटेड
9	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

इसके अलावा न तो अधिनियम में न विनियमों में यह प्रावधान किया गया था कि स्वतंत्र निदेशकों द्वारा ऐसा मूल्यांकन किसे प्रेषित किया जाना था।

3.3.8 स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की समीक्षा

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(10), सूचीगत करार के खण्ड 49(11)(बी)(5) और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(VIII) में अनुबद्ध है कि निदेशक बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि विस्तारित या जारी की जाए। तालिका 3.13 उन सीपीएसईज को दर्शाती है जहां ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

तालिका 3.13: सीपीएसईज जहां बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन की मूल्यांकन नहीं किया

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	चैन्नई टूरिज्म डेवलपमेंट लिमिटेड
4	इंडिया टूरिज्म डवलप्मेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	केआईओसीएल लिमिटेड
7	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

8	एमएमटीसी लिमिटेड
9	नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड
10	एनएचपीसी लिमिटेड
11	एनएमडीसी लिमिटड
12	पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
13	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
15	एसजेवीएन लिमिटेड
16	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीपीएसईज के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति या नियुक्ति की अवधि का विस्तारण/निरंतरता निदेशक बोर्ड के अधिदेश में नहीं है। तथापि, न तो अधिनियम न विनियमों में यह प्रावधान है कि सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड द्वारा भेजे गए ऐसे निष्पादन मूल्यांकन को किसे भेजा जाना था।

3.4 निदेशक बोर्ड की बैठक का नोटिस

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) में वर्णित है कि निदेशक बोर्ड की बैठकों के लिए नोटिस ऐसी बैठकों से कम से कम सात दिन पहले परिपत्रित किया जाएगा। तालिका 3.14 उन सीपीएसईज को दर्शाती है जहां ऐसी बैठकों से कम से कम सात दिन पूर्व नोटिस परिपत्रित नहीं किया गया था।

तालिका 3.14: निदेशक बोर्ड की बैठक के लिये कम से कम 7 दिन पहले नोटिस परिपत्रित नहीं किया गया

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	केआईओसीएल लिमिटेड
3	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड
6	एनएमडीसी लिमिटेड
7	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
8	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.5 निदेशकों के पदों की भर्ती- कार्यकारी, गैर-कार्यकारी, स्वतंत्र

निदेशकों के रिक्त पदों की समय पर भर्ती कम्पनी के प्रबन्धन में अपेक्षित कौशल तथा विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। रिक्तियों को भरने में किसी प्रकार का विलम्ब, निर्णय लेने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता में रूकावट पैदा कर सकता है। सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 25(6) और सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(11)(डी)(4) में अनुबंध किया जाता है कि एक स्वतंत्र निदेशक के त्याग पत्र अथवा पद से हटाए जाने से उत्पन्न रिक्ति को जल्द से जल्द किन्तु अगली बोर्ड बैठक अथवा ऐसी रिक्ति की तिथि से तीन महीने, जो भी बाद में हो, तक तुरन्त भरा जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि तालिका 3.15 में वर्णित सीपीएसईज ने उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और स्वतंत्र निदेशकों के पद काफी समय तक खाली पड़े रहे:

तालिका 3.15: सीपीएसईज जहां स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	महीने में चूक
1	बीईएमएल लिमिटेड	28
2	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	34
3	कोल इंडिया लिमिटेड	12
4	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	16
5	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	6
6	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावन्कोर लिमिटेड	36
7	हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड	10
8	इंडिया टूरिजम डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	27
9	आईटीआई लिमिटेड	10
10	केआईओसीएल लिमिटेड	20
11	एमएमटीसी लिमिटेड	24
12	नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड	13
13	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	15
14	नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	12 महीने से अधिक
15	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7
16	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	17
17	द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	18
18	एसजेवीएन लिमिटेड	12

इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि तालिका 3.16 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में कार्याकारी निदेशकों की रिक्तियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में निर्धारित छः महीनों की अवधि में नहीं भरी गई थीः

तालिका 3.16: सीपीएसईज जहां कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां समय पर नहीं भरी गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	पद का नाम	महीने में चूक
1	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	8
2	एचएमटी लिमिटेड	निदेशक (ऑपरेशन्स) निदेशक (वित्त)	23 74
3	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वाणिज्यिक)	10
4	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावंकोर लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक	12
5	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	8
6	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन) निदेशक (आरएडंडी)	9 21
7	आईटीआई लिमिटेड	अध्यक्ष एवं एमडी निदेशक (वित्त)	10 26
8	एसजेवीएन लिमिटेड	निदेशक (सिविल)	7
9	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (वित्त)	8

3.6 लेखापरीक्षा समिति

3.6.1 लेखापरीक्षा समिति का गठन

3.6.1.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(1) और (2), सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 में अनुबंधित है कि न्यूनतम तीन निदेशकों वाली एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

तथापि तालिका 3.17 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 3.17: सीपीएसईज जहां कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड

3	द शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

तालिका 3.18 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.18: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समितियों के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
3	चैन्ने पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
4	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	ऑयल इंडिया लिमिटेड
7	बामेर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
9	बामेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
10	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
11	हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड
12	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
13	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, के संबंध में लेखापरीक्षा समिति में केवल दो सदस्य थे।

3.6.2 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

3.6.2.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 (III) (ए)(3) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(डी) में अनुबंधित है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, यह पाया गया कि द फर्टिलाइजर और केमिकल्स ट्रांवनकोर लिमिटेड के संबंध में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक होने के बावजूद लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

3.6.2.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(ए)(4) और सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(डी) में अनुबंधित है कि वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित होंगें। तथापि, तालिका 3.19 में सूचीबद्ध सीपीएसईज की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2015-16 के दौरान आयोजित एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.19:सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बायोलोजिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
3	द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै.क. लिमिटेड
8	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
9	आईटीआई लिमिटेड
10	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
11	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

3.6.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

3.6.3.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियमन 18 (2)(ए) और (बी) तथा सूचीबद्ध करार का खंड 49 (III)(बी) प्रावधान करते है कि लेखापरीक्षा समिति की बैठक एक वर्ष में कम से कम चार बार होनी चाहिए तथा 120 दिनों से अधिक का समय दो बैठकों के बीच नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा समिति में कोरम के लिए निर्दिष्ट संख्या दो सदस्य या एक तिहाई, जो भी अधिक हो, की होनी चाहिए, परन्तु न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक उपस्थिति होने चाहिए।

तालिका 3.20 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम चार बैठकें वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।

तालिका 3.20: सीपीएसईज जहां बैठकों की न्यूनतम संख्या नहीं आयोजित की गई थी

क्रम.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की सं.
1.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1
2.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	1
3.	आईटीआई लिमिटेड	3

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.21 में सीपीएसईज के संबंध में, वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति बैठकों में अपर्याप्त निर्दिष्ट संख्या के दृष्टांत देखे गए थे:

तालिका 3.21: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त निर्दिष्ट संख्या

क्रम. सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
2	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	एनटीपीसी लिमिटेड
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
8	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इसके अतिरिक्त, तालिका 3.22 में दी गई सीपीएसईज के संबंध में, दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल था।

तालिका 3.22: सीपीएसईज जहां दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच समय अंतराल 120 दिनों से अधिक था

क्रम. सं.	सीपीएसईज का नाम	
1	बीईएमएल लिमिटेड	दो बैठकों के बीच 152 दिन
2	आईटीआई लिमिटेड	दो बैठकों के बीच 183 दिन
3	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	केवल एक बैठक आयोजित की गई
4	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	केवल एक बैठक आयोजित की गई

3.6.3.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1) (एफ) तथा तथ्य सूचीबद्ध करार के खंड 49(III)(ए)(5) प्रावधान करते है कि लेखापरीक्षा समिति ऐसे कार्यकारियों (तथा विशेष रूप से वित्त कार्य के अध्यक्ष) को आमंत्रित कर सकती है, जैसा वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपयुक्त समझें। लेखापरीक्षा समिति की बैठक कंपनी के किसी कार्यकारी की उपस्थिति के बिना भी हो सकती है। वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षा

का एक प्रतिनिधि लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रितगण के रूप में उपस्थिति हो सकते है। तालिका 3.23 में वर्णित सीपीएसईज के संबंध में, हालांकि वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था, परन्तु वे कुछ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.23: सीपीएसईज जहां वित्त निदेशक, आंतरिक लेखापरीक्षा अध्यक्ष तथा सांवधिक लेखापरीक्षक के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम	आमंत्रित परन्तु उपस्थित नहीं	बैठकों की संख्या जिनमें अनुपस्थित थे
1	ऑयल इंडिया लिमिटेड	निदेशक (वित्त), अध्यक्ष (आंतरिक लेखापरीक्षा) सांविधिक लेखापरीक्षक	1 4 2
2	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक	3
3	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक	1
4	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष (आंतरिक लेखापरीक्षा) सांविधिक लेखापरीक्षक	1 1

3.6.4 लेखापरीक्षा समिति का सचिव

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 18(1)(ई) प्रावधान करता है कि कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बॉयोलोजिकल्स लिमिटेड के संबंध में, कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य नहीं किया।

3.6.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(11) तथा खंड 49(III)(डी)(11) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना चाहिए। तालिका 3.24 में दी गई सीपीएसईज के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रणालियों का मूल्यांकन नहीं किया है।

तालिका 3.24: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्त नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
2	आईटीआई लिमिटेड
3	ऑयल इंडिया लिमिटेड

3.6.6 सांविधिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा

इसके अलावा सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(12) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी (ए) (12) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.25 में दिए गए सीपीएसईज के संदर्भ में ऐसा निष्पादन मूल्यांकन नहीं किया गया।

तालिका 3.25: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षको तथा आन्तरिक लेखापरीक्षको के निष्पादन की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	एमएमटीसी लिमिटेड
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड
6	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षाकार्य की उपयुक्तता

3.6.7.1 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(13) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची II के भाग सी(ए)(13) में वर्णित है कि लेखापरीक्षा समिति को आन्तरिक लेखापरीक्षा विभाग की सरंचना, विभाग के कार्यकारी प्रमुख की स्टॉफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आन्तरिक लेखापरीक्षा की कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी को सम्मिलित करते हुए आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, तो उसकी उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। तालिका 3.26 में दी गई निम्नलिखित

सीपीएसईज के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.26: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	आईटीआई लिमिटेड
2	ऑयल इंडिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
4	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.6.7.2 सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(।।।)(डी)(14) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची ।। के भाग सी(14) के अनुसार, महत्वपूर्ण निष्कर्षों तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की चर्चा आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ करना भी लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है। यह भी पाया गया कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षको के साथ कोई चर्चा नहीं की ।

3.6.8 सीएजी के अनुपूरक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा

सांविधिक अधिदेश के अनुसार सभी सीपीएसईज भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) सीएजी को सरकारी कम्पनियों के लेखों की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) अनुबंधित करती है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसईज के मामले में, सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का दायित्व है।

तालिका 3.27 में दिए गए सीपीएसईज के संदर्भ में, लेखापरीक्षा समिति ने प्रबंधन पत्र, सीएजी की टिप्पणियों, लेखापरीक्षा पैराग्राफ, सीएजी रिपोर्ट में प्रिंटिड प्रफार्मेन्स रिपोर्ट समीक्षाओं तथा पूरक लेखापरीक्षा करने के बाद जारी सीओपीयू की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.27: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं की गई

क्रम.सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड

3.6.9 सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(III)(डी)(16) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के भाग सी(ए)(16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा साथ ही साथ चिंता के किसी विषय का पता लगाने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा करनी चाहिए। तालिका 3.28 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के सदंर्भ में, लेखापरीक्षा समितियो ने ऐसी चर्चाए नहीं की।

तालिका 3.28: सीपीएसईज जहां लेखापरीक्षा समितियों ने सांविधिक लेखापरीक्षको के साथ चर्चा नहीं की

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	चर्चा नहीं की गई
1	कोल इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
3	दी फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड	पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा
4	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा तथा पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मै. कॉ.लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
6	आईटीआई लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा
7	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	पश्च-लेखापरीक्षा चर्चा
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा तथा पश्च लेखापरीक्षा चर्चा
9	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्व-लेखापरीक्षा चर्चा

3.7 अन्य समितियां

3.7.1 नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 178(1), सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(IV)(ए) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम

19(1) तथा (2) यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सीपीएसई कम से कम तीन निदेशको वाली एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करेगी जिसमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए तथा कम से कम आधे स्वतंत्र होने चाहिए और समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। हालांकि, सीपीएसईज में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं थी जैसाकि तालिका 3.29 में विस्तृत किया गया है।

तालिका 3.29: मुआवजा समिति न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
3	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
6	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.7.2 पणधारक सहसंबंध समिति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 20(1) अपेक्षा करता है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी, पणधारक सहसंबंध समिति का गठन करेगी। यह देखा गया कि तालिका 3.30 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संदर्भ में ऐसी कोई समिति नहीं बनाई गई।

तालिका 3.30: पणधारक सहसंबंध समिति न रखने वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयु यूल एंड कॉ. लि.
2	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
3	एचएमटी लिमिटेड
4	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.8 चेतावनी तंत्र

3.8.1 सूचीबद्ध करार के संशोधित खण्ड 49(II)(एफ) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 22(1) तथा (2) अनुबंधित

करते है कि कम्पनी निदेशको तथा कर्मचारियों को अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशांकित धोखाधडी अथवा कम्पनी की आचार संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के विषय में सूचना देने के लिए एक निगरानी तंत्र की स्थापना करें। यह पाया गया कि तालिका 3.31 में सूचीबद्ध सीपीएसईज में, कोई चेतावनी तंत्र नहीं था।

तालिका 3.31 : चेतावनी तंत्र न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	बामेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
2.	भारत इम्मियूनोलॉजिकल एंड बॉयोलॉजिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड
3.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मै. कॉ. लिमिटेड

3.8.2 सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(।।।)(डी) 18 तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 की अनुसूची ।। के भाग सी (ए) (18) में लेखापरीक्षा समिति द्वारा 'चेतावनी तंत्र' के कार्यों की समीक्षा करने का प्रावधान है, यदि ऐसा कम्पनी में हो । नीचे तालिका 3.32 में वर्णित सीपीएसई में, यद्यपि चेतावनी तंत्र मौजूद है तथापि लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.32 : चेतावनी तंत्र वाले सीपीएसईज परन्तु लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा नहीं हुई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	कोल इंडिया लिमिटेड
2	हिन्दस्तान केबल्स लिमिटेड
3	आईटीआई लिमिटेड
4	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
5	एमएमटीसी लिमिटेड
6	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

3.9 संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति

सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 23(1) एवं (4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी संबधित पार्टी संव्यवहारों के महत्व पर एक नीति बनाएगी। इसके अलावा, ऐसे महत्वपूर्ण संबधित पार्टी संव्यवहारों को अंशधारको द्वारा समाधान के माध्यम से स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। तालिका 3.33 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संदर्भ में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई:

तालिका 3.33 : संबंधित पार्टियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	हिन्दुस्तान फ्लूओरो कार्बन्स लिमिटेड
2	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मै. क. लिमिटेड
3	एनएमडीसी लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
5	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

3.10 सहायक कम्पनियों से संबधित नीति

सूचीबद्ध करार का खण्ड 49(V)(डी) तथा सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 का विनियम 46(एच) तथा अनुसूची V(सी)(10)(ई) उल्लिखित करता है कि कम्पनी महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों का निर्धारण करने के लिए एक नीति का निर्माण करेगी तथा ऐसी नीति वार्षिक रिपोर्ट में तथा वार्षिक रिपोर्ट में वेब-लिंक के साथ वेबसाइट पर तथा स्टॉक एक्सचेंज को प्रदर्शित करेगी। तालिका 3.34 में सूचीबद्ध सीपीएसईज के संदर्भ में ऐसा कोई प्रकटन नहीं किया गया।

तालिका 3.34 : सहायक कम्पनियों से संबंधित नीति न रखने वाले सीपीएसईज

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम
1	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
2	एचएमटी लिमिटेड
3	एमएमटीसी लिमिटेड

3.11 वेबसाइट पर सूचना का प्रकटन

3.11.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2)(ए) तथा (एफ) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को अपनी वेबसाइट पर (i) अपने व्यवसाय के विवरण, (ii) गैर-कार्यकारी निदेशको को भुगतान करने के मानदण्डो पर सूचना प्रकट करनी होगी, बशर्ते कि इसे वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मेन्यूफे. कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में, बिन्दु (i) से संबंधित सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया तथा बिन्दु (ii) से संबंधित सूचना को न तो वेबसाइट पर न ही वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया गया था।

3.11.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 46(2) (सी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी अपनी वेबसाइट पर निदेशक बोर्ड की विभिन्न समितियों के संयोजन को प्रस्तुत करेगी। तालिका 3.35 ऐसी सीपीएसईज की सूची तैयार करती है जहां वेबसाइट में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

तालिका 3.35: वेबसाइट पर समितियों के संदर्भ में सूचना का प्रकटन न होना

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूले एंड कॉ. लिमिटेड
2	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बॉयोलॉजिकल्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
4	आईटीआई लिमिटेड
5	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
6	मैगंलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

3.12 अनुपालन रिपोर्ट

3.12.1 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II के भाग बी में प्रावधान है कि कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी को विनियमावली के भाग बी में निर्दिष्ट अनुसार निदेशक बोर्ड को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यह पाया गया कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के मामले में अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.12.2 सेबी (सूचीबद्ध कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 27(2)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्त से 15 दिनो के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इसके अलावा डीपीई दिशा-निर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कम्पनी संबंधित प्रशासनात्मक मंत्रालयों को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनो के अन्दर निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह पाया गया कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने दोनो ही तिमाही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की।

3.13 निष्कर्ष

चयनित 48 सीपीएसईज में से 13 सीपीएसईज में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था, 18 सीपीएसईज में स्वतंत्र निदेशको की रिक्तियों को भरने में तीन माह से अधिक का विलम्ब पाया गया, नौ सीपीएसईज में बोर्ड में कार्यकारी निदेशको की रिक्तियां भरने में छः माह से अधिक का विलम्ब पाया गया, पांच सीपीएसईज में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी,तीन सीपीएसईज में कोई चेतावनी तंत्र स्थापित नहीं किया गया, छः सीपीएसईज में कोई नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति नहीं बनाई गई।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग के अनुसार (जनवरी 2017) सीपीएसई से संबंधित नियमों, अधिनियम, गाईडलाइंस आदि कि जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की है, इसके अतिरिक्त अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी मंत्रालय/ विभाग पर है।

3.14 सिफारिश

भारत सरकार, दिशा-निर्देशो तथा विनियमो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रशासनात्मक मंत्रालयो/विभागो पर जोर दे सकती है ताकि सूचीबद्ध सीपीएसईज में निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

अध्याय IV

निगमित सामाजिक दायित्व

4.1 प्रस्तावना

चार्ट 4.1

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, निवेशको, समुदायों सहित अपने शेयरधारकों के हितो की पहचान करते समय आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से परिचालन करने के लिए कम्पनी की प्रतिबद्धता है। लाभ कमाने वाली कम्पनियों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे अपने लाभों का एक भाग समाज की भलाई के लिए समर्पित करें।

<u>भारत में सीएसआर-मान्य कार्यढांचा</u>

हालांकि विगत में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर सीएसआर गतिविधियाँ बहुत सीपीएसईज़ द्वारा की जा रही थी, अगस्त 2013 में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमित करने के पश्चात् सीएसआर अनिवार्य बन गया। धारा 135 के तहत सीएसआर प्रावधान वाले कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के साथ सीएसआर हेतु अधिदेश देश में निगमित अभिशासन का एक भाग बन गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII, में कम्पनियों द्वारा सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की सूची है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 निगमित सामाजिक दायित्व की चर्चा करती है। यह

कम्पनियों जिन्हें सीएसआर कार्य करना अपेक्षित है, के लिए सकल सम्पति, टर्नओवर तथा शुद्ध लाभ पर आधारित पात्रता मानदण्ड का वर्णन करती है तथा अन्य बातो के साथ-साथ सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड द्वारा सीएसआर कार्यों के चयन, क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग के प्रकारो का उल्लेख भी करती है।

अधिनियम के अलावा, निगमित मामला मंत्रालय (एमसीए) (फरवरी 2014) ने कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 जारी की तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग ने (अक्टूबर 2014) में निगमित सामाजिक दायित्व तथा स्थिरता पर दिशा निर्देश जारी किए।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व) नियमावली 2014 तथा डीपीई दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा था। सीपीएसईज के प्रयासो का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों की जांच की:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के सुत्रीकरण तथा अनुपालन, कार्यान्वयन के योजन स्तरो से संबंधित प्रावधानों, का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट कार्यों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबधित प्रावधानो का अनुपालन किया गया है;
- क्या कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग से संबंधित प्रावधानो का अनुपालन किया गया है; तथा
- क्या रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानो का अनुपालन किया गया है।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

31 मार्च 2016 तक, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 607 सीपीएसईज थे इसमें से 410 सरकारी कम्पनियां, 191 सरकारी नियंत्रण की अन्य कम्पनियां तथा 6 सांविधिक निगम सम्मिलित थे।

समीक्षा ने 24 मंत्रालयो/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 76 सीपीएसईज (सात महारत्न, 17 नवरत्न तथा 52 मिनीरत्न वर्ग-1, विवरण हेतु परिशिष्ट VI देखें) को कवर किया। 31 मार्च 2016 में समाप्त एक वर्ष की अवधि को समीक्षा के दौरान कवर किया गया। चार मिनीरत्न सीपीएसईज (एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड तथा टेलीकम्यूनिकशन कन्सल्टंट इंडिया लिमिटेड) के संदर्भ में सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इस समीक्षा में इन्हें कवर नहीं किया गया।

4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

समीक्षा के निष्कर्ष आगामी पैराग्राफो में प्रस्तुत किए गए है।

4.4.1 योजना बनाना

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(I) विनिर्दिष्ट करती है कि

- किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ या अधिक की निवल सम्पति अथवा ₹ 1000 करोड़ या अधिक रूपये के टर्नओवर अथवा ₹ पांच करोड़ या अधिक रूपये के लाभ वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशकों जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा, जो बोर्ड की एक निगमित सामाजिक दायित्व समिति का गठन करेगा।
- सीएसआर समिति बोर्ड को कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों पर सीएसआर नीति की सिफारिश करेगी।

4.4.1.1 सीएसआर समिति का गठन

यह देखा गया है कि लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए 76 सीपीएसई में से 73 सीपीएसईज सीएसआर कार्य करने योग्य थे तथा उन सभी ने सीएसआर समिति गठित की थी। तीन सीपीएसईज अर्थात हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड तथा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड[21] सीएसआर समिति के गठन के लिए पात्र नहीं थे।

[21] सीपीएसई के सभी परिचालन भारत से बाहर है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) में वर्णित है कि धारा 134 की उप धारा (3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट सीएसआर समिति के संगठन को प्रस्तुत करेगी। हालांकि, यह पाया गया कि चार सीपीएसईज अर्थात भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड तथा एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर समिति के संयोजन को प्रस्तुत नहीं किया था।

4.4.1.2 समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) वर्णित करती है कि अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने वाली प्रत्येक कम्पनी तीन या अधिक निदेशको जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक हो, जो बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगा। यह पाया गया कि पात्र सीपीएसईज में से तीन सीपीएसईज[22] के पास समिति में स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

4.4.1.3 सीएसआर तथा स्थायी नीति बनाना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानो के अनुसार, एक सीएसआर नीति को बनाना है। 65 सीपीएसईज के मामले में सीएसआर तथा स्थायी नीति बनाई गई थी जिसको सीएसआर समिति द्वारा सिफारिश की गई थी तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालांकि, नीचे तालिका 4.1 में सूचीबद्ध निम्नलिखित आठ सीपीएसईज ने न तो सीएसआर अथवा स्थायी नीति बनाई थी न ही सीपीएसई की नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

तालिका 4.1: सीपीएसईज जिसने नीति नहीं बनाई है अथवा नीति स्वीकृत नहीं है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सीएसआर/स्थायी नीति नहीं
1	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	नहीं बनाई गई
2	शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	नहीं बनाई गई
3	सेन्ट्रल कॉलफील्ड लिमिटेड	नहीं बनाई गई अथवा सिफारिश नहीं की गई*
4	नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
5	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
6	इंजीनियार्स इंडिया लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
7	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं
8	इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं

*इसकी धारण कम्पनी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई गई सीएसआर नीति का पालन करती है

[22] कमरजर पोर्ट लिमिटेड, ईंडियन रिन्युऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा बॉमेर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड

4.4.1.4 सीएसआर नीति में कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने वाले कार्य

यह पाया गया कि 73 सीपीएसईज में से चार सीपीएसईज अर्थात इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, प्रोजेक्टस डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टीलाइजर लिमिटेड, तथा रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सीएसआर नीति ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट अनुसार किए जाने वाले कार्यो को नहीं दर्शाया।

4.4.2 वित्तीय घटक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में वर्णित है कि प्रत्येक कम्पनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाएं कम्पनी के औसत सकल लाभो का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करती है, बशर्ते कि यदि कम्पनी ऐसी राशि व्यय करने में विफल होती है तो बोर्ड धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (0) के तहत बनी अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट कार्यों हेतु आंबटित राशि को व्यय न करने के कारणो को उल्लिखित करेगा। 65 सीपीएसईज की नमूना जांच से पता चला कि 57[23] लाभ अर्जन करने वाले सीपीएसईज में से 53 ने पिछले निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए कम्पनी के औसत निवल लाभो का कम से कम दो प्रतिशत आबंटित किया था। चार सीपीएसईज[24] ने सीएसआर व्यय हेतु बजट के प्रति निर्धारित राशि आबंटित नहीं की थी।

4.4.2.1 निधियो का उपयोग

76 सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत डाटा के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर कार्यो पर व्यय की गई राशि ₹ 3025 करोड़ (उपलब्ध राशि जिसमें अग्रेषित राशि सम्मिलित है) में

---

[23] लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई 65 में से आठ सीपीएसईज की पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सकल औसत हानि थी।

[24] इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कन्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रेल विकास निगम लिमिटेड

से ₹ 2590 करोड़ थी। 76 सीपीएसईज की समीक्षा की गई तथा इसके परिणामों को साथ के ग्राफ में दर्शाया गया है। जिसमे यह पाया गया है कि:

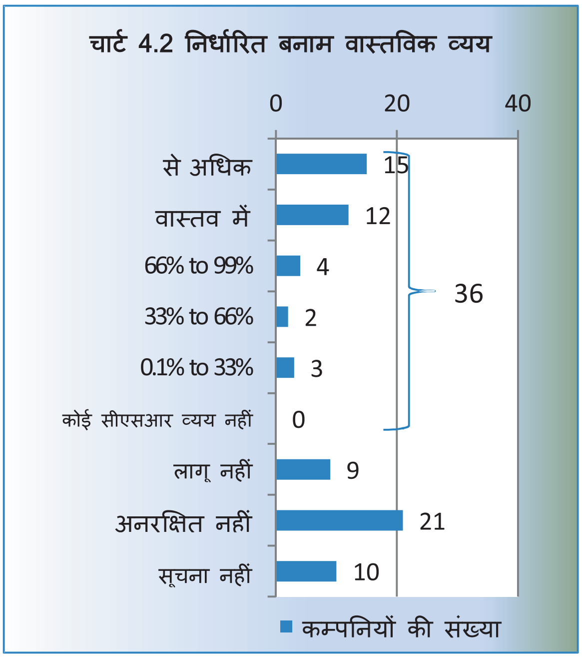

- 57 लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसईज में से इक्कीस ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) में विनिर्दिष्ट अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षो के दौरान कमाएं कम्पनी के औसत सकल लाभो की कम से कम दो प्रतिशत निर्धारित राशि से वास्तविक व्यय के संदर्भ में सूचना अनुरक्षित नहीं की **(परिशिष्ट VII)**
- छत्तीस सीपीएसईज ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए पृथक रूप से वास्तविक व्यय के संदर्भ में सूचना अनुरक्षित की जिसमें से 27 सीपीएसईज का व्यय कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) में निर्दिष्ट अनुसार औसत वार्षिक लाभ राशि के दो प्रतिशत था। जबकि नौ सीपीएसईज का सीएसआर कार्यो पर व्यय निधियों के दो प्रतिशत से कम था जैसाकि नीचे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: निर्धारित राशि की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निर्धारित राशि	निर्धारित से अधिक वास्तविक व्यय	कमी (प्रतिशत)
1	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	22.24	3.10	86.06
2	इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	6.45	2.57	60.16
3	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	121.79	115.78	4.93
4	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	2.08	1.86	10.58

5	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	145.79	4.49	96.92
6	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	25.23	7.89	68.73
7	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	6.53	5.73	12.25
8	नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्टर कॉरपोरेशन लिमिटेड	6.84	4.27	37.57
9	नूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	13.24	11.58	12.54
	कुल	**350.19**	**157.27**	**55.09**

लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया कि:

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार, यदि कम्पनी ऐसी राशि को व्यय करने में विफल होती है तो बोर्ड कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (0) के तहत बनी अपनी रिपोर्ट में इन निर्दिष्ट कार्यों हेतु आबंटित राशि को व्यय न करने के कारणो का उल्लेख करेगा। एक मिनीरत्न सीपीएसई (इंडियन रिन्यूऐबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड) तथा एक नवरत्न सीपीएसई (भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड) ने बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित राशि व्यय न करने के कारणो का उल्लेख नहीं किया था।
- डीपीई दिशा निर्देश, 2014 के पैरा 2.4(iv) के अनुसार एक विशिष्ट वर्ष में व्यय न की गई सीएसआर राशि कालातीत नहीं होगी । इसे उस प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए अगले वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा जिसके लिए उसे आबंटित किया गया था। यह पाया गया कि तीन सीपीएसईज (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, तथा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड) ने व्यय न की गई राशि को उस प्रयोजन के लिए अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेषित नहीं किया था, जिसके लिए उसे आबंटित किया था।
- 15 सीपीएसईज के बोर्ड ने बोर्ड की रिपोर्ट में 2015-16 के दौरान निर्धारित राशि को व्यय न करने के निम्नलिखित कारण वर्णित किए है जैसाकि तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका : 4.3 सीएसआर कार्यों के लिए आबंटित निधियों के कम उपयोग हेतु निर्दिष्ट कारण

क्रम सं.	सीपीएसईज	2015-16 की बोर्ड की रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट कारण
1.	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	वर्ष के दौरान ₹11.86 करोड राशि दी गई है जिसके प्रति कार्यान्वयन एजेंसियो को केवल ₹3.10 करोड़ की राशि का संवितरण किया गया है तथा शेष राशि को प्रत्यक्ष/वित्तीय प्रगति पर संवितरित किया जाएगा।

2.	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अधिकतर परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रो में संरचनात्मक विकास की थी जिसमें दीर्घ कार्यान्वयन अवधि सम्मिलित है तथा कार्यान्वयन एजेंसियो ने कार्य करने में अधिक समय लिया।
3.	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16 के दौरान व्यय न की गई राशि परियोजनाओं के समापन हेतु की गई प्रगति के आधार पर उपयोग की जाएगी।
4.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	परियोजनाऐं क्रियान्वयन के स्तर पर थी, माइलस्टोन पूर्ण होने पर भुगतान किया गया था इस प्रकार अव्ययित राशि थी।
5.	नुमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	कुछ परियोजनाऐं शुरू की गई थीं और अनुवर्ती अनुमोदन 2015-16 के 3सरी और 4थी तिमाही में प्राप्त किये गये थे। इस प्रकार, आबंटित बजट खर्च नहीं किया जा सका और अगले वित्तीय वर्ष के लिये रखा गया था।
6.	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निर्धारित सीएसआर कार्य क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर थे। वास्तविक धनापूर्ति 2016-17 के दौरान अपेक्षित है। कुछ कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा था।
7.	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कुछ शुरू की गई मुख्य परियोजनाओं की लम्बी निर्माण पूर्व अवधि थी जिसका 3-5 वर्ष परिव्याप्त बजट था इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये निश्चित किये गये बजट का कम उपयोग हुआ।
8.	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	₹ 41.54 लाख (लगभग) कवर करने वाले निर्धारित कार्य परियोजना को प्रस्ताव में परिवर्तन, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, निविदाओं की खराब अनुक्रिया के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था। शेष ₹ 28.30 लाख के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई थी और इसका अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ध्यान रखा जायेगा।
9.	भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सभी मुख्य परियोजनाओं का परियोजना चक्र एक से पांच वर्ष के बीच है। कई परियोजनाऐं एक से दो वर्षों के बीच क्रियान्वयन के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष की 2सरी, 3सरी और 4थी तिमाही में बोर्ड द्वारा अनुमोदित थी। उनके प्रति वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष से अधिक हुआ। इसलिए वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिबद्ध परियोजनाओं का भुगतान बाद के महीनों में जारी किया गया। सीएसआर निधि जो आबंटित होने के बावजूद भी वर्ष 2015-16 में खर्च नहीं की गई थी, को अगले वर्ष के लिये रखा गया था।
10.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर व्यय ₹ 76.2 करोड़ था जो तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्ष के औसत सकल लाभ के 2 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम व्यय अर्थात ₹ 57.2 करोड़ से अधिक है। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसआर व्यय अधिनियम द्वारा निर्धारित राशि से कम था।

11.	इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाईजेशन	व्यय न करने के कारण परिचालन-संबंधी हैं, यद्यपि प्रबंधन ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2016-17 में खर्च की जाने वाली राशि सहित अगले वित्तीय वर्ष में सीएसआर कार्य पर व्यय हेतु राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित की।

1 हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन की 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट अभी पूर्ण नहीं की गई थी और इसलिये कारण निर्धारित नहीं किये जा सके थे।

2. एनएमडीसी लिमिटेड ने निर्धारित राशि खर्च न करने हेतु कारण नहीं बताये, व्यय की जाने वाली राशि का आबंटन अधिनियम द्वारा निर्धारित से कम है।

4.4.2.2 अन्य प्वाइंट

- नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में, स्कूल, कॉलेज, बस सेवा, अन्य असोसीएशन आदि के प्रति व्यय, जो प्रत्यक्ष रूप से कम्पनी द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित हैं को भी सीएसआर व्यय के रूप में दर्शाया गया था।
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मामले में, यह देखा गया कि 2014-15 के दौरान, सीपीएसई ने पुराना मापदंड अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना करने की अपेक्षा सीएसआर व्यय निकालने के लिये कर के बाद लाभ लिया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ की सीएसआर निधि कम नियोजित हुई।
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में, सीएसआर हेतु समेकित वार्षिक बजट बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं था। 2015-16 में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाऐं केवल अलग-अलग परियोजना के आधार पर बोर्ड द्वारा नियोजित, अनुशंसित और अनुमोदित थी।

4.4.3 क्रियान्वयन और निगरानी

4.4.3.1 क्रियान्वयन का माध्यम

सीएसआर नियमावली के पैरा 4(2) के अनुसार, कम्पनी बोर्ड अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा स्थापित कम्पनी या पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से या तो अकेले या अपने नियंत्रित या सहायक या सहयोगी कम्पनी के साथ या उन अन्य कम्पनी के नियंत्रित या सहायक या सहयोगी कम्पनी के साथ, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित गतिविधियां शुरू करने का निर्णय ले सकते है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन सीपीएसई ने स्वयं के स्रोतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सीएसआर परियोजनाऐं/कार्य क्रियान्वित किये, 11 सीपीएसई ने क्रियान्यन एजेंसी के माध्यम से सीएसआर परियोजनाऐं/कार्य क्रियान्वित किये और 57 सीपीएसई ने स्वयं के स्रोत के साथ-साथ क्रियान्वयन एजेंसियों दोनों के माध्यम से परियोजनाऐं क्रियान्वित की।

4.4.3.2 सीपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों के ध्यान केन्द्रित करने वाले क्षेत्र

सीएसआर नियमावली के पैरा 4(1) और पैरा 6(1) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियां कम्पनी की सीएसआर नीति में निर्धारित अनुसार की जानी चाहिये अर्थात कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंदर आने वाली परियोजनाऐं एवं कार्यक्रम।

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में निर्धारित विभिन्न गतिविधियां/क्षेत्र पर 76 सीपीएसई के व्यय का विश्लेषण चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3 सीपीएसई द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों की स्थिति

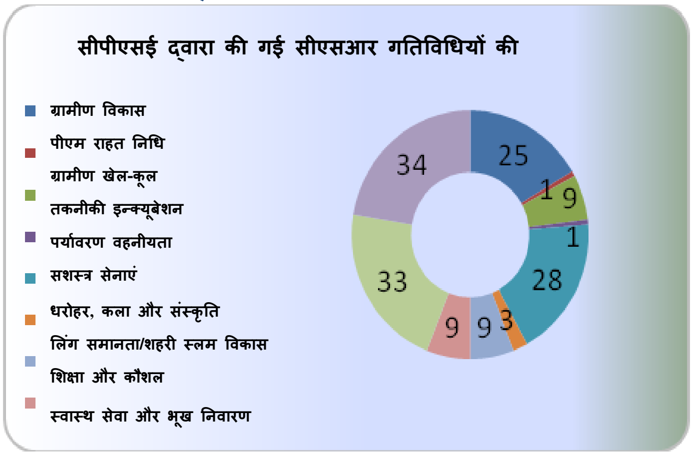

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि अधिकतर सीपीएसई ने शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य सेवा, भूख से निवारण, पर्यावरण वहनीयता और ग्रामीण विकास को सीएसआर हेतु अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में शामिल किया था। तकनीकी इन्क्यूबेशन, सशस्त्र सेनाओं और पीएम राहत निधि पर कम ध्यान केन्द्रित था।

4.4.3.3 निष्पादन के नियोजन स्तर

सीएसआर नियमावली के पैरा 6(2) के अनुसार, कम्पनी की सीएसआर नीति को उल्लिखित करना चाहिये कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अधिशेष को कम्पनी के कारोबार लाभ का भाग नहीं बनाना चाहिये। तथापि, 26 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर नीति में उपरोक्त जानकारी उल्लिखित नहीं की थी।

डीपीई दिशानिर्देशों 2014 के पैरा2.4 (xiv) के अनुसार, सीपीएसई को आबंटित बजट के अंतर्गत अपेक्षित संसाधनों की मात्रा के पूर्वानुमान सहित विभिन्न माइलस्टोन पर लक्ष्य निर्धारित करके पहले से निष्पादन के स्तर की योजना बनानी चाहिये और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये निर्धारित समय सीमा होनी चाहिये। तथापि, 61 सीपीएसई ने सीएसआर योजना/रणनीति बनाई और उसका अनुमोदन बोर्ड से प्राप्त किया गया था, लेकिन सभी सीपीएसई योजना में किये गये सीएसआर कार्य को उल्लिखित नहीं करते। 15 सीपीएसई के मामले में, सीएसआर योजना या निष्पादन के स्तर विभिन्न माइलस्टोन पर लक्ष्य निर्धारित करके पहले से निश्चित नहीं किये गये थे। 11[25] सीपीएसई के मामले में, आबंटित बजट के अंतर्गत अपेक्षित संसाधनों की मात्रा का पूर्वानुमान नहीं किया गया था। 12[26] सीपीएसई के मामले में, योजना सीएसआर गतिविधियों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव वांछित/परिमेय अपेक्षित परिणाम निर्धारित नहीं करती जबकि 55 सीपीएसई के मामले में योजना ने अपेक्षित परिणाम और प्रभाव निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के मामले में, सीएसआर व्यय के अनुमोदन में विलम्ब, निम्नलिखित कारणों से था:

---

[25] भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, इंडियन रीन्यूऐबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड।

[26] नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, इंडियन रीन्यूऐबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड।

- चूँकि वर्ष 2014-15 के लिये ओएनजीसी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों को जुलाई 2015 में अंतिम रूप दिया गया था, सीएसआर निधि उसी माह में अनुमोदित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप तीन माह से अधिक का विलम्ब हुआ और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ।
- सेल के मामले में अनुमोदित सीएसआर बजट वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान चार से पांच माह की समाप्ति के बाद संयंत्र/इकाई को बताया गया था। जिसके परिणामस्वरूप सीएसआर पर व्यय लंबित हुआ।

4.4.3.4 परिचालन संबंधी क्षेत्र

डीपीई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 2.4 (xiii) के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र को उचित वरीयता देने के बाद सीपीएसई देश में कही भी सीएसआर गतिविधियां कर सकता है। निदेशक मंडल को स्थानीय क्षेत्र और उसके बाहर के बीच सीएसआर व्यय के सांकेतिक अनुपात के बारे में निर्णय लेना चाहिये, इसे सीपीएसई की सीएसआर नीति में उल्लिखित किया जा सकता है।

यह देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में, 66 सीपीएसई ने सीएसआर राशि खर्च करने हेतु अपने संचालन के आस-पास के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी थी जबकि निम्नलिखित पांच सीपीएसई जो तालिका 4.4 में सूचीबद्ध हैं ने संचालन के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी:

तालिका 4.4: सीपीएसई जिन्होने संचालन के स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
2	एमएसटीसी लिमिटेड
3	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड
5	सैन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन

सीपीएसई ने दोनों क्षेत्रों के बीच सांकेतिक अनुपात भी निर्धारित नहीं किया और उसे सीएसआर नीति में उल्लिखित नहीं किया था। महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित प्रकार हैं:

- भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में, स्थानीय और गैर-स्थानीय क्षेत्रों पर खर्च किये जाने वाले सीएसआर व्यय का सांकेतिक अनुपात डीपीई दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुसार निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था। सीएसआर हेतु क्षेत्र-वार और कार्य-वार किये गये व्यय का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्रबंधन ने कहा कि सीएसआर नीति योजना अद्यतित करते समय स्थानीय क्षेत्र का कार्य परिभाषित किया जायेगा।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मामले में, यद्यपि सीपीएसई ने स्थानीय क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र के लिये सांकेतिक अनुपात निर्धारित किया था, जिसका वास्तविक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये बाहरी क्षेत्र पर अधिक था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रों को अलग अनुपात में निधि के आबंटन की स्वैपिंग हेतु सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमोदन नहीं मांगा गया था।

4.4.3.5 क्षमता वर्धन पर व्यय

चार्ट 4.4
क्षमता वर्धन पर व्यय

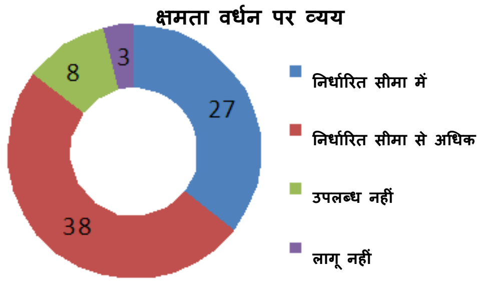

कम्पनी (सीएसआर) नियमावली 4(6) के अनुसार, कम्पनी अपने स्वयं के कार्मिक के साथ-साथ कम से कम तीन वित्तीय वर्षो के स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ संस्था के माध्यम से उनकी क्रियान्वयन एजेंसियों की सीएसआर क्षमता बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा व्यय प्रशासनिक उपरिव्यय के साथ एक वित्तीय वर्ष में कम्पनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

यह देखा गया कि 38 सीपीएसई के क्षमता वर्धन पर व्यय कुल सीएसआर व्यय की पांच प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया था।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के मामले में, सीएसआर कार्मिकों को क्षमता वर्धन हेतु अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया था लेकिन प्रशिक्षण पर व्यय सीएसआर के अंतर्गत स्पष्ट नहीं किया गया था।

4.4.4 सीएसआर गतिविधियों की निगरानी

4.4.4.1 सीएसआर नीति की निगरानी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3-सी) निर्धारित करती है कि सीएसआर समिति को समय-समय पर कम्पनी की सीएसआर नीति की निगरानी करनी चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया था कि 76 में से निम्नलिखित पांच सीपीएसई की सीएसआर समिति ने सीएसआर नीति की आवधिक रूप से निगरानी नहीं की थी जैसा तालिका 4.5 में सूचीबद्ध है:

तालिका4.5: सीएसआर नीति की मॉनिटरिंग नहीं करने वाली सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	शिपिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	ड्रेजिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5	नेवेली लिग्नाइट कॉर्परेशन लिमिटेड

4.4.4.2 पारदर्शी मॉनिटरिंग तंत्र का गठन

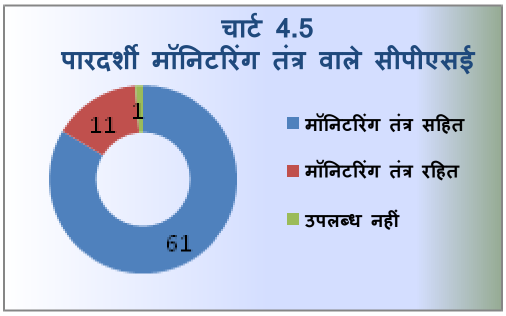

सीएसआर नियमावली 2014 का पैरा 5(2) निर्धारित करता है कि सीएसआर समिति को कम्पनी द्वारा की गई सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु पारदर्शी मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित करना चाहिये। यह देखा गया कि 73 सीपीएसई में से 11[27] सीपीएसई में कोई मॉनिटरिंग तंत्र नहीं था। अन्य 17[28] सीपीएसई के मामले में

---

[27] नेवेली लिग्नाइट कॉर्परेशन लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, शिपिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

[28] नेवेली लिग्नाइट कॉर्परेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्राक्शन कॉर्परेशन लिमिटेड, इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गनाइजेशन, एमएसटीसी लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, प्रोजेक्ट एंड डिवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, सेक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी लिमिटेड।

मॉनिटरिंग मुख्य निष्पादन सांकेतकों की सहायता से आवधिक रूप से नहीं की गई।

हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के मामले में, सीपीएसई ने चयनित स्कूल/कॉलेज में सोलर पैनल की स्थापना हेतु टीईआरआई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। बैंगलुरू इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को वापस दी गई अतिरिक्त बिजली के माध्यम से प्राप्त वित्तीय लाभ का कल्याण कार्य हेतु लाभार्थियों द्वारा उपयोग नियत किया गया था। तथापि, एचएएल/टीईआरआई द्वारा उसकी मॉनिटरिंग हेतु कोई भी निर्धारित प्रक्रिया/दिशानिर्देश नहीं थे।

4.4.4.3 संचार योजना

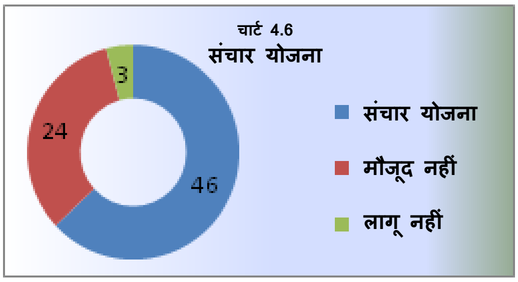

डीपीई दिशानिर्देश 2014 के पैरा 2.4 (xv) के अनुसार, सीपीएसई को कम्पनी द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों और निरंतर कार्यवाही के संबंध में उनके विचारों और सुझावों को सुनिश्चित करने के लिये मुख्य पणधारकों के साथ नियमित बातचीत और परामर्श के लिये संचार योजना बनानी चाहिये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 73 सीपीएसई में से, 24 सीपीएसई के मामले में, मुख्य पणधारकों जैसे सरकारी प्राधिकारी, जिला स्तर प्राधिकरण और अन्य लाभार्थियों के साथ बातचीत हेतु कोई औपचारिक संचार योजना नहीं थी।

4.4.4.4 उपयोगिता प्रमाणपत्र

लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किये गये 73 सीपीएसई में से, 15 सीपीएसई के मामले में, यह देखा गया है कि सीपीएसई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र के लिये योग्यता की समीक्षा की गई थी।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मामले में, प्रचलन में प्रयोग के अनुसार, व्यय उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) की प्राप्ति के बाद ही परियोजना हेतु व्यय किया गया माना जाता है और उस समय तक उसे अग्रिम के रूप में रखा जाता है। वर्ष 2015-16 के

लिये निष्पादन के अंतर्गत 22 परियोजनाओं में से 5 की नमूना जांच में, यह देखा गया कि एक परियोजना अर्थात 'नेवल वेल्फेयर फंड ट्रस्ट' (एनडब्ल्यूएफटी) के संबंध में कम्पनी ने नवम्बर 2015 में ₹ 15 लाख का योगदान दिया। उसका उपयोगिता प्रमाणपत्र 31/03/2016 तक प्राप्त नहीं हुआ था अर्थात निधि प्राप्त होने के आठ माह बाद। सीपीएसई निर्धारित उद्देश्य हेतु पैसे का व्यय करने के बावजूद वर्ष 2015-16 में ₹ 15 लाख का सीएसआर व्यय बुक नहीं कर सकी।

- यह देखा गया कि सीएसआर गतिविधियों के संबंध में ₹ 3.28 करोड़ के लिये उपयोगिता प्रमाणपत्र गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

4.4.5 रिपोर्टिंग और स्थिरता

4.4.5.1 सीएसआर समिति की संरचना का प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(2) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार सीपीएसई अर्थात कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अलावा सभी 69 सीपीएसई ने बोर्ड की रिपोर्ट में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की।

4.4.5.2 बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट का समावेशन

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 8(1) के अनुसार, नियम के अंतर्गत कवर्ड कम्पनी की बोर्ड रिपोर्ट में निर्धारित प्रारूप में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल करनी चाहिये। तथापि, यह देखा गया कि 73 सीपीएसई में से, 2 सीपीएसई को वर्ष 2015-16 में हानि हुई और दो सीपीएसई अर्थात बॉल्मर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल नहीं की।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के मामले में, यह देखा गया कि यद्यपि वर्ष 2014-15 के लिये सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में की गई सीएसआर गतिविधियां के बारे में बताया गया था, उसमें खर्च नहीं की गई राशि का विवरण देने वाली जानकारी और निर्धारित प्रारूप के अनुसार उसके कारण प्रस्तुत नहीं थे।

- यद्यपि भारत डायनामिक्स लिमिटेड के मामले में, वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर बोर्ड रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाई गई थी। प्रबंधन ने 2015-16 के लिये वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण की आवश्यकता का पालन करना सुनिश्चित किया। इसके अलावा, कम्पनी की वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर गतिविधियों और मौजूदा नीति के केवल संक्षिप्त संस्करण को प्रदर्शित किया गया है।

4.4.5.3 सीएसआर की विषयवस्तु प्रदर्शित करना

सीएसआर नियमावली 2014 के पैरा 9 के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मण्डल को अपनी रिपोर्ट में सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रस्तुत करनी चाहिये और उसे कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिये। 73 सीपीएसईज़ में से तीन सीपीएसईज़ यथा बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड, भारत कुकींग कोल लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर नीति की विषयवस्तु प्रदर्शित नहीं की है।

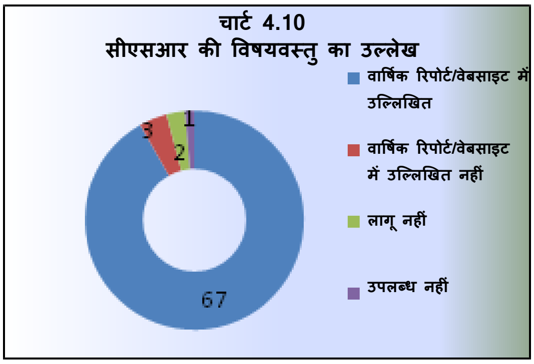

4.4.6 प्रभाव आकलन

किसी भी सीएसआर और निरंतर गतिविधि/परियोजना की सफलता की अंतिम जांच उसका सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रभाव है। प्रत्येक ऐसी गतिविधि योजनाबद्ध है और समाज या पर्यावरण पर कुछ अनुमानित प्रभाव के साथ क्रियान्वित है। डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के पैरा 2.4 (xvii) के अनुसार, सीपीएसई को उनके द्वारा की गई सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं की बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रभाव आकलन का अध्ययन करवाना चाहिये।

- लेखापरीक्षा ने देखा कि 73 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई के मामले में पूर्ण परियोजनाओं/गतिविधियों के लिये प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था।

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 'स्वच्छ भारत' कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें यह वांछित था कि कार्पोरेट क्षेत्र के साथ मिलकर महत्वपूर्ण स्मारकों पर मौजूदा सुविधाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। ओएनजीसी ने संपूर्ण रूप से विकास हेतु छह धरोहर स्थलों (ताजमहल, आगरा सहित) को अपनाने की इच्छा जताई। परियोजना 2017-18 तक चार वर्षों में पूर्ण की जानी थी। परियोजना के लिये आबंटित कुल बजट ₹ 20.75 करोड़ था। आबंटित बजट में से ₹ 0.50 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को दी गई। वर्ष 2015-16 के लिये आबंटित निधि ₹ 6.75 करोड़ थी। तथापि, वर्ष 2015-16 में एएसआई को कोई भुगतान नहीं किया गया। अपने उत्तर में ओएनजीसी ने कहा (अक्टूबर 2015) कि पैट्रोलियम और नैचुरल गैस मंत्रालय ने ओएनजीसी को आगे के निर्देश जारी करने तक परियोजना के अतिरिक्त भुगतान को रोकने के लिये कहा (दिसम्बर 2015)। जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

- मैंगलोर रिफाईनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), ने अपनी सीएसआर गतिविधि के भाग के रूप में लेडी गोसचेन हास्पिटल मैंगलोर में विंग के निर्माण के प्रति 2012 में ₹ 21.70 करोड़ अनुमोदित किये। चूँकि, वर्ष 2012-13 के लिये एमआरपीएल का कर के बाद लाभ नकारात्मक था, ओएनजीसी से उसके सीएसआर हस्तक्षेप के अंतर्गत परियोजना हेतु अंतर वित्तपोषण प्रदान करने का अनुरोध किया गया (जुलाई 2013) तदनुसार ₹ 12.78 करोड़ की वित्तीय सहायता ओएनजीसी द्वारा स्वीकृत की गई थी। यद्यपि परियोजना ₹ 8.89 करोड़ के प्रारंभिक निवेश सहित मार्च 2013 में शुरू की गई थी जुलाई 2015 तक कोई प्रगति नहीं हुई थी। परियोजना 25 माह के विलम्ब के बाद फिर से शुरू की गई थी। अभी तक (अगस्त 2016) परियोजना केवल 64 प्रतिशत पूर्ण की गई है।
- विभिन्न सीपीएसई द्वारा सीएसआर योजनाओं के अंतर्गत कुछ उल्लेखनीय कार्य तालिका 4.6 में दिये गये हैं:

तालिका 4.6: सीपीएसई द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य

सीपीएसई	प्रकार	प्रभाव
भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड	इंजीनियरिंग	1. बच्चो सहित 480 हीमोफीलिक रोगियों को सहायता प्रदान की। 2. बीएचईएल की तीन इकाइयों के निकट मोबाइल साइंस लैब के माध्यम से 250 स्कूलों के करीब 35,000 छात्रों को लाभ प्रदान किया। 3. ललितपुर (उ.प्र.) में तैनात 'लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन' के माध्यम से करीब 7700 रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान की।
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोल	सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों ने 53,412 शौचालयों का निर्माण किया। 31 मार्च, 2016 तक इन शौचालयों के निर्माण पर कुल ₹ 820.44 करोड़ का व्यय किया गया।
गेल (इंडिया) लिमिटेड	गैस	1. ''आरोग्य'' के अंतर्गत करीब 5,00,000 लोगों और 391 गांवों को कवर करने वाले सात राज्यों में मोबाइल चिकित्सा इकाईयों का संचालन किया। 2. मार्जिनलाइज्ड समुदाय से गुणी बच्चो के उद्देश्य से ''उत्कर्ष'' प्रमुख कार्यक्रम; जो किया गये पूर्णव्यय, विशेष आवासीय कोचिंग/गहन सलाह प्रदान करती है ताकि वो आईआईटी-जेईई, एआईईईई और यूपीटीयू जैसी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिये प्रत्यन कर सके। 2015-16 के लिये, इस कार्यक्रम के लिये कुशल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 100 छात्र पहचाने गये थे। इनमें से 94 ने आईआईटी मुख्य परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त की जिसमें से 55 ने विभिन्न आईआईटी और देश के अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया। 3. कम्पनी ''कौशल'' कार्यक्रम के अंतर्गत दूरस्थ/पिछडे जिलों में 3200 से अधिक ग्रामीण और सेमी-अर्बन युवाओं को ऑटो कैड, वेब डिजाइनिंग, घरेलू बीपीवी/बीपीओ वेल्डिंग, इंडस्ट्रीयल इलैक्ट्रिशियन, सीएनसी ऑपरेटर इंस्ट्रूमेंट आदि में नौकरी से जुड़ी कुशल प्रशिक्षण देने के लिये गूना (म.प्र.), डेडियापाडा (नर्मदा, गुजरात) तंदूर (रंगारेड्डी, तेलंगाना 31 अगस्त 2016 तक) और नगराम (आंध्र प्रदेश) में चार गेल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का संचालन कर रहा है।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ऑयल	1. इंडियन ऑयल द्वारा 22.00 लाख नये कनेक्शन लगाये गये और कुल मिलाकर 32.40 लाख गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ। 2. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत, इंडियन ऑयल ने 16 राज्यों में सरकारी स्कूलों में 2855 शौचालयों के निर्माण/

		मरम्मत का कार्य किया। 3. स्वर्ण जयंती सामुदायिक अस्पताल, मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इस परियोजना से 52,660 रोगियों का इलाज किया गया और अभी तक करीब 8 लाख रोगियों का लाभ मिला। 4. सर्वेसंतु निरामया (एसएसएन) परियोजना डिगबोई, असम के अंतर्गत 2,500 रोगी और 12,200 पशुओं का इलाज किया गया अभी तक, 54,00 रोगी और 57,000 पशुओं का इलाज किया गया है। 5. 2015-16 के दौरान, इंडियन ऑयल मल्टी-स्किल डिवेलपमेंट इंस्टीट्यूट, डिग्बोई, असम से विभिन्न उद्योग में 271 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया और अभी तक 388 लाभार्थियों को प्रशिक्षण और प्रमाणित किया गया है। 6. 2015-16 के दौरान, शिक्षक दक्षता विकास अभियान, डिग्बोई, असम के अंतर्गत 81 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया और अभी तक, डिग्बोई में और उसके आसपास में 42 गांवों को कवर करते हुये स्कूलों से 355 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
एनटीपीसी लिमिटेड	पावर	"स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान" के अंतर्गत स्कूलों में करीब 29,000 शौचालय उपलब्ध कराये गये थे।
ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ऑयल	1. स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत 8,202 शौचालय बनाये गये थे। 2. वरिष्ठ स्वास्थय सेवा अभियान के अंतर्गत 59,750 लाभार्थियों की कुल 15,26,538 पुरानी बीमारी का इलाज किया गया।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	ऑयरन एंड स्टील	1. स्वच्छ विद्यालय अभिहयान के अंतर्गत 6 राज्यों में 672 शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया। 2. वर्ष 2015-16 के दौरान 3,800 स्वास्थ कैम्पों से अधिक का आयोजन किया गया जिससे लगभग 97,000 गांव के लोगों को लाभ मिला। 3. प्रत्येक वर्ष करीब 1,00,000 गरीब और जरूरतमंद लाभार्थियों को संयंत्रों में 24 विशेष स्वास्थ्य केन्द्र मुफ्त चिकित्सा सेवा और दवाईयां प्रदान कर रहे हैं। 2015-16 के दौरान, 1.32 लाख से अधिक गांव के लोगों ने इन स्वास्थय केन्द्रों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ लिया। 4. स्टील टाउनशिपों में 145 स्कूलों के 55,000 बच्चों को आधुनिक शिक्षा दी गई और भिलाई और राउरकेला में 636 सरकारी स्कूलों में 75,000 विद्यार्थियों को अक्षय पत्र फाउंडेशन के सहयोग से दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया।

		5. 21 विशेष स्कूल (कल्याण एंड मुकुल विद्यालय) मुफ्त सुविधाओं सहित एकीकृत स्टील प्लांट स्थलों पर 3600 बीपीएल श्रेणी विद्यार्थियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। 335 आदिवासी बच्चों को ज्ञानज्योति योजना, बोकारों के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन एवं कपड़े, कापी-किताब इत्यादि मिल रहा है। 6. वर्ष 2015-16 के दौरान पिछड़े गाँवों के 947 युवाओं और 1785 महिलाओं को सतत आय अर्जन के प्रति लक्षित व्यावसायिक और विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

4.5 निष्कर्ष

सीएसआर भारत में प्रत्येक सीपीएसई का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। सीपीएसईज़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ग्रामीण विकास और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से देश के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की। सीएसआर के अनिवार्य प्रावधान वाले कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रवर्तन के साथ ही यह देखा गया कि यद्‌यपि सीपीएसईज़ ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था किन्तु फिर भी योजना में देरी, अग्रिम में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाना एवं व्यय में देरी जैसी कई घटनायें थी।

निर्धारित राशि में पांच प्रतिशत से 97 प्रतिशत तक की कमी भी देखी गई थी। 57 लाभकारी सीपीएसईज़ बोर्ड में से 27 सीपीएसईज़ (47 प्रतिशत) ने यह सुनिश्चित किया कि सीएसआर हेतु अधिनियम द्‌वारा निर्धारित निधियों को पूरा खर्च किया गया है। हालांकि, 30 सीपीएसईज़ के बोर्ड (53 प्रतिशत) ने ऐसा नहीं किया। कई सीपीएसईज़ ऐसी भी थी जहां निर्धारित राशि से वास्तविक व्यय के लिए अलग वार्षिक लेखे नहीं बनाए जा रहे है। इसके अलावा, सीपीएसईज़ के वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित राशि से कम खर्च का कारण नहीं बताया जाता है। यह देखा गया कि प्रभाव निर्धारण अर्थात् पूर्ण हो चुकी परियोजना हेतु सीएसआर गतिविधि की अंतिम जांच कई मामलों में नहीं की गई थी।

4.6 सिफारिशें

भारत सरकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से निगमित सामाजिक दायित्व के प्रावधानों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दबाव बनाए।

अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों एवं सीपीएसईज़ के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रशासनिक मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) प्रबंधन के बीच वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व लक्ष्य निर्धारण हेतु आपसी सहमति करार है और इसका आशय इन लक्ष्यों के प्रति सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करना है। इसमें सीपीएसई और सरकार की मंशा, उसके दायित्व और आपसी जिम्मेदारियाँ निहित होती हैं तथा नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं की बजाए परिणामों तथा लक्ष्यों द्वारा सीपीएसई प्रबंधन का सुदृढ़ करना निर्देशित है। सीपीएसईज़ की सहायक कंपनियों को अपनी धारक कंपनियों के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर करना होता है।

5.2. संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और सीपीएसईज़ प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन करने का एक तंत्र प्रदान करता है। यह एक प्रणाली प्रदान करता है जिसके माध्यम से एमओयू लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वर्ष के अंत में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन किया जाता है। संस्थागत व्यवस्था एवं उनके अंतर्संबंध इस प्रकार हैं:

(i) उच्चाधिकार प्राप्त समिति - सर्वोच्च स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) अंतिम मूल्यांकन का अनुमोदन करती है जो कि यह स्पष्ट करता है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रतिबद्धताओं को कितना पूरा किया गया है।

(ii) कार्यबल - कार्यबल में सेवानिवृत्त सिविल सेवक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी, प्रबंधन क्षेत्र के पेशेवर और स्वतंत्र सदस्य होते हैं जिन्हें संबंधित क्षेत्र में अनुभव हो।

कार्यबल का मुख्य कार्य है (i) स्पष्टीकरण एवं समझौता वार्ताओं के माध्यम से वर्ष के आरंभ में एमओयू पर चर्चा करना तथा उसे अंतिम रूप देना, तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना और (ii) वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक सीपीएसई के समेकित स्कोर का मूल्यांकन करना। कार्यबल के स्थान पर मई 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)[29] का गठन किया गया। 2015-16 के लिए एमओयू का मूल्यांकन आईएमसी द्वारा किया जाएगा।

(iii) डीपीई में एमओयू डिवीज़न - डीपीई में एमओयू डिवीज़न द्वारा एचपीसी एवं कार्यबल/आईएमसी की सहायता की जाती है जो एचपीसी एवं कार्यबल/आईएमसी के स्थायी सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है।

5.3 निष्पादन मूल्यांकन एवं रेटिंग हेतु एमओयू लक्ष्य

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के एमओयू में दो भाग थे, वित्तीय लक्ष्य अथवा अचल मापदण्ड और गैर-वित्तीय अथवा परिवर्तनीय मापदण्ड, दोनों बराबर 50 प्रतिशत महत्व अनुपात में है। वित्तीय मापदण्ड कारोबार, लाभप्रदता और विभिन्न वित्तीय अनुपातों से संबंधित है, जबकि गैर वित्तीय मापदण्ड में परियोजना कार्यान्वयन, उत्पादकता और आंतरिक प्रक्रियायें, तकनीक, गुणवत्ता, नवीन पहलों के साथ-साथ सेक्टर विशिष्ट मापदण्ड शामिल हैं। सीपीएसई एवं प्रशासनिक मंत्रालय के सुझाव से कार्यबल प्रत्येक मापदण्ड के लिए लक्ष्य एवं महत्व निर्धारित करता है।

'उत्कृष्ट' एवं 'घटिया' निष्पादन के बीच अंतर के नजरिए से प्रत्येक मापदण्ड का पांच बिन्दु पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है अर्थात्, 'उत्कृष्ट' के लिए पांच फिर एक-एक घटाते हुए 'बहुत अच्छा', 'अच्छा', 'ठीक' और 'घटिया' (वर्ष 2014-15 में यह रेटिंग उल्टे क्रम में थी अर्थात् 'उत्कृष्ट' के लिए एक तथा 'घटिया' के लिए पांच)। सीपीएसई का वास्तविक निष्पादन प्रत्येक मापदण्ड हेतु अस्थाई स्कोर से परिलक्षित होता है और

---

[29] आईएमसी में सचिव डीपीई इसके अध्यक्ष, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि, अतिरिक्त सचिव, नीति आयोग या उनके प्रतिनिधि सदस्य रूप में होते हैं। सचिव, डीपीई यदि वह उचित समझे किसी ऐसे अधिकारी का भी चयन कर सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हो।

अलग-अलग पैमानों के दिए गए स्कोर को मिलाकर समेकित स्कोर की गणना की जाती है।

5.4 एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

एमओयू लक्ष्य निर्धारण एवं मूल्यांकन में निहित प्रक्रिया निम्नलिखित है:

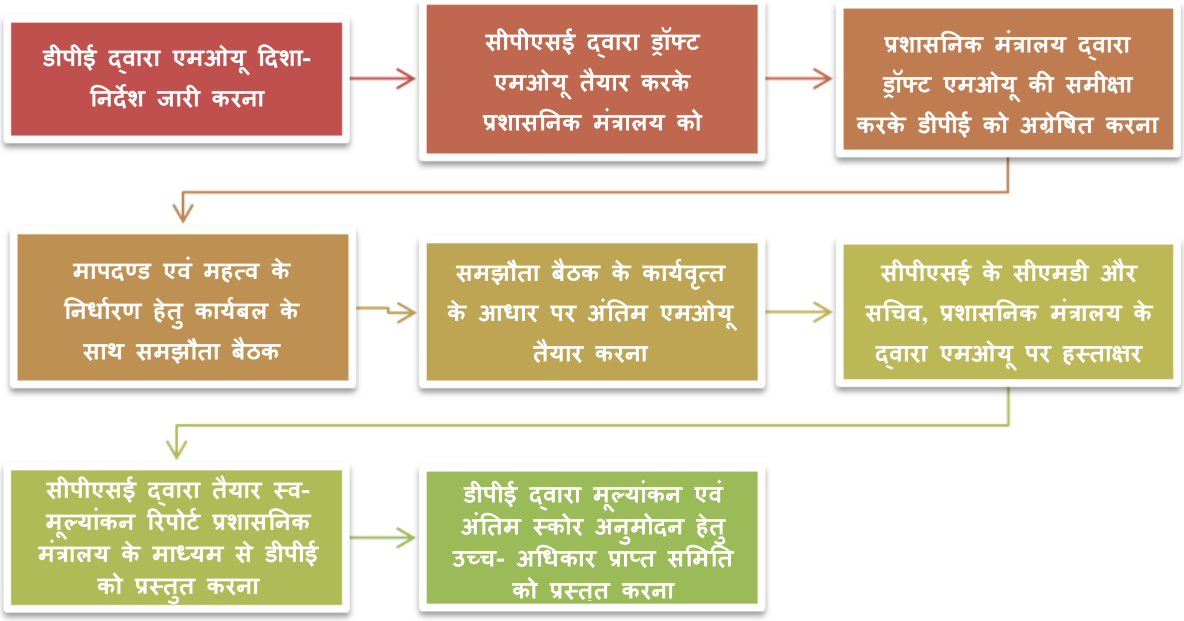

5.5 विश्लेषण का क्षेत्र

इस विश्लेषण में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए सात 'महारत्न' सीपीएसईज़ के एमओयू शामिल हैं। जबकि लेखापरीक्षा में वर्ष 2014-15 के लिए एमओयू के निर्धारण एवं मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई थी, वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू के मूल्यांकन की जांच नहीं की गई थी क्योंकि यह पूर्ण नहीं हुआ था (सितम्बर 2016)। विश्लेषण हेतु चयनित सात 'महारत्न' कंपनियों का विवरण तथा वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए उनकी एमओयू रेटिंग नीचे दी गई है:

सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	एमओयू रेटिंग				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)	भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा
एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी)	विद्युत	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोयला	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	इस्पात	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा

5.6 विश्लेषण का उद्देश्य

विश्लेषण का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि क्या:

(i) एमओयू, डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किए गए थे और लक्ष्य व्यावहारिक एवं सीपीएसई की वार्षिक योजना के अनुसार थे;

(ii) सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत सूचना/डाटा के सत्यापन हेतु डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालयों में प्रभावी तंत्र था;

(iii) सीपीएसईज़ को सरकार से एमओयू में सहमति के अनुसार प्रतिबद्धता/सहायता मिली;

(iv) सीपीएसईज़ द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को समय पर आवधिक विवरणियाँ/ रिपोर्टें प्रस्तुत की गई; और

(v) उपलब्धियाँ एमओयू लक्ष्यों के अनुरूप थीं।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने सात 'महारत्न' सीपीएसईज़ द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित एमओयूज़ के साथ-साथ वर्ष 2014-15 एवं 2015-16[30] के लिए उनके मूल्यांकन रिपोर्टों की भी जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है। सीपीएसईज़ के उत्तर, जहां प्राप्त हुए हैं, को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

5.7.1 एमओयूज़ तैयार करना एवं उन पर हस्ताक्षर करना

5.7.1.1 निदेशक मण्डल द्वारा ड्रॉफ्ट एमओयूज़ की मंजूरी

डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान था कि एमओयूज़ और स्व-मूल्यांकन रिपोर्टें डीपीई को प्रस्तुत करने से पूर्व सीपीएसईज़ के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनटीपीसी प्रबंधन ने 2014-15 और 2015-16 के एमओयूज़ और स्व-मूल्यांकन रिपोर्टें बोर्ड के अनुमोदन के बिना डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत कीं।

एनटीपीसी ने कहा (दिसंबर 2016) कि एनटीपीसी बोर्ड ने जीओआई के साथ हस्ताक्षर किये जाने वाले ड्राफ्ट एमओयू को अंतिम रूप देने तथा अनुमोदन करने हेतु अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी को प्राधिकृत किया था तथा इसे डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय को वर्ष के अंत में मूल्यांकन कर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था।

तथ्य यह रह गया कि ड्राफ्ट एमओयूज़ तथा स्वमूल्यांकन रिपोर्टें डीपीई को प्रस्तुत होने से पहले बीओडी द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थीं जैसा कि डीपीई दिशानिर्देशों में प्रावधान है।

डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि उसने एमओयू तथा स्वमूल्यांकन को सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अग्रेषित माना था।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि डीपीई ने अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था।

---

[30] 2015-16 के लिए स्व मूल्यांकन रिपोर्ट जैसा कि सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत की गई थीं, विचारार्थ ली गई है।

5.7.1.2 वार्षिक योजना/बजट/निगम योजना के अनुरूप एमओयू लक्ष्य तय करना

एमओयू दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना, बजट एवं निगम योजना के अनुरूप होने चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान था कि वार्षिक योजना, वार्षिक बजट एवं निगम योजना की प्रति के साथ-साथ ड्रॉफ्ट एमओयू की एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा किः

- एनटीपीसी ने 2014-15 और 2015-16 के ड्रॉफ्ट एमओयूज़ के प्रस्तुतीकरण के समय डीपीई को वार्षिक योजना, वार्षिक बजट एवं निगम योजना की प्रतियाँ प्रस्तुत नहीं की। इसके बजाए इन दस्तावेजों का एक 'सार' प्रस्तुत किया गया।
- आईओसीएल ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 के ड्रॉफ्ट एमओयू के साथ-साथ पिछले वर्ष (2013-14 एवं 2014-15) से संबंधित वार्षिक बजट/वार्षिक योजना की प्रतियाँ प्रस्तुत की।
- सेल के मामले में एमओयू लक्ष्य (वित्तीय एवं गैर-वित्तीय दोनों) संबंधित निदेशालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचना/लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित किए गए और वार्षिक योजना या बजट पर विचार नहीं किया गया।

एनटीपीसी ने बताया (दिसंबर 2016) कि निगम योजना तथा वार्षिक बजट का 'सार' प्रस्तुत किए गए थे, चूंकि ये दोनों बहुत बड़े आकार के दस्तावेज थे।

सेल ने बताया (जुलाई 2016) कि अक्टूबर/नवम्बर माह में ड्रॉफ्ट एमओयू बनाया गया था और उस समय वार्षिक योजना लक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। आईओसीएल ने बताया (नवम्बर 2016) कि बजट अनुमोदन सामान्यतया वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में लिया जाता था, जिस समय तक ड्रॉफ्ट एमओयू पहले ही डीपीई को प्रस्तुत कर दिया गया था।

सीपीएसईज़ का उत्तर दर्शाता है कि एमओयू में निर्धारित निष्पादन लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वार्षिक योजनाओं और बजट में विसंगती हो सकती थी जो एमओयू दिशा-निर्देशों की अपेक्षा के अनुसार नहीं है।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि सीपीएसईज़ हेतु लक्ष्य एमओयू दिशानिर्देशों के पैरा 3 के अनुसार संबद्ध दस्तावेजों, योजना तथा बजट पर आधारित थे, और प्रस्तावित लक्ष्य कार्यबल द्वारा समझौता बैठक में तय किए गए थे जिसमें सीपीएसई का बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव मौजूद थे।

उत्तर तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि सीपीएसईज़ ने एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार संबद्ध वर्षों की वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/कारपोरेट योजना प्रस्तुत नहीं की थी।

5.7.1.3 एमओयू पर हस्ताक्षर करना

डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमओयूज़ पर सीपीएसईज़ और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के 25 मार्च से पूर्व हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने बीएचईएल और सीआईएल में एमओयू हस्ताक्षर में विलम्ब देखा। बीएचईएल के मामले में वर्ष 2014-15 और 2015-16 के एमओयू हस्ताक्षर में क्रमश: 43 दिनों और 70 दिनों की देरी थी। सीआईएल के मामले में वर्ष 2015-16 के लिए एमओयू हस्ताक्षर करने में 83 दिनों की देरी थी।

बीएचईएल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि ड्रॉफ्ट एमओयूज़ समय के भीतर प्रस्तुत कर दिए गए थे और मंत्रालय/कार्यबल के साथ बातचीत समाप्ति के बाद तथा डीपीई द्वारा ड्रॉफ्ट एमओयू के सत्यापन के बाद हस्ताक्षर किया गया था। समझौता बैठकें डीपीई/ कार्यबल द्वारा तय की गई थी और वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अंतिम समझौता बैठकें क्रमश: 11 अप्रैल 2014 और 20 जुलाई 2015 को की गई थी। इसलिए देरी बीएचईएल द्वारा नहीं थी ।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि दोनों वर्षों के लिए समझौता बैठकें बीएचईएल के अनुरोध पर स्थगित की गई थी। इसके अलावा, समय पर एमओयूज़ का निर्धारण करना सीपीएसई, प्रशासनिक मंत्रालय और डीपीई की जिम्मेदारी थी और ऐसा किए जाने हेतु बेहतर समन्वय अनिवार्य है।

डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि एमओयू पर हस्ताक्षर एमओयू लक्ष्य तय करने की बैठक के निष्कर्ष पर निर्भर था।

उत्तर एमओयूज़ पर हस्ताक्षर करने में विलंब की पुष्टि करता है।

5.7.2 एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना

5.7.2.1 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मियों के साथ बेंचमार्किंग

डीपीई दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि सहकर्मी कम्पनियों, राष्ट्रीय एवं वैश्विक दोनों के साथ बेंचमार्किंग अन्य सूचकों के बीच वित्तीय मानकों के निर्धारण का आधार बनना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि समझौता बैठक के दौरान कार्यबल के समक्ष केवल कुछ सामान्य जानकारी प्रस्तुत करने को छोड़कर 2014-15 और 2015-16 के एमओयूज़ हेतु वित्तीय मापदण्डों के मामले में एनटीपीसी द्वारा बेंचमार्किंग पर कोई विचार नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आईओसीएल ने वर्ष 2014-15 के लिए ड्रॉफ्ट एमओयू प्रस्तुत करते समय उस समय रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद विश्वभर के सहकर्मियों के साथ अपनी रिफाइनरियों के निष्पादन की तुलना के लिए सोलोमन एसोसिएट्स[31] की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया।

एनटीपीसी ने कहा (दिसंबर 2016) कि वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य उपलब्ध बेंचमार्कों के आधार पर विस्तृत चर्चाओं तथा विभिन्न स्तरों पर समीक्षाओं के बाद तय किए गए हैं।

लेखापरीक्षा जांच और कंपनी का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बेंचमार्किंग प्रक्रिया जो कि एमओयूज़ में निष्पादन मानक तय करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में कार्य करती, उसे नहीं किया गया था।

आईओसीएल ने कहा (नवम्बर 2016) कि वित्तीय विवरण उस समय के भौतिक एवं मूल्यों के आधार पर बनाए गये थे, जिसमें मूल्यों को सभी तेल विपणन कम्पनियों द्वारा समान तरीके से माना गया था।

---

[31] बेंचमार्किंग सोलोमन एसोसिएट्स के माध्यम से समूचे भारत में सार्वजनिक क्षेत्र तेल रिफाइनरियों के लिए सेंटर फॉर हाई टेक्नॉलाजी (पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत) द्वारा किया जाता है।

उत्तर से पुष्टि होती है कि उपयुक्त रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद भी एमओयू बनाते समय बेंचमार्किंग नहीं की गई थी।

डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि एमओयू दिशानिर्देशों 2015-16 के पैरा 3.5 के अनुसार एमओयू लक्ष्य उद्योग के बेंचमार्क पर आधारित उपयुक्त लक्ष्यों पर विचार करते हुए सीपीएसई द्वारा बैंचमार्किंग अध्ययन के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्रस्तावित किए जाने थे। चूंकि प्रशासनिक मंत्रालय ने एमओयू लक्ष्यों को अग्रेषित किया था, अतः इन पर कार्यबल ने विधिवत विचार किया था।

उत्तर पुष्टि करता है कि डीपीई ने अपने स्वंय के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

5.7.2.2 कमजोर एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना

(i) डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, एमओयू लक्ष्य वास्तविक के साथ-साथ विकास उन्मुख, प्रेरक और वार्षिक योजना, बजट तथा सीपीएसई की निगम योजना के अनुरूप और दी गई तथा परिकल्पित परिस्थितियों के तहत लक्ष्य अधिकतम प्राप्य होने चाहिए। एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्यों और उनके प्रति वास्तविक प्राप्ति के विश्लेषण से पता चला कि कई मामलों में लक्ष्य (एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित एवं कार्यबल द्वारा अनुमोदित के अनुसार) पिछले वर्ष की उपलब्धि से कम थे, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष	कर/निवल बचत के पश्चात लाभ (% में)		कर पश्चात/कर्मचारी लाभ (₹/लाख में)		घोषित क्षमता (कोयला) (% में)		घोषित क्षमता (गैस) (% में)	
	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक	'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु लक्ष्य	वास्तविक
2012-13	9.81*	10.84	-	52.88	88.00	87.62	89.50	93.14
2013-14	8.37*	12.79	-	46.87	86.00	91.79	88.00	95.24
2014-15	5.73	13.33	21.49	45.75	84.00	88.70	86.00	92.18
2015-16	6.66	11.23	26.74	47.35	पैरामीटर नहीं है		पैरामीटर नहीं है	

** शुद्ध लाभ/शुद्ध कीमत*

तालिका दर्शाती है कि पिछले वर्षों में एनटीपीसी द्वारा दर्ज उच्चतर उपलब्धियों के बावजूद लगातार कम लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। ऐसे कम लक्ष्य के कारण 2014-15

और 2015-16 में वास्तविक उपलब्धि 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु निर्धारित लक्ष्य से काफी अधिक हो गई। यह देखा गया कि कार्यबल ने एमओयूज़ में प्रस्तावित लक्ष्य की तुलना में एनटीपीसी की वास्तविक क्षमता पर उचित ध्यान नहीं दिया। इससे लक्ष्य निर्धारण और ऐसे लक्ष्यों के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन करने का उद्देश्य हतोत्साहित हुआ।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि लक्ष्य विद्युत मंत्रालय/डीपीई पर विस्तृत चर्चा करने के बाद तय किए जाते हैं और कार्यबल/आईएमसी की बैठकों के दौरान इन पर चर्चा की जाती है। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र में वर्तमान परिदृश्य तथा समग्र अर्थव्यवस्था इत्यादि जैसे कारकों पर भी लक्ष्य निर्धारित करते समय विचार किया गया जाता है।

तथ्य रह जाता है कि वास्तविक उपलब्धियां लक्ष्यों से कहीं अधिक थीं।

(ii) वर्ष 2014-15 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में एक मापदण्ड के रूप में भूरे के उपयोग की शुरूआत की गई। इस मापदण्ड के प्रति 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए निर्धारित लक्ष्य 2013-14 में प्राप्त वास्तविक मात्रा की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक था। एनटीपीसी 2014-15 में इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। वर्ष 2015-16 के लिए मापदण्ड को बदलकर 'उत्पादित कुल मात्रा की उपयोग प्रतिशत' और '100 प्रतिशत भूरा उपयोग वाले चार स्टेशनों तथा 80 से 100 प्रतिशत उपयोग वाले तीन स्टेशनों' की 'उत्कृष्ट' रेटिंग निर्धारित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस मापदण्ड पर रिपोर्टिंग के लिए एनटीपीसी ने ऐसे स्टेशनों का चयन किया जिन्होंने बहुत ही कम मात्रा में भूरा उत्पादन किया (चयनित स्टेशनों में कुल भूरा उत्पादन का केवल 11 प्रतिशत उत्पादन हुआ)। इन स्टेशनों ने उत्पादित कुल भूरे का उपयोग किया और एनटीपीसी ने इस मापदण्ड के प्रति लक्ष्य पूरा कर लिया। हालांकि, अत्यधिक मात्रा में भूरे का उत्पादन करने वाले अन्य स्टेशनों ने अपने उत्पादन का 8.73 से 42.66 प्रतिशत तक का ही उपयोग किया।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया कि एनटीपीसी के सभी लक्ष्य कार्यबल/डीपीई द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद तय किए गए हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखे जाने की आवश्यकता है कि भूरे उत्पादन में कम मात्रा का योगदान करने वाले स्टेशनों का चयन करने के परिणामस्वरूप एमओयू रेटिंग हेतु भूरे के उपयोग का चयन करने का उद्देश्य असफल हो गया था।

(iii) सेल के निगम सामग्री प्रबंधन समूह ने 'ई-क्रय' मापदण्ड के प्रति 2014-15 के एमओयू में 'उत्कृष्ट' एवं 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए क्रमश: कुल खरीद का 35 प्रतिशत और 33 प्रतिशत एमओयू लक्ष्य निर्धारित किया (दिसंबर 2013)। हालांकि, सेल ने अंतिम एमओयू में क्रमश: 33 प्रतिशत और 31 प्रतिशत लक्ष्य दर्शाया। इस मापदण्ड के प्रति 2014-15 में वास्तविक प्राप्ति 36.83 प्रतिशत थी। जबकि 2015-16 में, सेल ने बहुत कम लक्ष्य अर्थात 35 प्रतिशत निर्धारित किया। इस प्रकार बेहतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए लगातार कम स्तर के लक्ष्य निर्धारित किए गए जिससे एमओयू तंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

सेल ने बताया (जुलाई 2016) कि 2014-15 और 2015-16 में 'ई-क्रय' के प्रति एमओयू लक्ष्य 2013-14 (31.75 प्रतिशत) और 2014-15 (36.83 प्रतिशत) में वास्तविक उपलब्धि को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था।

उत्तर से पुष्टि होती है कि लक्ष्य पिछले वर्ष में वास्तविक उपलब्धि से भी कम स्तर पर निर्धारित किए गए थे जिससे बेहतर निष्पादन हेतु आवश्यक जोर प्राप्त नहीं होगा।

(iv) सेल के 2015-16 के ड्रॉफ्ट एमओयू में मापदण्ड, 'प्राप्य ट्रेड (डेब्टर्स टर्नओवर अनुपात) की औसत संग्रहण अवधि' के प्रति 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु 31 दिन, 'बहुत अच्छा' रेटिंग हेतु 32 दिन और 'घटिया' रेटिंग हेतु 35 दिन से आगे का लक्ष्य रखा गया था। निदेशक (वित्त) के निर्देशानुसार, रेलवे से भुगतान में प्राप्ति में देरी के कारण इन लक्ष्यों को 36 दिनों ('उत्कृष्ट') से 40 दिनों ('घटिया') तक कर दिया गया था। लक्ष्यों में परिवर्तन औचित्यपूर्ण नहीं था चूँकि 2014-15 के एमओयू में 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु इस मापदण्ड के प्रति लक्ष्य 31 दिन था और उन्हें पूरा भी कर लिया गया था। लक्ष्य में कमी एमओयू के माध्यम से निष्पादन के बेहतरी के लक्ष्य उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था।

(v) 2014-15 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में 'क्षमता संवर्धन' को गैर वित्तीय मापदण्ड के रूप में शामिल किया गया। इस मापदण्ड के तहत परियोजनाओं में 31 मार्च

2015 तक लक्षित पूर्णता के साथ राजगढ़ सोलर पीवी परियोजना शामिल थी। इसी प्रकार, 2014-15 के भेल के एमओयू में गैर-वित्तीय मापदण्ड के तहत एक मापदण्ड के रूप में 'एनटीपीसी के साथ समूह लक्ष्य' शामिल था जिसमें 'उत्कृष्ट' रेटिंग हेतु मार्च 2015 तक शुरू होने वाली सोलर पीवी तलचेर और ऊँचाहार परियोजनाएं शामिल थी। दोनों कम्पनियों के स्व-मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा से पता चला कि सभी तीन परियोजनायें मार्च-अप्रैल 2014 में ही पूरी हो गई थी (एनटीपीसी के एमओयू में राजगढ़ सोलर पीवी परियोजना 30 अप्रैल 2014 को पूर्ण; बीएचईएल एमओयू में तलचेर एवं ऊँचाहार परियोजनायें क्रमश: 28 मार्च 2014 और 31 मार्च 2014 को पूर्ण हो गई थी)। इस प्रकार, लक्ष्य निर्धारित करते समय ये परियोजनायें या तो पूर्ण हो चुकी थी या पूर्ण होने वाली थी और 'उत्कष्ट' रेटिंग प्राप्त करने हेतु इन्हें एमओयू में शामिल किया गया था। यह भी देखा गया कि कार्यबल/डीपीई ने एमओयू को अंतिम रूप देते समय परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था।

एनटीपीसी ने बताया (दिसंबर 2016) कि राजगढ़ सोलर 2014-15 के शुरू में पूर्ण होना अपेक्षित था और सभी परियोजनाओं हेतु अपेक्षित संपूर्णता तिथि प्रबंधन को ज्ञात होती हैं, जिसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी को किसी परियोजना को समय सीमा से पहले पूरा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा उस वर्ष के एमओयू लक्ष्यों में पूर्ण होने वाली अपेक्षित परियोजनाओं को शामिल नहीं करना चाहिए।

भेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि एमओयू पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कार्यबल/डीपीई को परियोजना की पूर्णता तिथि के बारे में बताया गया था। सोलर पीवी आदेशों की अनुपलब्धता के कारण और चूंकि कार्यबल द्वारा पैरामीटर को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था, अत: भेल के पास इन परियोजनाओं को शामिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि एमओयूज़ में इन परियोजनाओं को शामिल करते समय सीपीएसईज को ज्ञात था कि यह परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी है या शीघ्र पूरी हो जाएंगी, इससे एमओयू प्रक्रिया का मूल अभिप्राय समाप्त हो जाता है।

उपरोक्त (i) से (iv) के संदर्भ में, डीपीई ने कहा (जनवरी 2017) कि विभिन्न

सीपीएमईज़ के संदर्भ में कमजोर लक्ष्यों के मामले को उच्च स्तरीय समिति[32] (एचपीसी) के समक्ष लाया गया था जहां एचपीसी ने पाया कि कार्यबल ने क्षेत्र विशिष्ट निवर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लक्ष्य तय किए होंगें और यह भी कि उद्योग व क्षेत्र के परिवर्तनशील हालातों के कारण लक्ष्यों के सदैव पिछले वर्ष की उपलब्धियों से अधिक न रहने की संभावना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पिछले वर्षों में उच्चतर उपलब्धियों के बावजूद लक्ष्य लगातार कमतर तय किए गए थे, तथा ऐसे लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां भी अधिक थीं।

5.7.2.3 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में विसंगति

2014 -15 तथा 2015-16 के लिए जारी एमओयू दिशानिर्देशों ने दर्शाया कि सीपीएसईज आरएण्डडी के प्रत्येक ग्रुप के अंतर्गत अधिकतम दो और तीन उप-पैरामीटरों का चयन कर सकती थी। सेल के संबंध में वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एमओयूज़ की संवीक्षा से पता चला कि आरएण्डडी के तहत् केवल एक परियोजना शामिल की गई थी।

सेल ने बताया (सितम्बर 2016) कि दिशानिर्देशों के अनुसार 2014-15 में आरएण्डडी कें अंतर्गत दो पैरामीटरों से अधिक का और 2015-16 में तीन से अधिक का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता था जिसके प्रति इन्होने 2014-15 और 2015-16 में प्रति वर्ष एक परियोजना का प्रस्ताव रखा था।

इस उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाए कि यद्यपि एमओयू दिशानिर्देशों में दो और तीन उप-पैरामीटरों का चयन अपेक्षित था, फिर भी सेल 2014-15 और 2015-16 में एक पैरामीटर का ही प्रस्ताव कर सका था।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि आरएण्डडी टेम्प्लेट एमओयू 2014-15 तथा 2015-16 के लिए अनिवार्य नहीं था। आरएण्डडी परियोजनाएं सीपीएसईज़ द्वारा उनकी आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्तावित की जाती थीं। तथा लक्ष्य कार्यबल द्वारा समझौता बैठक में तय किए जाते थे।

---

[32] उच्च स्तरीय समिति कैबिनेट सचिव के अधीन होती है जो इस बात के अंतिम मूल्यांकन का अनुमोदन करती है कि दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को कितना पूर्ण किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों में इंगित किया गया था कि आरएण्डडी हेतु पैरामीटर संबद्ध डीपीई दिशानिर्देशों तथा जारी ओएमके अनुरूप प्रस्तावित किये जाने थे। अतः संबद्ध दिशानिर्देश लागू थे।

5.7.3 प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित सीपीएसई के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशकों के पदों को समय पर भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से विशेष प्रतिबद्धता को एमओयूज़ में शामिल किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशानिर्देशों[33] के अंतर्गत अपेक्षाओं का अननुपालन हुआ है, एनटीपीसी ने गैर-आधिकारिक निदेशकों की अपेक्षित संख्या को भरने के लिए विद्युत मंत्रालय से विशेष प्रतिबद्धता को एमओयू में शामिल नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के प्रति एनटीपीसी में 31 मार्च 2015 तक केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे और 2015-16 के दौरान रिक्त पदों में तीन से सात तक का अंतर था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि ड्राफ्ट एमओयूज़ पर विस्तृत चर्चा की गई है और इन्हें डीपीई द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा निदेशक बोर्ड पर निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।

उत्तर को इस तथ्य के प्रति देखा जाना है कि यद्यपि एमओयू तंत्र में गैर अधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से प्रतिबद्धता प्राप्त करने तथा तत्पश्चात डीपीई द्वारा उसका सत्यापन करने का पर्याप्त प्रावधान है, तथापि कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि अन्य छः महारत्न सीपीएसईज़ के मामले में, गैर-अधिकारिक निदेशकों का नामांकन उनके प्रशासनिक मंत्रालयो द्वारा

---

[33] (i) सूचीकरण कार्य तथा प्रकटन आवश्यकता विनियमावली, 2015 द्वारा यथा संशोधित पूर्व सूचीकरण करार का खण्ड 49 और (ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हेतु कार्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों, 2010 के अनुसार एनटीपीसी बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। इसी प्रकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एनटीपीसी के बोर्ड के एक-तिहाई निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए

प्रतिबद्धता के रूप में एमओयूज़ में शामिल किया गया था।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कमिटमेंट सहायता पर रिपोर्ट को एमओयू मूल्यांकन सहित अध्यक्ष, एचपीसी को प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करता है कि यदि एनटीपीसी ने स्वतंत्र निदेशकों की निर्धारित संख्या पर नियुक्ति को एमओयू में शामिल किया होता, तो इसे प्राप्त किया जा सकता था।

5.7.4 समूह लक्ष्यों में विसंगति

एनटीपीसी तथा भेल के 2014-15 के एमओयूज़ में इन सीपीएसईज द्वारा पारस्परिक करार के आधार पर संयुक्त प्रयासों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले गैर वित्तीय पैरामीटरों के तहत 'समूह लक्ष्यों' को शामिल किया गया था। इन पैरामीटरों का मूल्यांकन संयुक्त प्रयासों से किया जाएगा और पॉयंट/शास्ति को भी सीपीएसईज के मध्य साझा किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यबल द्वारा अनुमोदित नौ परियोजनाओं के प्रति, भेल तथा एनटीपीसी के एमओयूज़ में 10 परियोजनाओं को शामिल किया गया था। भेल के एमओयू में दो परियोजनाओं (सोलर पीवी तलचेर तथा पीवी उंचाहार) तथा एनटीपीसी के एमओयू में एक परियोजना (सिंगरौली स्माल हाइड्रो) का कार्यबल ने अनुमोदन नहीं किया था। इसके अलावा, एनटीपीसी के एमओयू में शामिल सिंगरौली स्माल हाइड्रो परियोजना को भेल के एमओयू में शामिल नहीं किया गया था। इसी प्रकार, हालांकि भेल के समझौता ज्ञापन में दो परियोजनाओं (सोलर पीवी उंचाहार तथा तलचेर) को दर्शाया गया था, फिर भी एनटीपीसी के एमओयू में इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था और इन्हें सोलर पीवी (45 एमडब्ल्यू) के रूप में बताया गया था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि एनटीपीसी हेतु लक्ष्य कार्यबल द्वारा तैयार कर लिए गए हैं और चूंकि विसंगतियों का मसला एनटीपीसी के कार्यक्षेत्र से बाहर है, अतः कंपनी इस पर कोई टिप्पणियां नहीं करेगी।

भेल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि सोलर पीवी 45 एमडब्ल्यू के लिए, भेल के पास न तो एनटीपीसी से आदेश था और न ही प्रतिबद्धता। गैर-मौजूद 45 एमडब्ल्यू सोलर

पीवी के बजाय एनटीपीसी से दो मौजूद आदेश अर्थात, सोलर पीवी तलचेर तथा उंचाहार लिए गए थे।

यह उत्तर पुष्टि करता है कि 'समूह लक्ष्यों' तथा कार्यबल में विसंगति थी तथा सीपीएसईज ने एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित करते समय इस पैरामीटर के अंतर्गत कवर की जाने वाली पृथक परियोजनाओं को विशेष रूप से नहीं दर्शाया।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि एनटीपीसी और भेल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए ग्रुप लक्ष्य दोनों सीपीएसईज़ के एमओयू लक्ष्यों में शामिल किए गए थे।

उत्तर पुष्टि करता है कि यद्यपि डीपीई ग्रुप लक्ष्यों के तय करने में शामिल था, परंतु लक्ष्यों के बीच विसंगति को एमओयू अनुमोदन स्तर पर चिन्हित व तय नहीं किया गया था।

5.7.5 एमओयू के अंतर्गत निष्पादन तथा सीपीएसईज द्वारा स्व-मूल्यांकन

5.7.5.1 अनुमानित उत्पादन का समावेशन

एनटीपीसी के 2014-15 और 2015-16 के एमओयू में यह बताते हुए एक फुटनोट शामिल किया गया था कि वित्तीय पैरामीटरों को सकल उत्पादन के आधार पर तैयार किया गया था जिसमे डीम्ड उत्पादन शामिल है, अत: यह ग्राहकों द्वारा मांगी गई अनिर्धारित विद्युत की सीमा तक वास्तविक से भिन्न होगी। लेखापरीक्षा में संवीक्षा से पता चला कि एनटीपीसी वर्ष 2014-15 तक अपनी स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में इस एमओयू पैरामीटर के प्रति निष्पादन के मापन हेतु वास्तविक उत्पादन (डीम्ड उत्पादन को छोड़कर) को रिपोर्ट कर रही थी।

तथापि, एनटीपीसी ने 2015-16 की स्व:मूल्यांकन रिपोर्ट में इस पैरामीटर के प्रति सकल उत्पादन (डीम्ड उत्पादन सहित) की सूचना दी थी। इसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी की एमओयू स्व मूल्यांकन रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों में असमानता भी आई थी; 2015-16 के वित्तीय विवरणों में ₹ 70,506.80 करोड़ का बिक्री टर्नओवर दर्ज था जबकि स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में ₹ 89,161.18 करोड़ (डीम्ड उत्पादन सहित) का बिक्री टर्नओवर दर्ज था। इसके परिणामस्वरूप 'बिक्री टर्नओवर', 'बिक्री टर्नओवर/ निवल अवरोध', 'सकल

प्रचालन अंतर', 'कर पश्चात लाभ/ निवल मूल्य आदि जैसे वित्तीय पैरामीटरों के प्रति प्रचालनात्मक निष्पादन में वृद्धि हुई। बिक्री टर्नओवर में डीम्ड उत्पादन का समावेशन भी डीपीई द्वारा जारी एमओयू दिशानिर्देशों में दी गई 'बिक्री टर्नओवर'[34] की परिभाषा के अनुसार नहीं था। यद्यपि, एनटीपीसी ने पैरामीटर के प्रति 'उत्कृष्ट' रेटिंग (10 अंक) का दावा किया था, जबकि प्रमाणित वित्तीय विवरणों के अनुसार वास्तविक टर्नओवर को देखते हुए रेटिंग 'खराब' होगी (दो अंक)। यदि प्रमाणित वित्तीय विवरणों के अनुसार वास्तविक निष्पादन पर विचार किया जाए तो एनटीपीसी की समग्र रेटिंग 'उत्कृष्ट' (93.65 अंक) से 'बहुत अच्छा' (82.45 अंक) में बदल जाएगी जिसका प्रभाव वर्ष 2015-16 के लिए कर्मचारियों को किए जाने वाले निष्पादन संबंधी वेतन के संभावित भुगतान पर भी पड़ेगा।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि 'स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दावा की गई उपलब्धि' एनटीपीसी द्वारा एमओयू के प्रावधानों के अनुसार की गई है। डीम्ड उत्पादन के प्रभाव को एमओयू में एक तात्कालिक प्रावधान के अनुसार शामिल किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीम्ड उत्पादन का अनुमानिक राजस्व एमओयू दिशानिर्देशों में व्याख्या की गई कंपनी की सामान्य गतिविधियों से बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके अलावा उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 2015-16 में आंकडों को रिपोर्ट करते समय, वित्तीय मापंदडों के प्रति प्रचालन निष्पादनों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, जो कि एनटीपीसी द्वारा 2014-15 की अपनी स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में पालन की गई प्रक्रिया के विलोम है। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित तथा प्रमाणित वित्तीय परिणामों को एमओयू पेरामीटरों के प्रति रिपोर्ट करते हुए संशोधित नहीं किया जा सकता है।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि इसे एमओयू समझौता बैठक में तय निर्णयनुसार कर लिया गया था जिसमें माने गए उत्पादन सहित सकल उत्पादन हेतु वित्तीय पैरामीटरों को समायोजित किया जाना था।

---

[34] एमओयू दिशानिर्देशों में 'बिक्री टर्नओवर' को माल की बिक्री तथा सेवा प्रदान करने के उद्यम के सामान्य कार्यकलापों के दौरान सकल नकद प्रवाह, प्राप्यों या अन्य प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया था। इसका मापन ग्राहक को आपूरित माल और उनको दी गई सेवाओं हेतु उन पर लगाए गए प्रभारों द्वारा किया जाता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। माने गए उत्पादन को एमओयू दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। माने गए उत्पादन को शामिल कर, वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय पैरामीटरों के प्रति निष्पादन बढ़ा कर दर्शाये गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 के लिए यद्यपि सकल उत्पादन को एमओयू में शामिल किया गया था, तथापि एनटीपीसी का निष्पादन वास्तविक वित्तीय डाटा के आधार पर रिपोर्ट तथा आकलित किया गया था।

5.7.5.2 पूर्व परीक्षण की तिथि को परियोजनाओं की प्रवर्तन तिथि मानना

सेल के 2014-15 और 2015-16 के एमओयू में क्रमश: पॉच प्रतिशत तथा चार प्रतिशत की भारिता के साथ उप पैरामीटर 'परियोजनाओं हेतु माइलस्टोन निष्पादन सूचकांक' दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 'उत्पादन शुरू होने/सफल पूर्व परीक्षण की तिथि' को इस पैरामीटर के मूल्यांकन हेतु परियोजना की पूर्णता तिथि माना गया था। यह परियोजनाओं के ठेकागत प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन तथा प्रचालन के रूप में परियोजना की पूर्णता को मानने की सामान्यत: स्वीकृत पद्धतियों के अनुरूप नहीं था। इससे सेल को इस पैरामीटर के प्रति पूर्ण स्कोर ('उत्कृष्ट' रेटिंग) का दावा करने का अनुचित लाभ मिला यद्यपि परियोजनाएं वास्तविक रूप से पूर्ण नहीं हुई थी या प्रचालन में नहीं थी।

सेल ने बताया (अगस्त 2016) कि इस पैरामीटर से सांख्यिकीय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, डीपीई तथा कार्यबल सहमत थे। ठेके के अनुसार सुविधा की शुरूआत एक माइलस्टोन था जो ठेकागत दायित्व के अनुपालन के आधार पर भुगतान करने हेतु बनाया गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि 'उत्कृष्ट' रेटिंग देने के लिए डीपीई/कार्यबल द्वारा स्वीकृत किए गए निष्पादन पैरामीटर सामान्यत: स्वीकृत पद्धतियों के अनुसार नहीं थे और इससे सेल को अनुचित लाभ मिला। किसी भी निष्पादन मूल्यांकन को एमओयू तंत्र के माध्यम से अर्थपूर्ण परिणामों हेतु सीपीएसई के वास्तविक निष्पादन और कार्यचालन परिवेश से जोड़ा जाना चाहिए।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि उपलब्धि को तय लक्ष्य के संदर्भ में मूल्यांकित किया गया था।

हालांकि, तथ्य रह जाता है कि वित्तीय तथा गैर-वित्तीय पैरामीटरों को प्रत्येक पैरामीटर द्वारा निष्पादन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने पर मूल्यांकित किया गया है। अतः इस मामलें में ट्रायल की तिथि के स्थान पर परियोजना शुरू करने को भी विचारार्थ लिया जाना चाहिए था, जो कि इस संबंध में सीपीएसई के निष्पादन का स्पष्ट संकेत होगा।

5.7.6 डीपीई को गलत रिपोर्टिंग

5.7.6.1 गलत/अपूर्ण प्रमाणीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएमएसएमई) द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसईज़) से कुल 20 प्रतिशत न्यूनतम खरीद करनी होगी। 20 प्रतिशत का उप लक्ष्य (अर्थात 20 प्रतिशत का चार प्रतिशत) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमी के स्वामित्व वाली एमएसईज से खरीद हेतु निर्धारित किया जाएगा। एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि उपरोक्त आदेश के अननुपालन से कार्यबल के विवेकानुसार एक अंक की कटौती की जाएगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि भेल तथा सेल ने प्रमाणित किया था कि उन्होने वर्ष 2014-15 के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का पालन किया था, फिर भी यह प्रमाणीकरण तथ्यात्मक रूप से गलत थे। 2014-15 के दौरान एमएसएमईज से खरीद भेल के मामले में 17 प्रतिशत तथा सेल के मामले में 13 प्रतिशत थी। एससी/एसटी उद्यमियों से की गई खरीद दोनों कम्पनियों (भेल तथा सेल) में शून्य थी। यह प्रमाणीकरण डीपीई, कार्यबल तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा स्वीकार किए गए थे, जबकी एमएसएमई ने भारी उद्योग विभाग को सूचना दी (नवम्बर 2015) कि भेल ने एमएसएमई दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित प्रतिशतता प्राप्त नहीं की थी। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि गेल ने प्रमाणित किया था कि इसने वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान क्रमश: 19 प्रतिशत तथा 21.59 प्रतिशत एमएसएमई खरीद की थी। हालांकि यह प्रमाणीकरण 2014-15 में एससी/एसटी उद्यमियों से चार प्रतिशत खरीद करने पर मौन था जबकि यह 2015-16 में 0.02 प्रतिशत था।

भेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि अधिदेशी लक्ष्य, जिसमे एससी/एसटी के स्वामित्व वाली एमएसईज़ से चार प्रतिशत खरीद शामिल है, वर्ष 2014-15 के लिए लागू नहीं थे। सेल ने बताया (जुलाई 2016) कि कतिपय मदें (अर्थात ट्रेडमार्क युक्त मदें, कच्चा माल, आयातित मदें , पीएसयूज़ तथा सरकार से प्राप्त मदें आदि) एमएसईज की विनिर्माण रेंज से परे थी तथा इन्हे एमएसईज़ तथा एसी/एसटी से प्रतिशतता आदेशों की गणना करते समय छोड़ दिया गया था। गेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि 2014-15 में लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण कार्यबल द्वारा इसे दण्डनीय ठहराया गया था, यद्यपि उक्त की आधिकारिक रूप से सूचना नहीं दी गई थी। 2015-16 के लिए मूल्यांकन अभी शुरू किया जाना था।

यद्यपि अपेक्षित प्रतिशतता की प्राप्ति 2015-16 के बाद से अनिवार्य थी, फिर भी इससे यह तथ्य समाप्त नहीं होता है कि सीपीएसईज के प्रमाणीकरण तथ्यात्मक रूप से गलत या अपूर्ण थे और यह कि कार्यबल द्वारा अंतिम मूल्यांकन में कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं की गई थी। इससे यह भी पता चला कि सीपीएसईज निष्पादन और उनके स्व प्रमाणीकरण के स्तर की प्रति जांच के लिए डीपीई और एमएमएसएमई के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता थी। इसके अलावा, एमएसएमई दिशानिर्देशों के अननुपालन के लिए सीपीएसईज को दंडित करने में कोई अनुरूपता नहीं थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि वह 2014-15 हेतु बोर्ड स्तर अधिकारी के प्रमाणपत्र पर निर्भर रहा था चूंकि अधिसूचना की तिथि से अर्थात 2014-15 तक के तीन वर्षों हेतु एमएसई से खरीदना अनिवार्य नहीं था। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बोर्ड गलत प्रमाणपत्र देने हेतु जिम्मेदार था। हालांकि 2015-16 के लिए चूंकि यह अनिवार्य था, अतः डीपीई एमएसएमई द्वारा दिए गए अनुपालन के लिए बोर्ड प्रमाणीकरण तथा सूची पर निर्भर था। यह भी कहा गया कि 2015-16 के लिए 132 सीपीएसईज़ के संबंध में नकारात्मक मार्किंग की गई है।

डीपीई इस बात से सहमत हुआ कि उसने 2014-15 के लिए बोर्ड स्तर अधिकारी के प्रमाणपत्र पर निर्भर किया और बोर्ड गलत प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसके

अलावा, उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त संदर्भित सीपीएसईज़ को वर्ष 2015-16 के दौरान नकारात्मक अंक दिए गए थे।

5.7.6.2 स्व-मूल्यांकन में गलत सूचना

(i) उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी) की तिमाही बैठक को 2014-15 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में गैर-वित्तीय लक्ष्यों के अन्तर्गत मानदंड के रूप में शामिल किया गया था और ईआरएमसी की चार और तीन बैठकों को 'उत्कृष्ट' और 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लिए प्रस्तावित किया गया था। 2014-15 की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में 100 प्रतिशत उपलब्धि दर्शायी गई थी और एनटीपीसी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग मिली थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एनटीपीसी यह पैरामीटर प्राप्त नहीं कर सका था, चूंकि ईआरएमसी ने केवल तीन तिमाही बैठकें की थी जिसके लिए एनटीपीसी 'बहुत अच्छा' रेटिंग के योग्य था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया कि चार ईआरएमसी बैठकों का लक्ष्य चार तिमाहियों को कवर करने हेतु रखा गया था और 29 जनवरी 2015 की ईआरएमसी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के क्यू 2 और क्यू 3 अर्थात दो तिमाहियों से संबंधित मसलों पर विचार किया गया था।

तथ्य रह जाता है कि 2014-15 के दौरान ईआरएमसी की केवल तीन बैठकें आयोजित की गई थी।

(ii) उपलब्धता कारक (कोयला) को वर्ष 2015-16 के लिए एनटीपीसी के समझौता ज्ञापन में गैर-वित्तीय पैरामीटरों के अंतर्गत मानदंड के रूप में शामिल किया गया था, 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए 90 प्रतिशत उपलब्धि का लक्ष्य रखा गया था। यद्यपि एनटीपीसी ने स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में 92.53 प्रतिशत की प्राप्ति के बारे में बताया था और 'उत्कृष्ट' रेटिंग का दावा किया था, वर्ष 2015-16 की एनटीपीसी की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि इसने 88.06 प्रतिशत प्राप्त किया था।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि 2015-16 में रिजर्व शटडाउन कार्यों का कुल प्रभाव 4.47 प्रतिशत बैठता है। अतः रिर्जव शटडाउन सहित वास्तविक उपलब्धता

कारक 92.53 प्रतिशत था और रिजर्व शटडाउन को छोडकर उपलब्धता कारक 88.06 प्रतिशत था।

उत्तर आकडों की विसंगति की पुष्टि करता है।

डीपीई ने उपरोक्त (i) के संदर्भ में बताया (जनवरी 2017) कि सीपीएसई ने 2014-15 के लिए त्रैमासिक ईआरएमसी बैठकों के कार्यवृत्त उपलब्ध कराए। उपरोक्त (ii) के मामले में, डीपीई ने कहा कि सीपीएसई को इस पैरामीटर पर उत्कृष्ट नहीं दिया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक आंकडों के आधार पर अच्छा तथा बहुत अच्छा के बीच अंक दिए गए है।

किंतु एनटीपीसी ने गलत प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया कि 2014-15 में ईआरएमसी की चार बैठकें की गई थीं, जबकि केवल तीन बैठकें की गई थी। उपरोक्त (ii) के मामलें में डीपीई का उत्तर पुष्टि करता है कि एनटीपीसी ने गलत सूचना प्रस्तुत की।

5.7.6.3 डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न विषयों पर डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन का मूल्यांकन सीपीएसईज द्वारा स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा और एमओयू के मूल्यांकन के समय पर कार्यबल के विवेकानुसार अननुपालन, यदि कोई है, पर एक अंक की कटौती की जाएगी। लेखापरीक्षा ने इस संबंध में निम्नलिखित पाया:

- एनटीपीसी ने डीपीई को प्रस्तुत प्रमाणपत्र के साथ संलग्न अनुबंध में अननुपालन के अपवादों एवं कारणों को दर्शाया था। अनुबंध में बताया गया कि यद्यपि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार औसत से कम ग्रेड दिए गए 10 प्रतिशत कर्मचारियों को कोई निष्पादन संबंधित भुगतान (पीआरपी) नहीं दिया गया था; फिर भी पारिश्रमिक समिति के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हे पीआरपी दिया जा रहा था।
- आईओसीएल ने 2014-15 के लिए एमओयू में दर्शाया कि डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाला एक पैरा 2014 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 में मुद्रित किया गया था। आईओसीएल से संबंधित पीआरपी, भत्ते, अर्ध वैतनिक/अर्जित

अवकाश के नकदीकरण आदि पर दो अन्य पैरा भी 2016 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 15-खंड II में शामिल किए गए थे जिन्हें 2015-16 की एमओयू में शामिल नहीं किया गया था।

- गेल ने पीआरपी के भुगतान, नकद इनाम के भुगतान, अनुग्रह अदायगी आदि से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था और अर्जित तथा अर्ध वैतनिक अवकाश के नकदीकरण पर एक पैरा 2014 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 13 में मुद्रित किया गया था।

तथापि,यह देखा गया कि यद्‌यपि इन सीपीएसईज ने डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था, फिर भी इन सीपीएसईज के समग्र स्कोर में इन उल्लंघनों के कारण कोई कमी नहीं की गई थी तथा स्व-प्रमाणीकरण स्वीकार कर लिए गए थे।

एनटीपीसी ने कहा (दिसंबर 2016) कि अंक देना/शास्ति दिया जाना एमओयू मूल्यांकन के समय कार्यबल के विवेकानुसार था।

आईओसीएल ने बताया (नवम्बर 2016) कि 2014-15 के एमओयू में इसने उल्लेख किया था कि अर्ध वैतनिक/बीमारी/अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर एक सीएजी पैरा था और 2015-16 के एमओयू मे उक्त प्रकटन नहीं किया गया था चूंकि एमओयू की प्रस्तुति के बाद ही सीएजी रिपोर्ट में पैरा शामिल किए गए थे। गेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि पीआरपी पर डीपीई दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से पालन किया जा रहा था तथा अर्ध वैतनिक अवकाश के नकदीकरण की अनुमति उद्‌यम की प्रथा के अनुसार दी जा रही थी।

सीपीएसईज के उत्तर ने पुष्टि की कि विभिन्न डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ था, किंतु डीपीई ने समग्र स्कोर में कटौती करने के लिए ऐसे उल्लंघनों पर विचार नहीं किया, हालांकि इसका एमओयू में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन सीएमडी द्वारा स्वप्रमाणीकरण पर आधारित था और 2015-16 के दौरान 64 सीपीएसईज़ के संबंध में नकारात्मक अंक दिए गए हैं।

उत्तर से यह सपष्ट नहीं है कि क्या पैरा में संदर्भित सीपीएसईज़ को नकारात्मक अंक दिए गए है। इसके अलावा, उत्तर में 2014-15 में नकारात्मक अंकन के विषय में कुछ नहीं बताया गया है।

5.7.6.4 बोर्ड स्तर के अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का गैर-प्रमाणीकरण

एमओयू दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि पैरामीटरों के मूल्यांकन के लिए सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज संबंधित सीपीएसईज के बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। इसके अलावा 2015-16 में एमओयू के लिए समझौता बैठक के कार्यवृत्तों में भी प्रावधान था कि सभी दस्तावेज कम से कम एक कार्यशील निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। तथापि यह देखा गया कि एनटीपीसी मे एमओयू के कुछ पैरामीटरों से संबंधित दस्तावेज, जिनकी जानकारी वार्षिक रिपोटों/तृतीय पक्ष प्रमाणिकरण में उपलब्ध नहीं थी, बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित नहीं थे।

एनटीपीसी ने उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि डीपीई द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के दौरान मांगे गए सभी आवश्यक समर्थक दस्तावेज उसकी आवश्यकताओं/हस्ताक्षरित एमओयू के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर उपलब्ध कराए जाते है। 2015-16 के वित्तीय मापदंडों के सत्यापन हेतु, समर्थक दस्तावेज डीपीई की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए जाएगें।

उत्तर से एनटीपीसी द्वारा एमओयू दिशानिर्देशों के अननुपालन की पुष्टि होती है।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) बोर्ड स्तर पर प्रमाणीकरण उसी मामले में आवश्यक था जहां पर्याप्त/संतोषजनक दस्तावेज उपलब्ध नही कराए गए थे। एमओयू मूल्यांकन बोर्ड स्तरीय प्रमाणीकरण पर आधारित होते हैं, यदि वार्षिक रिपोर्ट, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण इत्यादि में विवरण मुद्रित नहीं किए गए हैं।

हालांकि लेखापरीक्षा ने डीपीई दिशानिर्देशों के अननुपालन पर टिप्पणी की थी चूंकि एनटीपीसी ने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये जिनमें बोर्ड स्तरीय प्रमाणीकरण के बिना ही वार्षिक रिपोर्ट/तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण में अनुपलब्ध सूचना सम्मिलित थी।

5.7.7 लक्ष्य समंजन के लिए ब्यौरों की विलंब से प्रस्तुति

भेल के वर्ष 2014-15 के एमओयू में 'उत्कृष्ट' रेटिंग के लिए ₹ 45,600 करोड़ के बिक्री टर्नओवर और प्रत्येक कम रेटिंग के लिए 5 प्रतिशत कम की परिकल्पना की गई थी यद्यपि, भेल ने 2014-15 के लिए ₹ 34,000 करोड़ के संभावित टर्नओवर का प्रक्षेपण किया था। कार्यबल/डीपीई ने सहमति दी कि यदि कुछ परियोजनाओं के रद्द होने से संबंधित प्रक्षेपण सच हो जाते है तो मूल्यांकन के समय उचित ध्यान दिया जाएगा।

भेल ने घटे हुए बिक्री टर्नओवर के प्रति 2014-15 की स्व मूल्यांकन रिपोर्ट में अपने वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया था। डीपीई ने भेल को सूचना दी (19 नवम्बर, 2015) कि संमजन के लिए आवेदन व्यापक कारण सहित पैरामीटर-वार प्रस्तुत किया जाना था और उक्त को पैरामीटर-वार परिभाषित किया जाना था। डीपीई ने आगे सूचना दी (24 नवम्बर 2015) कि स्व मूल्यांकन में दावा किए गए समंजन का कारणों एवं स्वं मूल्यांकन पर प्रभाव सहित रूकी हुई परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार परिमाणन नहीं किया गया है जैसा एमओयू दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित है। ऐसी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश के साथ 26 नवम्बर 2015 को 16:00 बजे तक डीपीई को प्रस्तुत की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि भेल/डीएचआई निर्धारित समय में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत नहीं कर सके, अत: डीपीई/कार्य बल ने बिक्री टर्नओवर में कमी के प्रति समंजन पर विचार किए बिना एमओयू के मूल्यांकन को पूरा कर दिया था।

भेल ने बताया (नवम्बर 2016) कि डीपीई ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत कम समय दिया था और भेल स्वयं 26 नवम्बर 2015 को अपनी प्रतिक्रिया डीएचआई

को भेज सका था जिसकी एक अग्रिम प्रति डीपीई को भेजी गई थी। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया। यह भी बताया गया कि डीपीई ने टिप्पणी की थी कि कार्यवृत्तों के अनुसार अन्य वित्तीय पैरामीटरों हेतु समंजन प्रयोज्य नहीं था।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि भेल ने रूकी हुई परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत नहीं की थी और डीपीई/कार्यबल द्वारा अपेक्षित वित्तीय पैरामीटरों (परियोजना वार और पैरामीटर वार) को इसने कैसे प्रभावित किया और प्रस्तुत की गई यह सूचना प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश सहित निर्धारित समय में डीपीई/कार्यबल के पास नहीं पहुंची। इस संबंध में विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में भेल को समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देते समय ज्ञात था और रूकी हुई परियोजनाओं के आधार पर समंजन का दावा करने के लिए अग्रसक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश पर सीपीएसई द्वारा दावा किए गए संमजन को कार्यबल मूल्यांकन बैठकों में वार्ता पर आधारित सिफारिशों पर अध्यक्ष, एचपीसी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था।

डीपीई का उत्तर पुष्टि करता है कि भेल ने रूकी हुई परियोजनाओं के प्रति समंजन प्राप्त करने का अवसर खो दिया था, क्योंकि उसने तय समय के भीतर संबद्ध जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

5.7.8 सामान्य

(i) डीपीई ने एमओयूज़ को संबंधित सीपीएसईज की बेवसाईट पर डालकर प्रकाशित करने को प्रोत्साहित किया था। यह देखा गया कि भेल ने अपनी वेबसाईट पर एमओयूज़ नहीं डाले थे।

भेल ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रचालित इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण कंपनी के रूप में इसने कई अन्य सीपीएसईज़ की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश का सामना किया है। इसके अलावा, एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते यह उन वित्तीय पैरामीटरों पर भावी मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता, जो संभवत: इसके शेयर कीमत को प्रभावित कर सकते है।

इस उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाए कि दो अन्य सूचीबद्ध सीपीएसईज़ (एनटीपीसी तथा ओएनजीसी) ने एक अच्छी प्रथा के रूप में अपनी वेबसाईटों पर अपने एमओयूज़ प्रकाशित किए है, जैसा कि डीपीई ने सिफारिश की थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि प्रमाणीकरण के बाद डीपीई प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई को हस्ताक्षरित एमओयू संसद के पटल पर रखने तथा नामों को वेबसाईट पर अपलोड करने का परामर्श देता है।

(ii) ओएनजीसी तथा आईओसीएल के 2015-16 के एमओयूज़ की समीक्षा के पता चला कि इन सीपीएसईज के एमओयूज़ में प्रावधान था कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों और सीएजी की रिपोर्टों (वाणिज्यिक तथा अनुपालन लेखापरीक्षा) के बीच कोई विसंगति पाई गई तो उन्हें डीपीई द्वारा समग्र रेटिंग से एक अंक काटकर दंडित किया जाएगा। इस संदर्भ में लेखापरीक्षा ने नोट किया कि इस अध्ययन हेतु चयनित सीपीएसईज सहित अन्य सीपीएसईज भी सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के अधीन थे। अतः सीपीएसईज के एमओयूज़ में समान अनुबंध शामिल करना एक अच्छी प्रथा होगी क्योंकि यह सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्रों के संदर्भ में आश्वासन को बढ़ाएगी।

5.7.9 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए 'महारत्न' कंपनियों के एमओयूज़ को कवर करने वाली लेखापरीक्षा से सीपीएसईज के बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट एमओयू के अनुमोदन, ड्राफ्ट एमओयू सहित वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/कॉरपोरेट योजना की अप्रस्तुति, योजनाओं सहित एमओयू लक्ष्यों के गैर-संरेखण तथा अंतिम एमओयू पर हस्ताक्षर करने में विलंब में विसंगतियों का पता चला। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में अनुबंध के प्रति सीपीएसईज ने राष्ट्रीय और आंतरिक समकक्षों के साथ बेंचमार्किंग नहीं की थी तथा एमओयूज़ में दर्शाए गए लक्ष्य एसएमएआरटी (विशिष्ट, परिमेय, प्राप्य, परिणामोन्मुख, वास्तविक) मापदंड को पूरा नहीं करते। प्राय: लक्ष्यों को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने की इच्छा से क्षमता से कम पर निर्धारित किया जाता था। इस अध्ययन में कवर की गई सात सीपीएसईज में से एक ने उच्चतर रेटिंग प्राप्त करने के लिए अनुमानित टर्नओवर शामिल करने का सहारा भी लिया। लेखापरीक्षा ने एमएसएमई दिशानिर्देशों/डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीपीएसईज द्वारा गलत और/या अपूर्ण प्रमाणीकरण तथा स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में गलत सूचना भी देखी। एमओयूज़ के अंतिम मूल्यांकन के समय डीपीई/कार्यबल ने सूचना का उचित वैधीकरण नहीं किया था। बोर्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा डीपीई/कार्यबल को प्रस्तुत दस्तावेजों के गैर प्रमाणीकरण तथा सूचना की विलंब से प्रस्तुति, जिसके कारण कम रेटिंग मिली, भी देखी गई थी।

उपरोक्त कमियों पर काबू पाने के लिए लेखापरीक्षा डीपीई, सीपीएसईज तथा उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा विचार करने तथा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिफारिशों का सुझाव देता है:

- **यह सुनिश्चित किया जाए कि एमओयूज़ को लक्ष्य निर्धारण पर यथावत ध्यान देते हुए, जिससे सीपीएसईज में बेहतर निष्पादन हो सकता है, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में तैयार किया एवं इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।**

- **डीपीई में वैधीकरण प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ किया जाए कि किसी अपूर्ण या गलत सूचना और/या प्रमाणीकरण की अन्य मंत्रालयों तथा भागीदारों के साथ उचित समन्वय के माध्यम से एमओयूज़ के अंतिम मूल्यांकन से पूर्व जांच पड़ताल की जा सकती है।**

डीपीई ने बताया (जनवरी 2017) कि 2016-17 तथा 2017-18 हेतु एमओयू दिशानिर्देश पहले से ही अनुमोदित थे और लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों का इन दिशानिर्देशों में पर्याप्त रूप से निराकरण किया गया है।

(एच. प्रदीप राव)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जनवरी 2017

प्रति हस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 01 फरवरी 2017

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(पैरा सं. 1.1.3 देखें)

सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची जो 2015-16 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आई/से बाहर गई

क्र. सं.	कम्पनी का नाम
सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सरकारी कंपनियां	
1	बिहार इन्फ्रा पावर लिमिटेड
2	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
3	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राईवेट लिमिटेड
4	छत्तीसगढ मेगा स्टील लिमिटेड
5	देवगढ इंफ्रा लिमिटेड
6	दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
7	ग्रिड कंडक्टर लिमिटेड
8	गुड़गाँव पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	इरकॉन शिव पुरी गुना टोलवे लिमिटेड
10	झारखंड सेन्टर रेलवे लिमिटेड
11	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड
12	झारखंड कोलहन स्टील लिमिटेड
13	खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड
14	कोहिमा मरैनी ट्रांसमिशन लिमिटेड
15	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
16	मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड
17	मुम्बई मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
18	नागपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन
19	नेशनल इनवेस्टमेंट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड
20	नेशनल इनवेस्टमेंट एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंडस
21	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एण्ड कंसलटेंसी लिमिटेड
22	एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड
23	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
24	नोर्थ करनपुरा ट्रांस्को लिमिटेड
25	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड
26	ओडिसा जनरेशन फेस II ट्रांसमिशन लिमिटेड
27	पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
28	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
29	रियल एस्टेट डेवलेपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड

30	वरोरा करनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	
1	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड
2	इंडियन पोर्ट रेल कंपनी लिमिटेड
3	कर्नाटका सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
4	कोनकन एलएनजी प्राईवेट लिमिटेड
5	लखनऊ सोलर पावर डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
6	माईक्रो यूनिटस डवलपमेंट एंड रिफाईनेंस एजेंसी लिमिटेड
7	रामगुडम फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
8	रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
9	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी लिमिटेड
10	एसबीआई फाऊंडेशन
11	एसटीसीआई कमाडिटीज
12	एसटीसीआई प्राईमेरी डीलर्स लिमिटेड
13	यूटीआई कैपिटल प्रा. लिमिटेड
14	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड
15	यूटीआई वेंचर फंडस मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के क्षेत्र से बाहर जाने वाली सरकारी कंपनियां	
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ डब्ल्यूआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	डीजीईएन एंड उत्तराखंड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
4	महेशवरम ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	रायपुर राजनंदगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	राजस्थान राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
7	सिपत ट्रांसमिशन लिमिटेड

परिशिष्ट II ए

(पैरा सं. 1.1.3 तथा पैरा सं. 2.3.2 देखें)

बकाया में लेखें या परिसमापन के अंतर्गत कंपनी

क. सरकारी कंपनियां तथा निगम

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त नहीं किए गए थे
सांविधिक निगम		
1	भारतीय खाद्य निगम	2015-16
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम		
2	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	2015-16
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
रसायन तथा उर्वरक		
**3	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
4	बिहार ड्रग्स एंड आंग्रैनिक कैमिकलस लिमिटेड	2014-15;2015-16
5	फर्टिलाईजर कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2015-16
6	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	2014-15;2015-16
7	हिन्दुस्तान फर्टिलाईजरस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16
8	एचओसी चेमटूर लिमिटेड	2014-15;2015-16
**9	आईडीपीएल (तमिलनाडू) लिमिटेड	2010-11 से 2015-16
10	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	2015-16
**11	महाराष्ट्रा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**12	मनीपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	निष्क्रिय
**13	आडिसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2011-12 से 2015-16
**14	स्मिथ स्टैनिस्टीट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**15	द सदन पेस्टीसाईडस कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
नागर विमानन		
**16	एयरइंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड	2013-14, 2015-16
17	एयरइंडिया इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी लिमिटेड	2014-2015;2015-16
18	एयर इंडिया लिमिटेड	2015-16
19	होटल कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	2015-16
20	पवन हंस लिमिटेड	2015-16
वाणिज्य एवं उद्यम		
21	जे एंड के डवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16
**22	टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
23	भारत ब्रोडबेंड नेटवर्क लिमिटेड	2015-16
**24	इलेट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत

संस्कृति		
25	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाईनर्स	2015-16
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास		
26	नॉर्थ इस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16
27	नॉर्थ इस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15; 2015-16
पर्यावरण तथा वन		
28	अंडमान एंड निकोबार आईलैंडस फौरेस्ट एंड फलांटेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16
वित्त		
**29	इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिय लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
30	सिक्यूरिटी प्रिटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2015-16
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
31	इंडियन मैडीसन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15

परिशिष्ट II ए (जारी)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त नहीं किए गए थे
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम		
**32	भारत ब्रेक्स एंड वॉल्वस लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**33	भारत ऑप्थालमिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**34	भारत प्रोसेस एंड मकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
35	भारत पंप्स एंड कम्प्रैसर्ज लिमिटेड	2014-2015;2015-2016
**36	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**37	साइकिल कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
38	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	2015-2016
39	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-2016
40	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2015-2016
**41	मंडया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**42	माईनिंग एंड अलाईड मशीनरी कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
43	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2015-2016
**44	नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**45	रिहैबिलिएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**46	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**47	टैनरी एंड फुटवियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**48	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	2013-14 से 2015-16
**49	टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2012-13 से 2015-16
**50	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
सूचना एवं प्रसारण		
51	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस		
52	बाईक्को लॉवरी लिमिटेड	2015-16
53	केरल गेल गैस लिमिटेड	2014-15, 2015-16
रेलवे		
54	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2015-16
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग		
**55	इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
शिपिंग		
56	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियरस लिमिटेड	2015-16
इस्पात		
57	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	2015-16
टेक्सटाईल		
58	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड	2015-16

**59	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
**60	कॉनपोर टैक्सटाईल्स लिमिटेड	निष्क्रिय
61	सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16
62	द ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-2015;2015-2016
**63	द एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	निष्क्रिय
64	द हैंडीक्राफटस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड	2015-16
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन		
**65	चंडीगढ चाईल्ड एंड वूमन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2008-09 से 2014-15
66	चंडीगढ इंडस्ट्रीयल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-2016
67	चंडीगढ शेडयूल्ड कास्ट फाईनेशियल एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-2015;2015-2016
68	दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एससी/एसटी फाईनेंशियल एंड डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-2016
शहरी विकास		
**69	मुम्बई मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड.	2015-16
**70	नागपुर मैट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड.	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए 2014-15; 2015-16

परिशिष्ट II बी

(पैरा सं. 1.1.3 तथा पैरा सं. 2.3.2 देखें)

बकाया में लेखें या परिसमापन के अंतर्गत अथवा निष्क्रिय कंपनी

बी. सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त नहीं किए गए थे
1 **	एक्यूमैजर्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
2 **	अलाईड इंटरनेशनल प्राडक्टस लिमिटेड	निष्क्रिय
3 **	बैकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड	निष्क्रिय
4 **	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए
5 **	बिहार इंडस्ट्रीयल एंड टेकनीकल केसलटेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
6 **	एक्सेलसियर प्लांटस कॉरपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
7 **	फलेवरइट स्पाईसिज ट्रेडिंड लिमिटेड	2012-13 से 2015-16
8 **	गंगावती सुगर्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
9 **	गैस एंड पावर इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2013-14 से 2015-16
10 **	इंडिया क्लिरयरिंग एंड डिपोजिटरी सविसेज लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
11 **	इंडियन पोट्र रेल कंपनी लिमिटेड	पहेल लेखे प्राप्त नहीं हुए
12	इंटेलिजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	2015-16
13 **	जे एंड के इडस्ट्रीयल एंड टेक्नीकल कंसलटेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
14 **	मीडिया लैब एशिया	2014-15; 2015-16
15 **	मिलेनियम इंफोर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
16 **	नालंदा सिरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	निष्क्रिय
17 **	नोर्थ इस्टर्न इंडस्ट्रीयल एंड टेकनीकल कंसलटेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	2012-13 से 2015-16
18	एनटीपीसी भेल पावर प्राजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड	2015-16
19	एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड	2015-16
20 **	ओड़िसा इंडस्ट्रीयल एंड टेकनीकरल कंसलटेंसी आर्ग्रेनाईजेशन लिमिटेड	निष्क्रिय
21	पंबा रबर्स लिमिटेड	2015-16
22 **	पजहासी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
23	पोनमुदी रबर्स (पी) लिमिटेड	2014-15, 2015-16
24 **	रेलवे स्पोटर्स प्रोमेशन बोर्ड	2015-16
25	राजस्थान कंसलटेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	2015-16
26	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड	2015-16
27 **	टेक्सटाईल प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
28	यूपी इंडस्ट्रीयल एंड टेक्नीकल कंसलटेंटस लिमिटेड	2015-16
29 **	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
30	वेस्ट बंगाल कंसलटेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	2015-16

परिशिष्ट III
(पैरा सं. 1.3.2 देखें)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	निवल मूल्य का 5%	कर पश्चात 30% लाभ	अपेक्षित घोषित न्यूनतम लाभांश	कमी
	सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां							
	रसायन तथा उर्वरक							
1	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड	2829.12	191.23	60.69	141.46	57.37	141.46	80.77
	कोयला							
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	15474.99	1204.15	503.32	773.75	361.25	773.75	270.43
	रक्षा							
3	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	8740.08	1357.67	408	437.00	407.30	437.00	29.00
	खनन							
4	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	12907.68	731.01	322.16	645.38	219.30	645.38	323.22
	पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस							
5	गेल (इंडिया) लिमिटेड	30584.87	2298.9	697.66	1529.24	689.67	1529.24	831.58
6	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	73948.73	10399.03	3399.13	3697.44	3119.71	3697.44	298.31
7	ऑयल इंडिया लिमिटेड	22316.18	2330.11	961.82	1115.81	699.03	1115.81	153.99
8	ऑयल एंड नेचुरल कॉरपोरेशन लिमिटेड	151022.6	16003.65	7272.18	7551.13	4801.10	7551.13	278.95
	विद्युत							
9	एनटीपीसी लिमिटेड	88782	10242.91	2762.24	4439.10	3072.87	4439.10	1676.86
10	पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	42733.97	6026.72	1208.5	2136.70	1808.02	2136.70	928.20

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	निवल मूल्य का 5%	कर पश्चात 30% लाभ	अपेक्षित घोषित न्यूनतम लाभांश	कमी
11	एसजेवीएन लिमिटेड	11063.86	1408.48	455.03	553.19	422.54	553.19	98.16
	रेल							
12	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8105.83	786.93	263.21	405.29	236.08	405.29	142.08
13	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3530.26	379.27	168.26	176.51	113.78	176.51	8.25
	शिपिंग							
14	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1543.88	79.67	8.4	77.19	23.90	77.19	68.79
	इस्पात							
15	एमओआईएल लिमिटेड	3453.37	172.98	84	172.67	51.89	172.67	88.67
	पर्यटन							
16	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	332.12	22.55	12.87	16.61	6.77	16.61	3.74

असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां								
	कृषि							
1	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	541.38	43.41	11.46	27.07	8.68	27.07	15.61
	परमाणु ऊर्जा							
2	इलैक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	770.46	74.54	14.91	38.52	14.91	38.52	23.61
3	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	32459.08	2707.44	800.24	1622.95	541.49	1622.95	822.71
4	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1991.03	102.12	30.64	99.55	20.42	99.55	68.91
	रसायन एवं उर्वरक							

5	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फामोस्यूटिकल्स लिमिटेड	127.81	19.51	2.02	6.39	3.90	6.39	4.37
	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी							
6	टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	518.34	36.52	3.65	25.92	7.30	25.92	22.27
	रक्षा							
7	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	670.84	61.89	18.62	33.54	12.38	33.54	14.92
	वित्त							
8	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	47930.89	2848.39	860	2396.54	569.68	2396.54	1536.54
	स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण							
9	एचएलएल लाईफकेयर लिमिटेड	544.32	28.88	3.87	27.22	5.78	27.22	23.35
	भारी उद्याग एवं सार्वजनिक उद्यम							
10	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	288.52	44.4	13.32	14.43	8.88	14.43	1.11
	आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन							
11	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	8445.81	783.79	100.01	422.29	156.76	422.29	322.28
	विद्युत							
12	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	600.45	49.31	0.8	30.02	9.86	30.02	29.22
13	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	5988.42	372.55	22.59	299.42	74.51	299.42	276.83
14	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	8416.86	809.02	162	420.84	161.80	420.84	258.84

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर पश्चात लाभ	घोषित लाभांश	निवल मूल्य का 5%	कर पश्चात 30% लाभ	अपेक्षित घोषित न्यूनतम लाभांश	कमी
	रेल							
15	इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	11525.35	848.69	339.48	576.27	169.74	576.27	236.79
16	रेल विकास निगम लिमिटेड	2827.83	287.59	115.1	141.39	57.52	141.39	26.29
17	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1057.68	103.83	41.53	52.88	20.77	52.88	11.35
	लघु उद्योग							
18	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरशन लिमिटेड	759.07	101.46	29.05	37.95	20.29	37.95	8.90
	अंतरिक्ष							
19	अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड	1379.02	209.13	63	68.95	41.83	68.95	5.95
	इस्पात							
20	एमएसटीसी लिमिटेड	732.48	59.88	18.04	36.62	11.98	36.62	18.58
	संघ शासित क्षेत्र प्रशासन							
21	अंडमान एंड निकाबार आईलैंडस इंटीग्रेटिड डेवलमेंट कॉरपोरेशन	110.55	15.95	3.5	5.53	3.19	5.53	2.03
	जोड़							**9,011.46**

परिशिष्ट IV

(पैरा सं. 2.6 देखें)

कंपनियों के ब्यौरे जो लेखांकन मानको से अलग हुई, जैसा सांविधिक लेखापरीक्षको द्वारा सूचित किया गया

क्र. सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी	सरकारी कंपनी (जीसी) या सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी (डीजीसी)	लेखांकन मानक का क्रम
1	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	1 और 9
2	एंड्र्यू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	13
3	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	7, 12, 15, 17, 19, 22 और 28
4	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	असूचीबद्ध	जीसी	28
5	हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाईडस लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	2, 17, 22 और 29
6	आईटीआई लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	13 और 28
7	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	2, 10 और 15
8	जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	22
9	एमएसटीसी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	11
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	6, 10, 28 और 29
11	नेशनल इर्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	असूचीबद्ध	जीसी	3, 4, 9, 15, 18 और 26
12	स्क्यिूरिटी प्रिटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	2, 6, 9, 10 और 29
13	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	1, 18 और 29
14	यूल इलैक्ट्रकल लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	1

परिशिष्ट V

निगमित अभिशासन पर अध्याय के लिए कवर की गई सीपीएसईज - सूचीबद्ध (पैरा सं. 3.1.4 देखें)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एंड्रयू यूल एंड क. लिमिटेड
2.	बालमेर लॉवरी एंड कंपनी लिमिटेड
3.	बालमेर लॉवरी इनवेस्टमेंटस लिमिटेड
4.	बीईएमएल लिमिटेड
5.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड
6.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
7.	भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बॉयोलोजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
8.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
9.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
10.	कोल इंडिया लिमिटेड
11.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ ऑफ लिमिटेड
12.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
14.	द फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
16.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
17.	हिन्दुस्तान फ्लोरो कार्बन्स लिमिटेड
18.	हिन्दुस्तान आग्रेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
19.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
20.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मै. कं. लिमिटेड
21.	एचएमटी लिमिटेड
22.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
23.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
24.	आईटीआई लिमिटेड
25.	केआईओसीएल लिमिटेड
26.	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
27.	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड

28.	मैंगलोर रिफाईनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड
29.	एमएमटीसी लिमिटेड
30.	एमओआईएल लिमिटेड
31.	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड
32.	नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
33.	एनटीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
34.	नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड
35.	एनएचपीसी लिमिटेड
36.	एनएमडीसी लिमिटेड
37.	एनटीपीसी लिमिटेड
38.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
39.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
40.	पॉवर फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड
41.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
42.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड
43.	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड
44.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड
45.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
46.	एसजेवीएन लिमिटेड
47.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
48.	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

परिशिष्ट-VI

(पैरा सं. 4.3 देखें)

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कवर की गई सीपीएसईज की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	श्रेणी
1	नैवेली लिग्नाईट कॉरपोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
2	चैन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
3	कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
4	कमराजर पोर्ट लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
5	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
6	मैंगलोर रिफाईनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
7	हिन्दुस्तान एयरोनॉनिक्स लिमिटेड	नवरत्न
8	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	नवरत्न
9	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
10	बीईएमएल लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
11	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
12	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
13	मझगांव डॉक लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
14	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
15	एनएमडीसी लिमिटेड	नवरत्न
16	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नवरत्न
17	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
18	केआईओसीएल लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
19	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	महारात्न
20	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	नवरत्न
21	बालमेर लॉवरी एंड कॉ लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
22	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I
23	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-I

24	हिन्दुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
25	एमएसटीसी लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
26	नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
27	नुमालीगढ़ रिफाईनरी लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
28	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
29	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
30	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
31	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाईजेशन	मिनिरत्न श्रेणी-।
32	एमएमटीसी लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
33	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
34	ऑयल इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
35	कोल इंडिया लिमिटेड	महारात्न
36	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
37	सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
38	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	मिनिरत्न श्रेणी-।
39	नॉथर्न कोलफील्ड लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-।
40	साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-।
41	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-।
42	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
43	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
44	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	महारत्न
45	गेल (इंडिया) लिमिटेड	महारत्न
46	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	महारत्न
47	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-।
48	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-।
49	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-।
50	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	नवरत्न

51	प्रोजेक्ट एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
52	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	महारत्न
53	एनटीपीसी लिमिटेड	महारत्न
54	पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
55	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न
56	रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	नवरत्न
57	हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
58	मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
59	एनएचपीसी लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
60	एसजेवीएन लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
61	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
62	सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन	मिनीरत्न श्रेणी-I
63	एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
64	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
65	इंडियन रिनिवेबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
66	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
67	वैपकॉस लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
68	एनट्रीक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
69	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	नवरत्न
70	भारत संचार निगम लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
71	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
72	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
73	रेलटेल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
74	रेल विकास निगम लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
75	राइट्स लिमिटेड	मिनीरत्न श्रेणी-I
76	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नवरत्न

परिशिष्ट-VII

(पैरा सं. 4.4.2.1 देखें)

सीपीएसई के विवरण जिसमें निर्धारित और उपलब्ध राशि के बंटवारे को नहीं बनाए रखा है।

(₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	सीपीएसईज़ का नाम	उपलब्ध राशि	वास्तविक उपलब्ध से खर्च	कमी *(प्रतिशत)*
1	एंट्रिक्स कॉपोरेशन लिमिटेड	13.10	1.71	86.95
2	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	1941.90	421.00	78.32
3	मझगांव डॉक लिमिटेड	30.50	11.69	61.67
4	नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन	1.25	0.55	56.00
5	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	154.66	95.59	38.19
6	एनएमडीसी लिमिटेड	298.19	210.09	29.00
7	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	100.16	76.16	23.96
8	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	41.63	14.10	66.13
9	नोर्थ इर्स्टन इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन	11.99	10.30	14.10
10	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड	161.11	156.68	2.75
11	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑरगेनाईजेशन	6.61	4.07	38.43
12	हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	91.90	90.70	1.31
13	नोर्थन कोलफील्डस लिमिटेड	95.11	153.97	0.00
14	महानदी कोलफील्डस लिमिटेड	327.87	184.64	43.68
15	राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाईजर्स	9.38	9.66	0.00
16	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	23.11	11.27	51.23
17	मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	13.89	14.47	0.00
18	एनएचपीसी लिमिटेड	96.36	72.68	24.57
19	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30.96	30.96	0.00
20	रेल विकास निगम लिमिटेड	0.00	5.98	0.00
21	सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कॉरपोरेशन	5.30	5.27	0.57

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in